खण्ड-253, अंक-10
शुक्रवार, 30 माघ, शक संवत् 1886
(19 फरवरी, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 253 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	११२१–११२४
प्रश्नोत्तर (जारी)	११२५–११३२
२४ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न ५ के उत्तर का शोधन ..	११३२–११३३
प्रश्नोत्तर	११३३–११४८
अंग्रेजी साहित्य वितरण पर की गयी आपत्ति के संबंध में जानकारी ..	११४८
नियम ५२ तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं ..	११४८
विविध विषय	११४८–११४९
१९६५–६६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (समाप्त)	११४९–१२०२
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित)	१२०२–१२२३
नत्थियां	१२२४–१२२९

संसद भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १९ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३२

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुशन गुप)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी , श्रीमती
गोकुलप्रसाद , श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास , श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह , श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण , श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह , श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बल्वन्तसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हुसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहरसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री

रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवबानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, शिक्षा उप-मंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय तथा गृह उप-मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १९ फरवरी, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ महापालिका की जमीन पर नाजायज कब्जा करने का श्री अली जहीर के विरुद्ध आरोप

**१—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको केन्द्रीय सदाचार समिति के कार्यालय से १७ नवम्बर, १९६४ को भेजा हुआ कोई पत्र मिला जिसमें उनके मंत्रिमंडल के एक मंत्री द्वारा लखनऊ नगर महापालिका की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेने के संबंध में शिकायत थी ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जी हां ।

**२—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री जी उस शिकायती पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२२४–१२२५ पर)

**३—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगी कि अब तक उस शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

संबंधित मंत्री से इस बारे में कैफियत मालूम की जा रही है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि उस मंत्री का क्या नाम है और जो चिट्ठी की प्रतिलिपि सदन में प्रस्तुत की गयी है उसमें खास-खास शिकायतें क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उनका नाम तो आपने खुद ही बताया है, न्याय मंत्री। मंत्री जी का नाम अली जहीर साहब है। शिकायत जो इसमें है, यह एक पुरानी शिकायत है। शिकायत यह है कि जो उनके घर के साथ सड़क है उसमें ५ फुट का एन्क्रोचमेन्ट किया गया है। यह जमीन उनकी थी। जो आउटलै मंजूर हुआ था उसमें २० फुट चौड़ी सड़क थी और १५ फुट रह गयी। उन्होंने कुछ दीवार बनायी, जिससे ५ फुट का एन्क्रोचमेन्ट हो गया। यह शिकायत है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, शिकायत जो केन्द्रीय सदाचार समिति से भेजी गयी और जिसकी प्रतिलिपि आपके सदन की मेज पर भी है उससे मालूम होता है कि सन् १९६० से यह मामला चल रहा है। सन् १९६० में डा० फरीदी ने कई बार चिट्ठी उत्तर प्रदेश की सरकार को, मुख्य नगर अधिकारी को और नगरपालिका के अन्य अधिकारियों को लिखी पर लिखने के बावजूद

भी माननीय मंत्री ने २,००० स्क्वायर फीट जमीन अपनी दीवार के अन्दर बना ली। मुख्य नगर अधिकारी ने २२ जून को नोटिस दिया पर उसके बावजूद भी न्याय मंत्री ने उस जमीन को खाली नहीं किया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मेरे पास तो यह सारा मामला आया है। सदाचार समिति की चिट्ठी मिली और मैंने मेयर साहब को लिखा। ३ या ४ रिमाइन्डर देने के बाद उनका जबाब भी मिल गया है। मैंने एल० एस० जी० डी० विभाग की फाइल भी देखी और यह देखा गया कि उनको २ दफा, एक दफा मई, १९६१ में और सितम्बर में नोटिस दिए गये। अली जहीर साहब का कहना है कि यह रास्ता प्राइवेट है, पब्लिक रोड नहीं है और दूसरे उनका कहना है कि यह दीवार उन्होंने ४२ में बना ली थी। उसके बाद लैसी ने जो जमीन खरीदी है उस वक्त उन्होंने एतराज नहीं उठाया। इसलिये उनका कहना है कि इसमें कोई तत्व नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या इस संबंध में माननीया मुख्य मंत्री को सूचना है कि इसी जमीन से एक प्लाट ४ लाख रुपये में राजा प्रतापगढ़ को बेचा गया और उसी में न्याय मंत्री एक घर में सरकारी पैसे पर रहे और सरकार से किराया भी लेते थे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो जमीन का है।

श्री उग्रसेन—

उसी जमीन में मकान बनाया और ४ लाख रुपये की जमीन बेची। उसी में रहते थे और सरकार से किराया भी वसूल करते थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्रीमन्, इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है इस प्रश्न के बारे में मुझे कोई नोटिस नहीं था कि ये सप्लीमेन्टरी प्रश्न भी पूछे जायेंगे। इसके संबंध में कोई सूचना नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, माननीया मुख्य मंत्री ने बताया कि माननीय अली जहीर जो न्याय के संरक्षक हैं, उनका कहना है कि वह पब्लिक रोड नहीं है तो क्या मुख्य मंत्री जी को यह विदित है कि उस सड़क पर नगर महापालिका ने बिजली लगवायी है और उसकी सफाई होती है और उसका रखरखाव हुआ है और जब उस जमीन का बटवारा हुआ तो २० फीट रोड को पब्लिक रोड डिक्लेयर किया गया और उसका रखरखाव नगर महापालिका द्वारा हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नगरपालिका से जो रिपोर्ट आई है उससे यह बात सिद्ध होती है कि यह २० फीट चौड़ी सड़क मंजूर हुई थी ट्रस्ट की तरफ से और दूसरे यह कि सड़क को म्युनिसिपैलिटी मेनटेन करती है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

जब उस सड़क को नगर महापालिका मेनटेन करती है तो उस समय यह शिकायत क्यों नहीं की गयी जब उसका एन्क्रोचमेन्ट किया गया था और आज शिकायत का आधार क्या है जब कि महापालिका उसे मेनटेन करती है और कौन लोग ह शिकायत करने वाले ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जो कुछ मैं प्रश्न से समझ सकी हूं उसका उत्तर दिये देती हूं। डाक्टर फरीदी ने गुलजारी लाल नन्दा को पत्र लिखा है। वह पत्र सदाचार समिति से मेरे पास आया। दूसरी बात समझ में नहीं आई।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

यह जो पबलिक रोड २० फीट की डिक्लेयर हुई जिसे कि इस समय नगरपालिका मेनटेन कर रही है तो जिस समय एनक्रोचमेन्ट हुआ था उस समय महापालिका ने नोटिस देना मुनासिब क्यों नहीं समझा था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसका मैं क्या जबाब दे सकती हूं। यह बात ३८ और ४२ की है। मेरे लिये जबाब देना मुश्किल है। लेकिन महापालिका की तरफ से ६१ में दो दफा नोटिस भेजी गयी है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

यह प्रश्न भ्रष्टाचार से संबंधित है तो क्या इसकी जांच भ्रष्टाचार आयोग के, जो डायरेक्टर हैं, उनके जरिये करायी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो जांच हो ही रही है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

जो यह बतलाया गया कि सदाचार समिति से १७ नवम्बर, ६४ को आपको पत्र प्राप्त हुआ तो क्या कारण है कि मंत्री महोदय ने अभी तक कोई कैफियत नहीं दी है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसमें मंत्री महोदय की कोई गलती नहीं है उनको थोड़े दिन पहले ही बतलाया गया है। मुझे भी इसकी इंफार्मेशन थोड़े दिन पहले ही मिली। ३, ४ दफा रिमाइन्डर भेजने पड़े मेयर साहब को। जनवरी के आखिरी हफ्ते में जबाब मिला और उसके बाद अली जहीर-साहब को अभी कागज दिया है और रात को उन्होंने उस कागज को मेरे पास भेजा है लेकिन मुझे उसे देखने का मौका नहीं मिला।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

यह दीवार जो बनायी गयी है वह मंत्री जी के कहने के मुताबिक ४२ में बनी थी परन्तु नगरपालिका, लखनऊ के कागजात के अनुसार यह घोषित कब किया गया कि यह २० फीट की लेन पब्लिक लेन है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

घोषित करने का सवाल नहीं है। जो प्लान एप्रूव्ड हुआ था वह इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के द्वारा एप्रूव किया गया था और ३६ में यह २० फीट लेन की मंजूरी दी गयी थी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, नगर महापालिका की कौन सड़क हैं कौन नहीं है, यह विवाद नहीं हो सकता है। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा ही नक्शे बने हुए हैं। मैंने स्वयं नक्शा देखा है और २० फीट सड़क दिखाई गई है।

श्री अध्यक्ष—

इससे उन्हें इन्कार कहां है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, जब नजूल अधिकारी ने चिट्ठी में साफ लिखा दिया है कि आपका एनक्रोचमेन्ट है आप उसे हटा लीजिये। जब उन्होंने नहीं हटाया तो दूसरा नोटिस २२ जून, १९६१ को दिया कि १५ दिन में हटा लीजिये। फिर भी जब उन्होंने नहीं हटाया तो धारा २९९ के अन्तर्गत प्रतिदिन १०० रुपया जुरमाना वसूल क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब है कि नगर महापालिका ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह तो मेरे लिये बताना मुश्किल है। कार्यवाही नगर महापालिका को करनी चाहिये थी।

श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री जी को सूचना है कि जब माननीय विचित्रनारायण शर्मा और चतुर्भुज शर्मा मंत्री थे तो उन्होंने भी चिट्ठियां लिखीं और कहा कि यह हटा लीजिये फिर भी उन्होंने नहीं हटाया ?

श्री अध्यक्ष —

ऐसी कोई बात नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, यह बहुत महत्व के सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर महत्व के सवाल हैं तो नियम ५० में आ जाते हैं, १२ मिनट से ज्यादा नहीं दिये जा सकते।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, बहुत से प्रश्न नहीं हुये हैं। हम लिख कर देंगे, उनको नियम ५० में ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा।

सहारनपुर में गेहूं में कटौती

**४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर में गेहूं का राशन प्रति यूनिट आज से कम करके एक किलो पिछले पखवारे के लिये क्यों कर दिया गया है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

विदेशी गेहूं के पहुंचने में देरी होने के कारण ऐसा किया गया है लेकिन बदले में चावल अथवा मोटा अनाज दिया जा रहा है।

**५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि १ मार्च, १९६५ से शुरू होने वाले महीने में सहारनपुर में गेहूं राशन के लिये पहुंचाने का सरकार क्या इन्तजाम करने जा रही है जब कि इस समय तक कोई कोटा या माल लाने का प्रबन्ध नहीं हो सका है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सहारनपुर में माह फरवरी में ४९७० क्विन्टल गेहूं था और काफी मात्रा में चावल और मोटा अनाज सरकारी गोदामों में था। ७०४० क्विन्टल गेहूं कांडला से सहारनपुर आना था उसके लिये कार्यवाही की जा रही है कि शीघ्र पहुंचे। इस गेहूं के पहुंचने से और मार्च का कोटा जो निर्धारित होगा और पहुंचेगा उससे मार्च माह का प्रबन्ध हो जावगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कांडला से गेहूं भेजने का जो एलाटमेंट हुआ है वह पोर्ट पर मौजूद है या नहीं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

वह कांडला पोर्ट पर ही है हमारे अधिकारी डिसकस करने के लिए वहां गये हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि जिस जहाज से यह गेहूं आने को था जो सहारनपुर को एलाट हुआ है वह नहीं पहुंच पाया ? इसी वजह से वहां गेहूं का भंडार नहीं है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मेरी तो यह सूचना नहीं है।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पंजाब का गेहूं नहीं आया, न लखनऊ में है न किसी दुकान में है, बाहर का आया हुआ गेहूं ही ६६ पैसे किलो दिया जा रहा है ? ऐसा क्यों है ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप लखनऊ की बात पूछ रहे हैं या सहारनपुर की ?

चौधरी अब्दुल हसीब खां—

सहारनपुर की।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जो देशी गेहूं हैं, उसके दाम ज्यादा हैं, बमुकाबले विदेशी गेहूं के। इस लिए उसके दाम ज्यादा लिए जाते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जैसा कि मंत्री जी ने अभी बतलाया है कि कांडला पोर्ट से गेहूं सहारनपुर के लिए आयेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि कांडला पोर्ट से ७०४० क्विंटल गेहूं ही आना है किन्तु सहारनपुर की टोटल मांग १३,००० क्विंटल की है तो बाकी गेहूं की पूर्ति सहारनपुर में करने के लिए वह क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मैंने जवाब में कहा है कांडला पोर्ट से आया है और फरवरी में मैंने और दिया है वह सब मिलाकर वहां के लिए पूरा हो जाएगा, ऐसा अनुमान है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर में जो गेहूं का बीज बच गया है, क्या उसका वितरण राशन की दुकानों से वह करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें बीज का क्या सवाल है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

यह तो आदेश हो चुके हैं कि जो बीज से बचा गेहूं है वह राशन की दुकानों पर वितरित किया जाये ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या केंद्रीय सरकार ने उसका जो प्रदेश के लिए गेहूं का कोटा है उसमें से कोई कटौती की है और उसके फलस्वरूप सहारनपुर में ही नहीं बल्कि पूरे शहरी और देहाती क्षेत्रों की दुकानों पर इसका असर पड़ रहा है ? यदि यह बात सही है तो देहातों में और दूसरे शहरों में अन्न के कोटे को पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जितना जो कुछ भी गेहूं हमको केंद्र से प्राप्त हुआ है तथा जो मोटे अनाज और चावल का भंडार हमारे पास है उससे हम पूरा कर रहे हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह---

इस बात को देखते हुए कि केंद्रीय सरकार का गेहूं समय से और हमारे प्रदेश की आवश्यकतानुसार प्राप्त नहीं हो पाता है और अन्न संकट दूर करने में इसलिए सहायता नहीं मिलती है, तो क्या आने वाले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मुख्य मंत्री इस बात पर भारत सरकार पर जोर देंगी कि जोनल सिस्टम तोड़ दिया जाये, जिससे कि अन्य प्रदेशों से भी यहां गल्ला आ सके और यहां की दिक्कत दूर हो सकें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैं आशा करती हूं, इस संबंध में जो खाद्य नीति है, दिल्ली में उस पर जल्द डिस्कशन होगा । उसमें सारी बातों पर विचार होगा कि जोनल सिस्टम रखना है या तोड़ना है ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आपके प्रदेश का जो मोटा अनाज दूसर प्रदेशों में चला जाता है, उसको रोककर उसका इस्तेमाल इसी प्रदेश में हो जिससे हमारी समस्या सुलझ सके । तो क्या इस पर भी केंद्रीय सरकार की आज्ञा ली जायेगी कि प्रदेश सरकार मोटे अनाज को अपने ही प्रदेश में रोक सके और दूसरे प्रदेशों में न जाने दे ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो सारी सरकारी नीतियों पर ही बात होने लगी ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सहारनपुर पश्चिमी यू० पी० के उस अंचल में बसा हुआ है, जो हमारे प्रदेश का अग्रणी कहा जाता है तो वहां पर गेहूं की यह हालत हो गई है इसका क्या कारण है ? और क्या उनके पास यह सूचना है कि जो गेहूं वहां पैदा होता है वह स्मगलिंग होकर बाहर पहुंच जाता है और वह बड़े-बड़े होर्डर्स के गोदामों में इकट्ठा हो गया है ? और यदि यह सही है, तो इस अव्यवस्था को रोकने के लिये तथा उनसे गेहूं निकलवाने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

मेरी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि यहां का गेहूं स्मगलिंग होकर बाहर जा रहा है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

सहारनपुर की आबादी १,८५,००० है और ३ प्रतिशत की वृद्धि के हिसाब से भी २ लाख की आबादी वहां की होनी चाहिए । लेकिन इस समय वहां पर २,३६,००० यूनिटों के कार्ड

बने हुए हैं इस प्रकार से आप देखें कि वहां पर ६० लाख यूनिटों के जाली कार्ड बने हुए हैं और इन जाली यूनिटों का राशन ब्लैक में जा रहा है। तो क्या इसको रोकने के लिए जाली यूनिटों की जांच करने का सरकार प्रयत्न करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह ६० हजार यूनिटें ब्लैक में चली जाती हैं इसकी कोई सूचना तो सरकार के पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य इसकी सूचना देंगे तो जांच करा ली जायगी।

विधान भवन के सामने शामियाना लगाकर प्रदर्शन

**६—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय के सामने विधान सभा मार्ग के उस पार फुटपाथ पर जो एक शामियाना लगाकर कुछ लोग लेटे हैं वे कौन हैं ? तथा किसकी आज्ञा से वहां शामियाना खड़ा किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अब वहां पर कोई शामियाना नहीं है पर सूचना द्वारा ज्ञात हुआ कि १५ फरवरी, १९६५ से १७ फरवरी, १९६५ तक शामियाना लगाकर सचिवालय के सामने सड़क के उस पार बलिया जिले के सर्वश्री रघुनाथ राम, सदस्य, विधान सभा; मुन्नीलाल वर्मा तथा दीन दयाल सिंह लेटे हुए थे।

शामियाना लगाने की आज्ञा लेने के संबंध में सरकार को कोई सूचना नहीं है

कुंवर श्रीपालसिंह—

शामियाना लगाकर प्रदर्शन करने के लिए क्या किसी की आज्ञा लेनी पड़ती है; और अगर लेनी पड़ती है, तो किससे ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

शामियाना लगाना तो नहीं चाहिए था लेकिन माननीय सदस्य थे विधान सभा के इस लिए लगा लिया तो अब क्या कहें लेकिन अगर सदन ठीक समझे और चाहे कि उस कानून को एन्फोर्स किया जाय और न लगने दिया जाय तो उसका ध्यान रखा जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी को पता है कि पिछले वर्ष उसी स्थान पर शामियाना लगाकर शान्ति पूर्ण प्रदर्शन करने के लिये जनसंघ ने जब मुख्य सचिव से बात की और उन बात करने वालों में मैं भी था तो मुझसे मुख्य सचिव ने कहा कि वहां शामियाना नहीं लगाया जा सकता है जिसके कारण मेरे दल के लगभग डेढ़ सौ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया और कम्यूनिस्ट पार्टी ने पहले भी शामियाना लगाया और अब भी लगाया तो क्या मैं यह समझूं कि कम्युनिस्ट पार्टी को वहां पर शामियाना लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रतिबंध तो सब के ऊपर है लेकिन इन्होंने बगैर पूछे लगाया। हमारे सामने यह सवाल आया कि इनको गिरफ्तार किया जाय मगर तीन ही आदमी थे और शांति से बैठे हुए थे अगर समझ बूझ कर अपने आप उठ जायं तो झंझट करने की क्या आवश्यकता है यह हम लोगों ने सोचा और वह लोग उठ भी गये।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

क्या सरकार जो यह रोजाना खुराफात के प्रदर्शन और भूख हड़ताल होते हैं इस कौंसिल हाउस के सामने तो उसके लिए कोई पाबन्दी लगाने की सोच रही है जिससे कि कौंसिल हाउस से दायें बायें २ फर्लांग तक कोई शामियाना, कोई प्रदर्शन, कोई भूख हड़ताल या अन्य खुराफाती काम आगे न हों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्रीमन्, ऐसे तो शामियाना वगैरह डी० एम० की इजाजत से लग सकते हैं और भूख हड़ताल के लिए हमने पाबन्दी लगायी नहीं है। बहुत दफे ऐसा होता है कि प्रदर्शन वगैरह शांतिपूर्वक बैठकर बातचीत करके खत्म हो जाते हैं और उसके पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी कम होते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

भूखहड़ताल या शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आदि सब बन्द कराने की बात की जा रही है। यह जनवादी तरीका प्रतिरोध का है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार के सुझावों पर ध्यान न देने की कृपा करेगी कि इस प्रकार की जनवादी परंपरा, जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के पश्चात् बैठकर मामलों को तय कर लेना, उसको समाप्त कर दिया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हम भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के संविधान पर करीब-करीब चलते हैं। वहां के पार्लियामेंट हाउस से कोई आध मील दूर पर एक जगह है जहां ऐसे प्रदर्शनकारी लोग जाकर अपनी मांगें पेश करते हैं। तो हम भी सदन के सामने दरख्वास्त लायेंगे कि कोई स्थान यहां पर भी ऐसा निश्चित हो जाय जो कौंसिल हाउस से दूर हो और जहां जाकर लोग अपनी दरख्वास्तें इस तरह से रख सकें।

२४ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न ५ के उत्तर का शोधन

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

प्रश्न	मूल उत्तर
५—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में कोई सड़क बरहलगंज से डेरवा तक जाती है ? यदि हां, तो जिन किसानों की भूमि ली गई है उन्हें उनका मुआवजा दिया गया है या नहीं और नहीं तो क्यों ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन-किन गांवों की कितनी-कितनी भूमि इस सड़क में ली गई है ?	५—जी हां, डेरवा से बरहलगंज तक सिंचाई (ग) सड़क है और सिंचाई विभाग द्वारा केवल डेरवा से कपरवार तक रास्ते को ऊंचा किया गया। इसको ऊंचा करने के लिए जिन-जिन गांवों की जितनी भूमि ली गई है उसका विवरण संलग्न है परन्तु किन-किन किसानों से कितनी-कितनी भूमि ली गई और उन्हें कितना-कितना मुआवजा दिया गया उसका विवरण अब उपलब्ध नहीं है।

संलग्न विवरण

क्रमांक	ग्राम का नाम		रकबा (एकड़ों में)
१	खंडेसरी	..	४.८५
२	पिढ़नी	..	०.६४
३	रामगढ़	..	०.९७
४	खजुरी	..	१.११
५	भुजवना	..	१.७१
६	छपिया	..	१.३६
७	बिरहुआ	..	०.१०
८	भैभरा	..	२.३९
	योग	..	१३.१३

संशोधित उत्तर

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—

जी हां, एक ग्रामीण मार्ग बरहलगंज से बरहज तक डेरवा होता हुआ जाता है। सिंचाई विभाग द्वारा खंडेसरी से डेरवा तक सड़क को ऊंचा करने की योजना थी। परन्तु कृषकों के आपस में मतभेद के कारण यह कार्य ग्राम ममैरा की सरहद पर ही समाप्त कर दिया गया। इसको ऊंचा करने के लिए जिन गांवों की जितनी भूमि ली गई उसका विवरण संलग्न है। उस समय भूमि अधिग्रहण ऐक्ट के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहीत करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही कोई मुआवजा दिया गया। अब भूमि प्राप्त करने की औपचारिक कार्यवाही की जा रही है जिसके उपरान्त जो मुआवजा निर्धारित होगा उसे संबंधित कृषकों को अदा किया जायेगा।

प्रश्न संख्या ५ के संशोधित उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्रमांक	ग्राम का नाम		रकबा (एकड़ों में)
१	खंडेसरी	..	६.७५९
२	पिढ़नी	..	०.८८०
३	रामगढ़	..	१.१७४
४	खजुरी गोसाई	..	१.३१८
५	भुर्जाना	..	१.७७०
६	छपिया उमराव	..	१.०५४
७	बिरहुआ	..	०.२१५
८	भैभरा	..	२.५२६
		योग ..	१५.६९६

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री कैलाश—

[२६ जनवरी, १९६५ के लिए स्थगित किये गये।]

*३-४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

[२६ फरवरी, १९६५ के लिए स्थगित किये गये।]

*५—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

[२६ जनवरी, १९६५ के लिए स्थगित किया गया।]

*६—[हटा दिया गया।]

*७—श्री कल्पनार्थसिंह—

[चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[२६ फरवरी, १९६५ के लिए स्थगित किया गया।]

*९-११—[हटा दिये गये।]

स्याना-बुगरासी मार्ग पक्का करने की प्रार्थना

*१२—श्री कमलार्सिह यादव (जिला गाजीपुर), श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिलाधीश बुलन्दशहर ने अपने पत्र (डी० ओ० नं० एस० टी० एम० आई० एस० सी० जेड० पी०), दिनांक ५ अक्तूबर, १९६४ के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश का ध्यान स्याना बुगरासी मार्ग को शीघ्र से शीघ्र पक्का कराने तथा इस मार्ग की अत्यन्त आवश्यकता की ओर आकर्षित कराया है और अपने इस पत्र के साथ जिला परिषद्, बुलन्दशहर के १ मई, सन् १९६४ के उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि भी भेजी है जिसके द्वारा जिला परिषद् ने सरकार से पुरजोर सिफारिश की है कि इस मार्ग को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ही पक्का कराया जाय और यदि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में इसका निर्माण संभव न हो सके तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे सबसे उच्चतम प्राथमिकता दी जाय ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

जी हां।

चाल आयोजना काल में इस सड़क का निर्माण धनाभाव के कारण संभव नहीं है। चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना काल में इस सड़क का निर्माण जिला परिषद् द्वारा अपनी प्राथमिकता सूची में दिये गये स्थान पर तथा चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना के आकार पर निर्भर होगा।

श्री कमलार्सिह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी इस सड़क को मैन पावर स्कीम के अन्तर्गत लेने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैन पावर स्कीम के अन्तर्गत लेने का हमको अधिकार नहीं होता। आपका सुझाव आयेगा तो हम उसको भेज देंगे। यह प्लानिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो सड़कें आती हैं उन पर ही यह मैन पावर स्कीम की कार्यवाही हो पाती है।

श्री उग्रसेन—

इस बात को देखते हुए कि गोरखपुर जिले में बांसी तहसील के सब से पिछड़े हुए भूभाग घाघरा और राप्ती के बीच में कोई यातायात मार्ग नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी इस योजना में सुझाव देंगे कि उस पर कार्यवाही हो सके और वह मार्ग लिया जा सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह तो बुलन्दशहर जिले का सवाल है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यह सड़क मेरे क्षेत्र से संबंधित है। मैं निर्माण मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब जिला परिषद् ने अपने प्रस्ताव में इसको उच्चतम प्राथमिकता दी और इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है तो आप क्यों आश्वासन नहीं दे सकते कि इसको चौथी पंचवर्षीय योजना में उच्चतम प्राथमिकता दी जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में इस सड़क को जिला परिषद् ने तीसरी प्राथमिकता दी थी। पहली और दूसरी प्राथमिकता की सड़कों को तो हम ले चुके हैं इसको नहीं लिया है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

१९६४ में इस सड़क के लिए जिला परिषद् ने एक विशेष प्रस्ताव पास किया है जिसे डी० एम० ने भी सरकार को भेजा है और मैंने भी उसकी प्रतिलिपि माननीय मन्त्री जी को भेजी है क्या मन्त्री जी उसे स्वीकार कर इस सड़क को लेने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पहले जिला परिषद् ने तीसरी योजना के लिए सिफारिश की थी। अब जो यह सिफारिशें आ रही हैं वे चौथी योजना के लिए हैं। जब चौथी योजना की सड़कें लेंगे तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री मैनेजर सिंह—

तृतीय योजना के लिए जिला परिषद् ने इस सड़क को तीसरी प्राथमिकता दी थी। १ मई, १९६४ को जिला परिषद् ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार से सिफारिश की है कि तीसरी योजना में ही इस सड़क को लिया जाय। उस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि यदि यह सम्भव न हो तो चौथी योजना में इसको प्रथम प्राथमिकता दी जाय। तो क्या माननीय मन्त्री जी उस प्रस्ताव को मान कर चौथी योजना में इसको प्रथम प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने जैसा निवेदन किया चौथी योजना के लिए अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब उसके लिए सोचेंगे तो इस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित जिला परिषदों का सार्वजनिक निर्माण विभाग में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए जिला परिषदें बुलन्दशहर, देवरिया, हरदोई आदि इसके बारे में कहती हैं। यह बुलन्दशहर, सरडीला, राघोपुर रोड को जिन जिला परिषदों ने प्राथमिकता दी है उसके पक्ष में क्या मन्त्री जी निर्णय लेने की कृपा करेंगे और क्या मन्त्री जी ने जो सर्कुलर्स जिला परिषदों को भेजे हैं उनके उत्तर जो जिला परिषदों ने भेजे हैं उनकी कोई कदर क्या माननीय मन्त्री जी के यहां है ? यदि हां, तो क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय तो सूचना मेरे पास केवल बुलन्दशहर जिले की सड़क की बाबत ही थी। हरदोई की बाबत कोई सूचना नहीं थी लेकिन जैसा अभी माननीय सदस्य ने संकेत किया कि कुछ सर्कुलर्स भेजे गये हैं उनके बारे में जो सिफारिशें आयेंगी और जो माननीय सदस्यों के सुझाव होंगे उन पर पूरी गम्भीरता से विचार किया जायगा और उसी आधार पर आगे की कार्यवाही की जायगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि १ मई, १९६४ को जिला परिषद् ने प्रस्ताव किया था कि यदि इस सड़क को तीसरी योजना में बनाना सम्भव नहीं है तो चौथी योजना में इसे प्रथम प्राथमिकता अवश्य दी जानी चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कारण है कि इसे चौथी योजना में उच्चतम प्राथमिकता क्यों नहीं प्राप्त होती। यह मन्त्री जी की बिलकुल गलत बात है। क्यों वे इसे नहीं लेते हैं? यह बहुत जरूरी है, माकूल है और माननीय मन्त्री जी को इस सड़क को जरूर बनवाना चाहिये।

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

*१३–१४—श्री कल्पनाथसिंह—

[चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

अध्यापकों के लिये लाभत्रयी योजना

*१५—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित), श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी), श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) तथा श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अध्यापकों को मिलने वाली लाभ-त्रयी योजना क्या है और उसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)—

योजना का संक्षिप्त विवरण संलग्न है। इस समय इसके नियम शासन के विचाराधीन हैं। स्वीकृत होने पर प्रकाशित किये जायेंगे।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२२६–१२२७ पर)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो नियम निर्माण का विचार सरकार कर रही है, यह कार्य कब तक समाप्त हो जावेगा और कब तक कार्यान्वित किया जावेगा?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, बहुत कुछ काम हो चुका है और इसको हम बहुत जल्दी कर सकेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, इस प्रश्न के उत्तर में जो सूचना संलग्न की गयी है उसको देखने से पता चलता है कि जीवन बीमा जो है वह अध्यापकों के प्राविडेंट फन्ड से आयेगा जो उनका अपना चल रहा है और वही प्राविडेंट फन्ड लागू रहेगा। तो श्रीमन् ऐसी सूरत में अध्यापकों को लाभ तो नहीं हो रहा है?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, इस की स्थिति यह नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया है। स्थिति यह है कि वे जो बीमा करा रहे हैं उनको पहिले नकद देकर बीमा पालिसी लेनी होती है। इस बीमा पालिसी के लिए वे जो उनकी प्राविडेंट फन्ड में रकम जमा है उसमें से भी लेकर दे सकेंगे।

श्री रघुनाथसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह उल्लेख है कि पहिली अक्तूबर, १९६४ से यह योजना लाग कर दी गयी है और माननीय शिक्षा मन्त्री

जो ने भी लखनऊ विश्वविद्यालय में कहा था कि यह योजना उसी समय से लागू हो रही है। परन्तु अब मन्त्री जी ने कहा कि यह योजना विचाराधीन है। मन्त्री जी के बजट भाषण में भी इस की चर्चा नहीं हुई है। १९६४–६५ के अनुपूरक अनुदानों में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। जो आयोजनेतर बजट भी आ रहा है उस में भी कहीं उल्लेख नहीं है क्या यह योजना फिर हवा में ही है, श्रीमन् ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

यह योजना श्रीमन् पहिली अक्तूबर से ही लागू है। उस समय तक जो इस से प्रभावित होते होंगे वे सब इसमें आ सकेंगे। केवल इस सम्बन्ध में नियम बनाये जा रहे हैं परन्तु इस योजनान्तर्गत वे सभी लाभान्वित होंगे जो १ अक्तूबर, १९६४ की अवधि के अन्दर आ जाते हैं।

श्री रघुनाथसिंह---

जब यह योजना जो विचाराधीन है पूर्णरूपेण निर्णीत हो जावेगी तो यह आपकी योजनागत किसी मद में आवेगा या आयोजनेतर किसी मद में आयेगा। तो इस प्रकार इसका उल्लेख नये साल के बजट की किसी मद में क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

श्रीमन, शिक्षा के अन्दर स्वीकृत मदों के अन्तर्गत है और यह रहेगा।

श्री रघुनाथसिंह---

श्रीमन्, मैंने देखा है कि यह कहीं नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह---

श्रीमन्, जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि यह योजना पहली अक्तूबर, १९६४ से लागू कर दी गयी है और इस सम्बन्ध में नियम बनाये जा रहे हैं तो श्रीमन् मैं पूछना चाहता हूं कि अक्तूबर, १९६४ से इधर जो अध्यापक अवकाश प्राप्त कर लेंगे उनको भी इसका कुछ लाभ मिलेगा या नहीं ? क्या माननीय मन्त्री जी ऐसे अध्यापकों को भी कुछ लाभ देने के विषय पर विचार करेंगे ? क्योंकि ऐसे अध्यापकों की संख्या भी बहुत कम होगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

श्रीमन्, पहली अक्तूबर, १९६४ के पहले वालों के लिए तो यह सम्भव नहीं होगा परन्तु उस के बाद वाले सब को मिलेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

मान्यवर इस लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत जितने अध्यापक लाभान्वित या प्रभावित होंगे तो क्या सरकार कृपा करके उन सब की तादाद बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

श्रीमन्, यह तो इस समय बताना सम्भव नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

इस लाभत्रयी योजना में एक प्राविडेंट फन्ड की जो स्कीम है उसके अन्तर्गत अगर कोई इन्श्योरेंस का पैसा चाहेगा तो इन्श्योरेंस का पैसा निकाल कर दे सकेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें सरकार कितना कन्ट्रीब्यूशन करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन् कन्ट्रीब्यूशन तो आज भी सरकार का प्राविडेंट फन्ड के अन्दर है और इधर से भी है और दूसरा तरफ से भी है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस योजना के अन्तर्गत जो चतुर्थ श्रेणी के और निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं उन्हें निकाल दिया गया है तो क्या मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि वह लोग भी शिक्षा के ही कार्य में लगे हुये हैं उनको भी पेन्शन वगैरह की सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, विचार अवश्य है। लेकिन इसके अन्तर्गत नहीं बल्कि दूसरी स्कीम के अन्तर्गत उनका विचार करेंगे।

श्री उग्रसेन—

इस लाभत्रयी योजना में पेंशन उन को किस रेट से दी जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, पूरे तौर से तो मैं अभी निवेदन नहीं कर सकूंगा जब तक कि यह आप के सामने आ न जाये लेकिन मोटो तौर से यह है कि दस वर्ष की अर्हताकारी सेवा के बाद १/१२० प्रत्येक वर्ष पर उनको मिलेगा।

*१६—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[चौथे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१७—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

[२६ फरवरी, १९६५ के लिए स्थगित किया गया।]

*१८-१९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*२०-२१—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

[हटा दिये गये।]

*२२-२३—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

[हटा दिये गये।]

*२४-२६—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

[चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*२७-२९—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

[चौथे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १६-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३०—श्री रक्षपालसिंह—

[२६ फरवरी, १९६५ के लिए स्थगित किया गया।]

*३१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[तीसरे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३२-३४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[२६ फरवरी, १९६५ के लिए स्थगित किये गये।]

*३५-३६—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़)—

[चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

सरस्वती इंटर कालेज, टांडा, वाराणसी में टी० सी० रोकना

*३७—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार को कोई पत्र प्रश्नकर्ता का दिनांक २७ नवम्बर, १९६४ का सरस्वती इन्टर कालेज, टांडा, वाराणसी के आचार्य द्वारा दो लड़कों को बगैर दोबारा छः महीने की फीस दिये हुये ट्रान्सफर सार्टीफिकेट न देने की शिकायत के सम्बन्ध में मिले हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

माननीय प्रश्नकर्ता से तो नहीं, लेकिन श्री मारकंडे सिंह, बल्लीपुर, वाराणसी द्वारा प्रेषित एक पत्र इस विषय पर तारीख २७ नवम्बर, १९६४ को प्राप्त हुआ था, जो उसी दिन वाराणसी के शिक्षाधिकारियों को उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया। उत्तर में इन अधिकारियों ने सूचित किया है कि इन दोनों लड़कों का ट्रांस्फर सार्टिफिकेट उन को दिला दिया गया।

इन ट्रांस्फर सार्टिफिकेट्स को रोकने का कारण वहां के प्रधानाचार्य का बदल जाना था और नये प्रधानाचार्य को यह नहीं मालूम था कि इन विद्यार्थियों ने सभी देय फीस अदा कर दी है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि उस स्कूल में आप किसी झगड़े के कारण दो प्रधानाचार्य हो गये थे। एक ने तो रुपया ले लिया था उन की ६ महीने की फीस का, लेकिन दूसरे ने कहा कि मुझे भी जब तक नहीं दोगे, तब तक मैं नहीं दूंगा, क्या सरकार फिर से इस की जांच करायेगी और अगर यह गलत सूचना दी गयी हो तो उस के बाबत सख्त कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो उसकी उसी नजरिये से जांच करा ली जायेगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह मालूम है कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में प्रायः झगड़े चला करते हैं जिस से लड़कों को ट्रांस्फर सर्टिफिकेट प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है ? तो क्या कोई ऐसा सर्कुलर जारी करेंगे जिस से ट्रांस्फर सर्टिफिकेट प्राप्त करने में कठिनाई न हो ?

श्री अध्यक्ष—

आप कुछ सुझाव देंगे कि कैसा सर्कुलर जारी करें ?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

साफ-साफ इन्स्ट्रक्शंस डी० आई० ओ० एस० को ईश्यू करें कि उन के पास अगर शिकायत आये तो फौरन सर्टिफिकेट दिला दें।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, नियमों के अन्दर यह है और उसी के अनुसार दिखाया जाता है और उन के पास शिकायत आती है और वहां से भी अगर न हो सके, तो यहां से होगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दो प्रधानाचार्यों के आपसी झगड़े के कारण दो विद्यार्थियों को हटाया गया और फिर रखा गया, तो इस में उन का कितने दिन का समय नुकसान हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, वह हटाये नहीं गये। वह तो ट्रांस्फर सर्टिफिकेट जाने के लिए चाहते थे एक दिन का भी उनका नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने दूसरे स्कूल में ऐडमिशन ले लिया और उन को जब जरूरत पड़ी वहां पर तब तक ट्रांस्फर सार्टिफिकेट उन्हें मिल गया।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में दोनों लड़कों ने इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स से भी बातचीत की थी, उन को भी दरख्वास्त दी थी, फिर भी ६ महीने बाद उन को सार्टिफिकेट तब मिला जब मैंने असेम्बली में सवाल किया। तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि किस तारीख को दरख्वास्त उन को मिली और किस तारीख को उन को सार्टिफिकेट दिया गया और विलम्ब का कारण क्या है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, २७ नवम्बर, को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे और जो सूचना जिले से आयी है उस के अनुसार ट्रांस्फर सार्टिफिकेट पहले ही दिये जा चुके थे यानी ७ नवम्बर, १९६५ को।

श्री कमलासिंह यादव---

इस विलम्ब का क्या कारण था?

डाक्टर रामनारायणपांडेय---

कारण तो पहले ही निवेदन कर दिया गया कि प्रधानाचार्य बदल गये थे।

श्री दीपनारायणसिंह---

इन दोनों लड़कों के दूसरे स्कूलों में दाखिले और इस स्कूल से ट्रांस्फर सर्टिफिकेट दिये जाने की तारीखें क्या थीं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

ये दोनों लड़के हाई स्कूल और इन्टर पास कर के इन्टर और डिगरी कालेज में दाखिले के लिए गये थे। दोनों फर्स्ट डिवीजनर थे। दाखिले में कोई दिक्कत नहीं हुई। दाखिला तो वैसे भी हो ही जाता है।

*३८---श्री कमलासिंह यादव---

[चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*३९---श्री हरीशकुमार गंगवार---

[चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*४०-४२---श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

[चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*४३-४४---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

[चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*४५---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

[तीसरे सोमवार के लिए प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हरिजन प्रिंसिपल

*४६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में राजकीय हाई स्कूलों, इण्टर कालेजों तथा दीक्षा विद्यालयों के प्रिंसिपलों तथा प्रधानचार्यों की अलग-अलग कुल संख्या क्या है और उन में से प्रत्येक में कितने हरिजन वर्ग के प्रिंसिपल एवं प्रधानाचार्य हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

आंकड़े इस प्रकार हैं :—

विद्यालय		प्रधानाध्यापक/ प्रिंसिपल की संख्या	प्रधानाध्यापक/ प्रिंसिपल जो हरिजन हों
१—राजकीय हाई स्कूल	..	३९	..
२—राजकीय इण्टर कालेज	..	६५	१
३—राजकीय दीक्षा विद्यालय	..	१२४	४

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सरकार ने हरिजनों के लिए १८ प्रतिशत स्थानों की सुरक्षा प्रदान की है लेकिन १७ सालों के प्रयत्न के बाद भी सरकार उस को पूरा नहीं कर पायी है। १०४ राजकीय हाई स्कूल और इण्टर कालेजेज में से केवल एक हरिजन प्रिंसिपल है और १२४ राजकीय डिग्री कालेजेज में केवल ४ हरिजन प्रिंसिपल हैं, ऐसा रखने से सरकार का क्या मकसद है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह स्थिति जरूर है कि पूरी तरह इसको लागू नहीं कर पाये हैं। कभी मिल नहीं पाते और कभी और दूसरी बातें हो जाती हैं। फिर भी जहां प्रोमोशन का सवाल होता है उस में १८ प्रतिशत का नियम लागू नहीं होता। जहां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वहां ज्यादा से ज्यादा इस नियम को पालन करने का प्रयत्न किया जाता है।

सचिवालय के शिक्षा विभाग में हरिजन

*४७—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वयं शिक्षा मन्त्री के सेक्रेटेरिएट कार्यालय एवं शिक्षा संचालक के कार्यालय में कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं, उनमें से कितने हरिजन हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

आंकड़े इस प्रकार हैं—

कार्यालय	कुल संख्या		हरिजन की संख्या	
	अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी
सचिवालय	६	१२९	..	६
निदेशालय	२६	६६०	..	२४

त्रिभाषा सूत्र तथा बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा

*४८—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि त्रिभाषा शिक्षा नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम निश्चित किया गया है उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कोई प्रतिरोध उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजा है? यदि हां, तो वह क्या है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिरोध नहीं भेजा है। किन्तु त्रिभाषा सूत्र के लागू करने के सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र द्वारा विचार विनिमय होता रहा है। उनके सुझाव निम्नलिखित हैं—

(१) त्रिभाषा सूत्र में उर्दू को भी स्थान दिया जाय।

(२) प्राचीन भाषा होने के कारण इस सूत्र में संस्कृत को स्थान देना उचित न होगा।

(३) दक्षिणी भारतीय भाषाओं को विशेष रूप से पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाय।

(४) त्रिभाषा सूत्र का रूप ऐसा न हो कि अल्पसंख्यकों को चार भाषायें पढ़नी पड़ें।

उत्तर प्रदेश शासन ने इन पर अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं—

(१) त्रिभाषा सूत्र में उर्दू को भी स्थान दिया गया है।

(२) उत्तर प्रदेश शासन संस्कृत भाषा को त्रिभाषा सूत्र से अलग करना उचित नहीं समझता, क्योंकि यह भाषा भी भारतीय संविधान में दी हुई भारतीय भाषाओं की सूची में सम्मिलित है।

(३) उत्तर प्रदेश शासन ने दक्षिणी भारतीय भाषाओं को पढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है और १० बड़े-बड़े जिलों में दक्षिणी भारतीय भाषाओं को पढ़ाने का प्रबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में पांच या पांच से अधिक विद्यार्थियों ने दक्षिणी भारतीय भाषाएं पढ़ाने की मांग की, उन्हें भी इन भाषाओं को पढ़ाने के लिए आज्ञा तथा अनुदान दिया गया है।

(४) भारत सरकार का चौथा सुझाव भी स्वीकार कर लिया गया है और इस प्रदेश में किसी अल्पसंख्यक को त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत तीन से अधिक भाषाएं नहीं पढ़नी पड़ेंगी।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार त्रिभाषा सूत्र का रूप उत्तर प्रदेश में इस प्रकार होगा—

(१) क्षेत्रीय भाषा (हिन्दी)।

(२) कोई एक भारतीय भाषा जो भारतीय संविधान में दी गयी है (इसमें अन्य भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त उर्दू तथा संस्कृत सम्मिलित है)।

(३) अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा।

*४९—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में दसवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने का निश्चय किया गया है? यदि हां, तो वह कब से लागू किया जायगा?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी हां। केवल बालिकाओं को दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने का निश्चय हुआ है और वह पहली जनवरी, १९६५ से लागू हो गया है।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिभाषा फार्मूला की जो नीति अपनाई है उसमें और क्षेत्रीय भाषा में भी हिन्दी आ जाती है और भारतीय भाषाओं में संस्कृत, यूरोपीय भाषा में अंग्रेजी आ जाती हैं, यानी वही ३ भाषाएं जो उत्तर प्रदेश में इस समय प्रचलित हैं और कोई दक्षिणी भाषा नहीं आती है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

माननीय सदस्य ने सम्भवतः इस पर ध्यान नहीं दिया कि कोई एक भारतीय भाषा जो भारतीय संविधान में दी गई हो और इसके अंदर उर्दू, संस्कृत, तमिल, तेलगू, इत्यादि ये सारी भाषायें आ जाती हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

जो फार्मूला सरकार ने निश्चित किया है और कन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया है क्या वह त्रिभाषी फार्मूला में आ जाता है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यही स्थिति है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कौन-सी दक्षिणी भाषा पढ़ाई जा रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जो भी स्कूल पढ़ाना चाहें उन्हें हम अनुदान और शिक्षक देने के लिए तैयार हैं। माननीय सदस्य चाहें तो उनके लिए भी प्रबन्ध है।

श्री कृष्णानन्द राय—

भारतीय भाषाओं के पढ़ाने के लिए प्रदेशीय सरकार ने बंगला, गुजराती, तमिल, इत्यादि जानने वाले शिक्षकों की नियुक्ति राजकीय विद्यालयों में की है या नहीं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पार्ट-टाइम जो आदमी उपलब्ध हैं वही पढ़ाते हैं।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि राजकीय स्कूलों में दक्षिणी भाषाओं के पढ़ाने की नीति निर्धारित नहीं की गई तो उत्तर प्रदेश में लोग संस्कृत और उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे दक्षिण भारत में असन्तोष होगा, तो ऐसी स्थिति में दक्षिण की भाषाओं के पढ़ाने का राजकीय स्कूलों में ठीक से प्रबंध करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस वक्त मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं, शायद आप लोगों के पास हों। लेकिन पिछले दिनों में अलग-अलग भाषा के लिए टीचर रखे हैं और इनमें तमिल टीचर भी हैं। अभी मद्रास में दौरा कर रही थी, उस समय भाषा का काफी वातावरण बना हुआ था, तो मैंने मीटिंगों में कहा कि १० केन्द्र हमने तमिल की शिक्षा देने के लिए बनाए हैं। इससे लोगों में वहां काफी सन्तोष था।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मन्त्री जी जो इस समय प्रदेश में बहुत-सी शैक्षिक संस्थाएं हैं, उनसे सहयोग लेंगे ताकि दक्षिणी भाषाओं के पढ़ाने में मदद मिल सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

२०० टीचर्स हमने मांग रखे हैं। इसमें हम सब का सहयोग चाहते हैं। यहां भी नेशनल इन्टर कालेज में, पास ही, शाम को एक्स्ट्रा क्लासेज लगते हैं। वहां तमिल का प्रबन्ध है। माननीय सदस्य चाहें तो वहां देख सकते हैं।

श्री उग्रसेन--

माननीय मन्त्री जी माननीय सदस्यों के पास इसकी विधिवत् सूचना भेजवा दें कि माननीय सदस्यों को तमिल, बंगला आदि भाषाओं को पढ़ने के लिए वे क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं और कब तक यह व्यवस्था हो जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

माननीय सदस्य इसके लिए काफी संख्या में तैयार हों तो उसकी व्यवस्था हो जायेगी। ऐसे भी ६ बजे से ७ बजे तक सायंकाल माननीय सदस्यों के नजदीक ही नेशनल कालेज में क्लासेज लगते हैं। माननीय सदस्य उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इससे हमें बड़ा हर्ष होगा और इसका हम स्वागत करेंगे।

*५०--श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री कृष्णानन्द राय--

[हटा दिया गया।]

*५१--श्री रक्षपालसिंह--

[२६ फरवरी, १९६५ के लिए स्थगित किया गया।]

*५२-५३--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

[तीसरे बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गाजीपुर जिले में निर्माण-कार्य

*५४--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के (Division) की स्थापना कर दी गई है ? यदि हां, तो उसके खुलने के बाद गाजीपुर में कौन-कौन से निर्माण-कार्य लिए गए हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां, आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२२८ पर)

*५५--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

[२६ फरवरी, १९६५ के लिए स्थगित किया गया।]

नोट--तारांकित प्रश्न ४९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

राजकीय इंटर कालेज, फतेहपुर में हरिजन छात्र

*५६—श्री रघुवीरसहाय कँथवार—

दिनांक २१ फरवरी, १९६४ के प्रश्न सं० ९ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६३ की सालाना परीक्षा में उक्त कालेज की प्रत्येक कक्षा में कितने बैकवर्ड हरिजन छात्र असफल हुए हैं और जुलाई, १९६३ में उनमें से कितने हरिजन बैकवर्ड छात्र रखे गए और कौन-कौन निकाल बाहर किए गए तथा कितने बाहर के हरिजन छात्र दाखिल किए गए ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना संलग्न तालिका में अंकित है। किसी हरिजन अथवा बैकवर्ड असफल को निकाल बाहर नहीं किया गया।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२२९ पर)

राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, रायबरेली के ठेले

*५७—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय में रायबरेली में १ जनवरी, सन् १९६४ से सितम्बर, १९६४ तक कितने ठेले प्रतिमास लड़कियां ले जाने के लिए काम करते रहे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

दो ठेले।

*५८—श्री रतीपाल—

क्या यह सत्य है कि प्रतिमास अधिकतर लड़कियों को पैदल अपने घर से आना-जाना पड़ता है यद्यपि उनसे ठेले की फीस पूरे महीने की ली जाती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

*५९—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

[२६ फरवरी, १९६५ के लिए स्थगित किया गया।]

*६०-६२—श्री उग्रसेन—

[चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में अध्यापकों का प्रावीडेन्ट फंड न जमा होना

*६३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में कितने ऐसे स्कूल और कालेज हैं जिनमें अध्यापकों के अपने हिस्से का भी प्राविडेंट फंड ३० नवम्बर, सन् १९६४ तक मनेजमेंट द्वारा जमा नहीं किया गया है ? इस दुर्व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या मन्त्री जी अनुदान से उक्त प्राविडेंट फंड की रकम जमा कराने पर विचार करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जौनपुर जिले में ऐसे विद्यालयों की संख्या २४ है। विद्यालयों के अनुपालन अनुदान से प्राविडेंट फंड की संदर्भगत धनराशि जमा कराना उचित न होगा क्योंकि अध्यापकों के वेतन भुगतान पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रयोजन के लिए कोई अनावर्तक अनुदान भी देना सम्भव नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक यह प्रयास कर रहे हैं कि संस्थाओं के प्रबन्धक इस धनराशि को निजी स्रोतों से जमा करें। यदि प्रबन्धकों ने इस ओर आवश्यक कदम न उठाए तो अनुपालन अनुदान से काट कर शेष धन जमा करने पर विचार किया जायेगा।

*६४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिले में कौन-कौन से ऐसे स्कूल हैं जो अध्यापकों को पूरे महीने तथा साल का वेतन पूरा-पूरा नहीं देते? क्या इसकी जांच सी० आई० डी० के जरिए कराने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश—

अध्यापकों को पूरा-पूरा वेतन न देने के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। अतः सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा तहसील में श्रमदान द्वारा निर्मित मार्ग

*६५—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा तहसील में श्रमदान द्वारा बनाई हुई सड़कों को पक्का कराने का निर्माण-कार्य सरकार शुरू कर रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं।

*६६-६७—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—

[२६ फरवरी, १९६५ के लिए स्थगित किये गये।]

*६८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[२६ फरवरी, १९६५ के लिए स्थगित किया गया।]

अतारांकित-प्रश्न

बाबा गयादास टेक्निकल हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरहज को अनुदान

१—श्री उग्रसेन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६३-६४ में बाबा गयादास टेक्निकल हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरहज, जिला देवरिया को किन-किन मदों में अनुदान दिया गया है?

श्री कैलाशप्रकाश—

केवल ३,०७२ रु० का अनुरक्षण अनुदान दिया गया था।

२—श्री उग्रसेन—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि उक्त विद्यालय के मैनेजर ने शिक्षा विभाग के पास इस वर्ष भवन के अनुदान के लिए कोई आवेदन-पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। यह अभी विचाराधीन है।

३–५—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

६–८—श्री नेकराम शर्मा—

[१८ फरवरी, १९६५ को उत्तर दिया गया।]

बेसिक स्कूलों में शिक्षा-प्रसार के लिये पत्रिकायें

९—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि दिनांक २७ जुलाई, १९६४ को उन्हें प्रोफेसर यू० एस० असरानी, सदस्य, यू० पी० बेसिक एजूकेशन बोर्ड की तरफ से प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने कानपुर बेसिक स्कूलों में दैनिक और साप्ताहिक पत्रिकाओं के बारे में लिखा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। इस पत्र में जिला कानपुर के दो शिक्षा प्रसार वाचनालयों तथा कुछ जिला परिषद् के स्कूलों में 'नया भारत', के साप्ताहिक लेने के बारे में लिखा था। इस पत्र का उत्तर दिनांक २५ सितम्बर, १९६४ को दे दिया गया।

१०—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि नया भारत उन दैनिक या साप्ताहिक पत्रिकाओं में शामिल है जिनके लिये एजूकेशन इन्स्पेक्शन आफीसर, इलाहाबाद ने प्रदेश के बेसिक प्राइमरी स्कूलों में मंगाये जाने की आज्ञा दी?

श्री कैलाशप्रकाश—

शिक्षा प्रसार पुस्तकालयों (जो प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूलों में स्थित हैं) के लिये पत्र, पत्रिकायें एवं पुस्तकों का चुनाव करने के लिये हर साल शासन द्वारा एक समिति बनाई जाती है जो अनेक पत्रिकाओं एवं पुस्तकों को इस हेतु निर्विष्ट धनराशि में से खरीदने के लिये चुनती है। इस समिति के सचिव, शिक्षा प्रसार अधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद होते हैं, और चुनी गई पुस्तकों, पत्र, पत्रिकाओं को क्रय करते हैं। पिछले वर्ष या इस वर्ष पुस्तक चयन समिति द्वारा 'नया भारत' नहीं चुना गया।

११—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्होंने कोई ऐसा आदेश जारी किया है जिससे किसी भी पोलीटिकल पार्टी की पत्रिका को बेसिक प्राइमरी स्कूलों में मंगाया जा सकता है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। ऐसा कोई आदेश नहीं जारी हुआ।

देवरिया से मजदूर संघ की मांगें

१२—श्री उग्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ, देवरिया के वार्षिक सम्मेलन के द्वारा पारित प्रस्ताव नवम्बर, सन् १९६४ में प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर कौन-सी कार्यवाही हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत—

वार्षिक सम्मेलन द्वारा पारित नहीं, परन्तु ग्राम सभा द्वारा की गई कुछ मांगें शासन के पास ग्राई हैं, जो विचाराधीन हैं।

अंग्रेजी साहित्य वितरण पर की गयी आपत्ति के संबंध में जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कल आपने निर्देश किया था कि इस बात की जांच करा लेंगे कि अंग्रेजी में वह साहित्य क्यों छपा, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस पर आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी उसको देखा नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

दूसरी बात की तरफ मुझे आपका यह ध्यान दिलाना है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के सम्बन्ध में जो साहित्य यहां बंटा है वह सब अंग्रेजी में है जिससे हम लोगों को समझने में बड़ी असुविधा होती है। तो क्या आप इसकी व्यवस्था करेंगे कि इसका हिन्दी अनुवाद करके हम लोगों को मिल जाय ताकि हमें उसे समझने में आसानी हो ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर मैं विचार कर लूंगा।

नियम ५२ तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत कुछ सूचनायें आयी थीं। उनको मैंने अस्वीकार कर दिया है, माननीय सदस्य देख लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय उप-स्वास्थ्य मंत्री और डाइरेक्टर के खिलाफ दिया था, तो उस सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

उसको मैं कल देख लूंगा।

विविध विषय

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज भी कहता हूं कि रिपोर्टरों को लिखने में बड़ी असुविधा होती है...

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये मैंने आदेश दे दिया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्री को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब वे मुख्य मंत्री सम्मेलन में भाग लेने जाने वाली हैं जहां कि भाषा सम्बन्धी मामले पर भी विवाद होगा, तो वहां जाने से पहले इस विधान सभा के द्वारा हम लोगों के भी विचार सुन लें तो अच्छा रहेगा। मैं भी उनको एक पत्र इस सम्बन्ध में लिख रहा हूं लेकिन इसके लिये आप भी इशारा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप पत्र लिख दें।

१९६५-६६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक का मैं समर्थन करता हूं और केवल एक प्रश्न के ऊपर कुछ बातें आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं तथा उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित कर देना चाहता हूं।

एक बात यह कि प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद अब चौथी पंचवर्षीय योजना भी सामने आ गयी है। श्रीमन्, नियोजन तो गरीब जनता के लिये किया गया तथा योजनायें गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा को दूर करने के लिये बनायी गयी हैं। उस नियोजन से गरीब जनता की यह आकांक्षा थी कि उनको वस्त्र, भोजन, दवा और शिक्षा देने का आश्वासन मिलेगा। योजनाओं के साथ-साथ हजारों करोड़ रुपये देश में और सैकड़ों करोड़ रुपये इस प्रदेश में खर्च किये गये, लेकिन इतना खर्च किये जाने के बाद भी देश के कर्णधारों का सपना अभी साकार प्रतीत नहीं हुआ है। जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुईं। चिराग जले, प्रकाश न हो। श्रीमन्, इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि नियोजन में, प्रदेश में सैकड़ों रुपये खर्च हुए। मूल्य वृद्धि हुई, महंगाई आई, मुद्रा प्रसार हुआ। यह सब चीजें नियोजन में पैदा हुईं। योजनाओं में दिक्कत यह थी कि कृषि और उद्योग में जितना पैसा योजनाओं पर व्यय हुआ उस हिसाब से कृषि और उद्योग की प्रगति पूरी नहीं हुई। परिणाम जो होना था, वह सामने प्रत्यक्ष मौजूद है। मैं चाहता यह था कि इसके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाता कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी शक्ति प्रदेश की सरकार में है और किस तरह यह नियोजन पूरा होगा। श्रीमन्, असन्तोष का जहां तक प्रश्न है, वह आपके सामने इस सदन के करीब-करीब सभी पक्षों के सदस्यों ने यह बात प्रस्तुत की है।

योजना में आज एक बड़ी भारी दिक्कत है जो मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। १९५० का जो रुपया था उसकी कीमत १९६४ में १७ नये पैसे के बराबर है। साढ़े २२ हजार केन्द्र की योजना और सैकड़ों करोड़ की योजना हमारे प्रदेश की बनाई गई है। अगर रुपये की कीमत १७ नये पैसे है, १९६४ में, तो श्रीमन्, १७ प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की सम्भावना की जा सकती है, बशर्ते कि उस योजना व्यय में प्रशासन व्यय, प्रतिष्ठा व्यय, और अपव्यय न शामिल हों तो १७ प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति सम्भव है और अगर प्रशासन व्यय, प्रतिष्ठा व्यय और अपव्यय यह भी शामिल हो गये उस योजना व्यय में तो, उसकी परसेंटेज नीचे उतरेगी। इसे भी गम्भीरतापूर्वक वित्त मंत्री महोदय को विचार करना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने योजना व्यय में कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते बढ़ा दिये, आंशिक राहत आपने दी। योजना में व्यय का मतलब यह है कि पूंजी का निर्माण हो और इस आंशिक राहत से मुद्रा प्रसार बढ़ेगा।

---

† १८ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही से।

[श्री जे० पी० मिश्र]

हम इस प्रदेश की जनता को सन्तोष नहीं दे पा रहे हैं। यह बात सही है कि यह महंगाई और मुद्रा वृद्धि का कारण उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है। यह पूरे देश की समस्या है। मूल्य वृद्धि और महंगाई जो इस समय है, इसमें उत्तर प्रदेश का कम से कम हाथ है। इसमें कुछ प्राकृतिक संकट भी शामिल है। इस सरकार ने हजारों प्रयत्न किये कि कृषि की उन्नति हो, लेकिन प्राकृतिक संकटों ने कृषि की उन्नति में बाधा डाली और बाधा इतनी ही नहीं डाली, करोड़ों एकड़ सैलाब तथा करोड़ों एकड़ पाले में इस प्रदेश को नुकसान हुआ नतीजा यह हुआ कि इस प्रदेश को प्राकृतिक संकटों ने अन्न के मामले में तबाह किया। कृषि की उन्नति में अड़चनें पैदा हुईं और प्राकृतिक संकटों के कारण जब कृषि की उन्नति न हो सकी तो नतीजा यह हुआ कि यह महंगाई आई। कांग्रेस दल की सरकार यहां या दिल्ली में हो या किसी भी दल की सरकार हो मेरा खयाल है कि इन प्राकृतिक संकटों के मुकाबले में इस कृषि की अवनति को नहीं रोक सकती थी।

उद्योगों का जहां तक सम्बन्ध है आपके सामने देश के और प्रदेश के आंकड़े मौजूद हैं प्रदेश में औद्योगिक उन्नति जिस प्रकार हुई है और हो रही है उसको बार बार इस सदन में दोहराना ठीक न होगा। मुझे तो एक जो बहुत बड़ा भय है वह यह है कि मूल्य वृद्धि के कारण अनुमान गलत हो जाते हैं। भविष्य में योजनाओं और उनके अनुमानों पर से विश्वास उठता जा रहा है जब अनुमानों पर से विश्वास उठ जायगा तो नियोजन कैसे सम्भव होगा यह प्रश्न हमारे सामने है। इसलिये इस महंगाई और मूल्य वृद्धि का जितनी जल्दी खातमा होगा उतना ही अच्छा होगा।

एक बात और कहूंगा। वह यह कि इस प्रदेश के काश्तकारों की जो हालत है यह किसी से छिपी नहीं है। खेती है तो पानी नहीं पानी है, तो खाद नहीं, खाद है, तो पैसा नहीं और ६० प्रतिशत जोतें आज गरीब किसानों की बिलकुल अनएकोनामिक हैं। महाराष्ट्र में, बंगाल में और मध्य-प्रदेश में जो बजट आये हैं वे घाटे के बजट हैं। उन्होंने नये करों के लिये किसी तरह की बात नहीं कही है और साफ तौर पर कह दिया है कि हम नये कर नहीं लगायेंगे। किसानों के सारे साधन, खाद, पानी, बीज, हर तरह की व्यवस्था होना चाहिए। उनके ऊपर एक भी पैसा बढ़ाना गरीब जनता के साथ नाइंसाफी होगी। योजना को आगे बढ़ाने के लिये किसानों को राहत दी जाय, मदद दी जाय। उनके ऊपर बीज, खाद का जो करोड़ों रुपया कर्ज लदा है वह माफ किया जाय और उनको जिन्दा रखा जाय। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की सरकार को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि माननीय नेता एस० एस० पी० और माननीय नेता, जनसंघ और अन्य उधर के नेता चाहे जितनी हवायें उड़ायें और देश में कैसी ही बातें फैलायें; लेकिन अगर यह सरकार गरीब किसानों से प्रेम और मोहब्बत रखने को तैयार है, उनकी दिक्कतों को देखने को तैयार हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इन १८८ में से सन् ६७ में मुश्किल से १२–१५ ही यहां आ सकेंगे बशर्ते कि जनता की तकलीफों की तरफ सरकार का ध्यान लगा रहे।

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट को देखने से और पढ़ने से ऐसा लगा कि यह भोली सरकार रो रही है और इस सत्तारूढ़ दल के भीतर ही भीतर जो ज्वाला सुलग रही है। उसके वह आंसू सूख कर अक्षर बन गये हैं और श्री कैलाश प्रकाश जैसे गणितज्ञ और विद्वान ने इन शब्दों में सरकार का रोना भी रोया है कि महंगाई बढ़ गयी है। कानपुर के लिए मूल्यांक सितम्बर, १९६२ में ११० से बढ़ा कर सितम्बर १९६३ में ११३ और सितम्बर, १९६४ में १५२ हो गया। नीचे आप कहते हैं कि खाद्यान्नों के लिए यही अंक जबकि समस्त देश के लिए सितम्बर, १९६३ में १३९ से बढ़ा कर सितम्बर, १९६४ में १६१ हुआ किन्तु कानपुर के लिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसी समय में ११२ से १६९ हो गया। श्रीमन्, यह रोना नहीं तो क्या है? हमने प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाई और तृतीय पंचवर्षीय योजना का यह आखिरी साल ह जिसमें यह रोना इस सरकार का है।

यह सही है कि माननीय सुचेता कृपालानी जी प्रजातंत्रीय पद्धति के लिए एक ईमानदार लेडी हैं लेकिन अगर समाजवादी व्यवस्था लाने वाली सरकार सुचारु तरीके से प्रशासन के पहलू पर ध्यान दे तो पता चलेगा कि प्रजातंत्र का घोड़ा दो प्रकार से चलता है। माननीय गोविन्दसहाय जी ने स्पष्ट कहा था कि प्रशासकीय अधिकारी जो हैं उनके हाथों में यह सरकार खेल रही है। हमारे अधिकारी चाहे वे भ्रष्ट भी हो जायें तो भी अगर हम उनसे ज्यादा भ्रष्ट हैं तो यह कहने का दावा नहीं करते कि उनके हाथ खेले जायेंगे। प्रजातंत्र में अपनी कमजोरियों को उन पर थोपना गलत है। दूसरे सरकार ने यह क्या किया कि कम तनख्वाह पाने वाले को कम महंगाई भत्ता दिया और ज्यादा वेतन पाने वाले को ज्यादा महंगाई भत्ता दिया। क्या यही समाजवादी पद्धति है?

कल फासिज्म की आशंका पर माननीय बनारसी दास जी ने जिन्हें हम गौबिल्स कहते हैं, कहा था। फासिज्म वहां आता है जहां पर जनता जनतंत्र के भ्रष्ट नेताओं से ऊब जाती है तो वे पीछे लौटना चाहते हैं। इतिहास घूमता है। पुराने जमाने के सामन्तों से ऊब कर ही शासन को कांग्रेस के हाथ में दिया। आज जनसंघ और स्वतंत्र पार्टियां भी राजा महाराजाओं की हैं और हिन्दुस्तान में जो दूसरी पार्टी हैं जैसे मसानी वगैरह की वह भी राजा महाराजाओं की हैं। अब जनता आपके भी कारनामों से ऊब रही है। आप अपनी सफाई नहीं करना चाहते हैं। जनतंत्र जब शुद्ध होगा तो उसके भीतर से ही समाजवाद निकलेगा। अतः जनतंत्र को शुद्ध होना पड़ेगा।

केन्द्रीय सरकार ने १९५९ में पब्लिक सर्विसेज पर एक रिपोर्ट छापी थी, उसमें कहा गया है कि हम जो स्कीमें चलाते हैं वह नहीं चलती। गाड़ी चलाने का काम किसका है? यह काम मंत्रिमंडल का है। और गाड़ी गलत रास्ते पर चली गयी इसकी आलोचना करने का मेम्बरों का अधिकार है, लेकिन अगर कैबिनेट के मेम्बर तथा विधायक हर एक पुर्जे को देखने लगें तो कोई न कोई दुर्घटना अवश्य हो जायगी। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर प्रशासक है और उसकी मशीनरी भ्रष्ट है। प्रशासक मशीनरी के भ्रष्ट तत्व और नेताओं के भ्रष्ट तत्व आज मिल गये हैं, दोनों में साझेदारी है। आज जो अच्छा तबका प्रशासकों में है वह दम घोट रहा है और जो अच्छे कार्यकर्ता तथा अच्छे नेता हैं वे भी दम घोट रहे हैं। यह फासिज्म की परिस्थिति है। कांग्रेस में एक समाजवादी दल कहा जाता है और दूसरा प्रतिक्रियावादी दल। कोई विजिलेंस कमीशन बैठे और छानबीन करे तो यही पता चलेगा कि दोनों नम्बरी हैं। इसलिये सुचेता जी दोनों के बीच में तप रही हैं। यहां पर जातिवाद है। अच्छा ब्राह्मण देश के लिये जितना अच्छा है उतना ही अच्छा चमार है लेकिन सुचेता जी बंगालिन हैं। कम से कम उनको फ्री होकर काम करने दिया जाय।

खाद्य समस्या का जहां तक सवाल है आप किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दें जितनी रकम आप मिल मालिकों तथा सेठों को देते हैं उतनी ही रकम किसान को दीजिये तो आपकी खाद्य समस्या अच्छी हो जायगी। लेकिन आप खाद्य समस्या को बनायें पूंजीपतियों की सलाह से तो वह चल नहीं सकती। वह तो किसानों के हाथ से ही चल सकती है। जब किसान देखता है कि बनिया खूब मुनाफा उठा रहा है तो किसान भी अपनी पैदावार को छिपाने को मजबूर हो जाता है। किसान तो किसान है और वह यह कैसे देख सकता है कि उसकी कमाई का पैसा उसके पास न आये? बनिया उसे खा जाय, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिर सड़कें किसानी क्षेत्र में कितनी बनाई गईं। कितने ब्लाक सेन्टर योजनान्तर्गत सड़कों के किनारे बने? आपकी सारी योजना कागजी हैं और जिला बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य जो प्रस्ताव पास करते हैं वह भी आपके सिद्धान्त के खिलाफ होते हैं। आप एक रिवेल्यूएक्शन कमेटी बनाइये और ऐसी कमेटी बनाइये जिसमें शुद्ध तत्वों को लाइये।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा जो हुई उसमें खास बात यह रही कि यह सरकार भारतवर्ष के नागरिकों को खिलाने पिलाने और उनकी व्यवस्था करने के लिये जिम्मेदार है। कानूनी दृष्टिकोण से मैं बतलाता हूं कि जो सरकार जनता की व्यवस्था के लिये जिम्मेदार है उसे यह भी अधिकार है कि वह जनता से काम ले सके। मैं समझता हूं कि इस ओर हमारी सरकार की उदासीनता रही है और जिनके पास काम नहीं है उनका सर्वे इस मुल्क में नहीं किया गया। इस प्लानिंग के जमाने में बेकारी का सर्वे किया जाता और उसे कम किया जाता तो उचित होता। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर कदम बढ़ायेगी।

दूसरे हमारे देश में इंडस्ट्री की चर्चा बड़े पैमाने पर ही की जाती है परन्तु खेद होता है कि उन लोगों की बुद्धि पर जो इंडस्ट्री चलाने का भार अपने कन्धों पर लिये हुये हैं और जो अपने को एक्सपर्ट समझते हैं। वह समझते हैं कि अमरीकन डालर्स को इंवेस्ट करके हिन्दुस्तान को समृद्धशाली बना देंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अमरीकन डालर्स प्राइवेट इंडस्ट्रीज में इंवेस्ट हो गये तो जितने आपके पब्लिक सेक्टर और कोआपरेटिव सेक्टर हैं वे सब खत्म हो जायेंगे। यह हिन्दुस्तान का सारा विकास गुमराह कर देगा। इसलिये मैंने स्टैंडिंग कमेटी में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाया था पहाड़ी क्षेत्रों की ओर, लेकिन खेद है कि उन्होंने एक उपहास के साथ व्यवहार किया।

अधिष्ठाता महोदय, क्या पहाड़ों का विकास इन योजनाओं के द्वारा हो सकता है जो हमारे प्रदेश के मैदानी इलाके में चलाई गई हैं और पहाड़ी इलाकों में लागू कर दी गई हैं? अगर हम दुनिया के अनुभव और तजुर्बे से कुछ न सीखें तो हम अपने को और मुल्क को गुमराह करते हैं। पहाड़ों के ऊपर उन्हीं इंडस्ट्रीज को पनपाया जा सकता है जिनका वैल्यूम कम हो और कीमत ज्यादा हो। जैसे स्विजरलैंड में घड़ियां बनती हैं। इसी तरह से हमारे यहां पेन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, घड़ियों वगैरा की इंडस्ट्रीज चलाई जायं और उसके लिये बड़े पैमाने पर टेक्निकल शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय और टेक्नोलौजी के इंस्टीट्यूशन्स खोले जायं। जब तक यह नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि पहाड़ों के ऊपर सरकार का प्रयास विकास करने का बिलकुल निल रहेगा।

तीसरी बात यह है कि हमारे यहां फूड प्रोडक्शन पर घोर असन्तोष है इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। मुझे खेद और तकलीफ होती है कि हमारे देश के नेता जो हमारे आर्थिक सूत्र के कर्णधार हैं वह इसके लिये सक्षम नहीं हैं। जब मुल्क में प्रोडक्शन की स्केयरसिटी हो तो इसको सबसीडाइज करके टाप प्रायोरिटी देनी चाहिये। अगर इनकी बुद्धि में यह चीज न आये तो दुनिया के दूसरे देशों से फायदा उठायें। अरबों रुपया जो विदेशों को भेज कर अनाज प्राप्त किया जाता है अगर वह हिन्दुस्तान के प्रोडक्शन करने वालों में बांट दिया गया होता तो मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क से भुखमरी लापता हो गई होती। फूड ग्रेन्स का जो रोजाना एक बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट होता है वह इस बात को साबित करता है कि हम अपने मुल्क के इन्तजाम करने में सक्षम नहीं हैं।

श्रीमन्, जहां तक क्रैश प्रोग्राम का सवाल है उस पर लाखों रुपया बढ़ाया गया है। श्रीमन्, समय भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है। श्रीमन, पहाड़ के सब लोगों की ओर सदन का ध्यान नहीं गया है। अगर प्रदेश का शासन समझता है कि पहाड़ी जिलों का बोझ उसके ऊपर बेकार पड़ा हुआ है तो हम इसको बरदाश्त नहीं कर सकते हैं और हमें बाहर निकाल दिया जाना चाहिये। पहाड़ों के लिये प्लानिंग बोर्ड अलग होना चाहिये क्योंकि पहाड़ों की समस्या निराली है। वहां की सिविक्स, जाग्रफी दूसरी है। उसका रहन सहन बिलकुल मुख्तलिफ है। वहां की समस्या अलग है। इसलिये मैं कहता हूं कि जो प्लानिंग बोर्ड होना चाहिये वह भी सेप्रेट होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पहले हमारी भारत सरकार की यही राय थी कि जब तक पहाड़ी जिलों का विकास प्लेन के जिलों के बराबर न हो जाये तब तक पहाड़ी

जिलों को सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड होना चाहिये। मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता से इस बात को कहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

अध्यक्ष महोदय, जो यह बजट पेश हुआ है, उसके लिये मुझे यह अर्ज करना है कि घाटे का बजट पेश होने के माने हैं कि सरकार पब्लिक पर टैक्स लगाना चाहती है। अभी तक जितने वर्ष हुये हैं, सब में हमारे सामने घाटे का ही बजट आया है और बराबर सरकार जनता पर टैक्स लगाती आ रही है। यहां पर लोगों ने सुझाव दिया कि सरकार बजाय जनता पर टैक्स लगाने के अपना खर्च कम करे। उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि इस सरकार का एक सार्वजनिक निर्माण विभाग है, जिसको यदि सरकार अपने हाथ में लेले तो करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है। जमींदारी प्रथा को जब कांग्रेस सरकार ने खत्म किया था तो उसने कहा था कि हम इन्टरमीडियेटरी लोगों को खत्म कर रहे हैं। किन्तु इस विभाग में बहुत से बीच के लोग घुसे पड़े हैं। सरकार ने इस विभाग से ठेकेदारों को समाप्त नहीं किया, ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त नहीं किया और वह अब भी चले आ रहे हैं। निर्माण कार्यों में से इंजीनियर, ओवरसियर और ठेकेदार के लिये पैसा अलग किया जाता है। इस प्रकार एक बहुत बड़ा पैसा रिश्वत में चला जाता है और जो असली रुपया निर्माण कार्य में लगता है वह कम लगता है। यदि सरकार निर्माण विभाग को अपने हाथ में लेकर ठेकेदारी की प्रथा को खत्म कर दे तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी बचत होगी, क्योंकि ठेकेदारों के ही कारण इंजीनियरों और ओवरसियरों की जेब में पैसा जाता है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि खाद्य समस्या जो इस प्रदेश में बहुत उग्र है, उसके सम्बन्ध में सरकार को सचेत होना चाहिये। खाद्य समस्या का कारण गल्ले की कम उपज सरकार की तरफ से बताया जाता है, मैं कहता हूं कि गल्ला कम पैदा होने के लिये सरकार जिम्मेदार है। जमींदारी खत्म होने से पहले आगरा टेनन्सी ऐक्ट लागू था और उसमें बड़े जमींदारों को वह अधिकार था कि वह छोटे काश्तकारों ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सदन को लाबी की तरह प्रयोग न करें।

श्री गिरवरप्रसाद—

छोटे किसानों, भूमिहीनों को जमीन काश्त पर उठा सकता था। उसका नतीजा यह था कि वह भूमिहीन और छोटा किसान भी उसे जोत सकता था और अपना पेट पाल सकता था। किन्तु जमींदारी खत्म होने के बाद सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि जिसके कोई सिर पैर नहीं है और उसीका नतीजा यह है कि कोई काश्तकार अपनी जमीन नहीं उठा सकता चाहे उसकी जमीन भले ही खाली पड़ी रहे। उसका परिणाम यह है कि पैदावार कम हुई है। बड़े बड़े किसानों के पास न जाने कितनी भूमि बिना जुते पड़ी रहती है।

दूसरा कारण यह भी है कि अंग्रेजों के जमाने में कोई ऐसी हत्यायें नहीं होती थीं जैसी कि आजकल बन्दर, आदि पकड़े जाते हैं और उनकी हत्या की जाती है। मैं समझता हूं कि इससे भी बड़ा बुरा असर दुनिया पर और आदमियों पर पड़ता है। जो लोग ईश्वर को मानने वाले हैं, उनको समझना चाहिये कि इसका भी बड़ा असर हुआ है और पैदावार घट गई है। कांग्रेस सरकार ने मत्स्य पालन विभाग और मुर्गी पालन विभाग खोल रखे हैं और उनकी पैदावार को अधिक बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। इसके माने हैं कि वह गल्ला न खायें। मछली और अंडे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरवरप्रसाद]

खायें । ईश्वर देखता है जैसी आपकी नीयत है, वैसा हो गया है । इसके लिये सरकार जिम्मेदार है । जिस तरह से दुनियां चली आ रही थी उसी तरह से दुनिया चलती तो खाने वाले खाते और और अन्न की कोई कमी न पड़ती । यह हमारी भारत की सरकार है, धर्म की सरकार है और यह हमारी हिन्दू सरकार है, यह हम लोगों को खाने के लिये कहती है कि अण्डे और मछली खूब खाओ. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह तो धर्म निरपेक्ष सरकार है, हिन्दू राज्य नहीं है ।

श्री गिरवरप्रसाद—

वही कह रहा हूं, मैं अपने खयाल के अनुसार कह रहा हूं । यह तो खेतिहर देश है और अब भी चलता आ रहा है । अंग्रेजों के जमाने में कहा जाता था कि सैकड़ों मन गल्ला बाहर जाता था और फिर भी उस समय में १६ सेर और १८ सेर का गल्ला बिकता था । लेकिन आश्चर्य की बात है कि १५ वर्षों के भीतर इस कदर तेजी और गिरानी हुई है जिसका अन्दाजा नहीं किया जा सकता । गल्ले की कीमत १५ गुना बढ़ गयी है । लोग चिल्लाते थे कि राजस्थान से विदेशों में अनाज जाता है, मैं उस खबर को गलत नहीं मानता हूं और उस में दरोगा हजार रुपये रोज तक पैदा करते थे लेकिन सरकार ने कोई खयाल नहीं किया । उसी तरह से आज भी लोग चिल्लाते हैं कि नेपाल के जरिये से गल्ला विदेश में जाता है, लेकिन कोई खयाल नहीं किया जा रहा है । सरकार ने कानून बनाया कि शहरों के आदमी ५० मन से अधिक गल्ला नहीं रख सकते हैं जब कि देहात के आदमी रख सकते हैं । नतीजा यह हुआ है कि लोगों ने नहीं रखा जब कि सौ, २ सौ बोरी रखा करते थे और अब इस वक्त सस्ता हो जाता था गल्ला, वह नहीं हो सका और नतीजा वही होगा कि मई के महीने से ही गल्ला बहुत तेज हो जायगा ।

इसके अलावा सरकार ने कोआपरेटिव के जरिये से लोगों को कर्जे दिये हैं । मैं इससे अपने विचार के मुताबिक सरकार की नीयत यह समझता हूं कि जिस तरह से जमींदारों का खात्मा किया जा चुका है काश्तकारों को भी खत्म करना चाहिये । (लाल बत्ती होने पर) तीन वर्ष के अन्दर मैं आज बोलने के लिये खड़ा हुआ है, कृपा करके लाल बत्ती को बुझा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

और किसी दिन होता तो मैं आपको पूरा समय देता लेकिन आज के लिये क्षमा करें ।

श्री गिरवरप्रसाद—

सरकार सर्विसेज के संबंध में यह करती है कि जिस घर के आदमी नौकर होते हैं उनके ४–४ और ६–६ आदमियों को नौकर रखती है । अगर गरीब आदमियों को नौकरी दी जाय तो उनके खाने का भी इन्तजाम हो जाय ।

मैंने आज अखबारों में पढ़ा है कि किस कदर चन्दा, कम्पनियों ने राजनीतिक पार्टियों को दिया है । ६३–६४ में १,१५,२२,८४७ रुपया कुल चन्दा उनके जरिये दिया गया है और उसमें से कांग्रेस को ९८,१३,१८० रुपया, स्वतंत्र पार्टी को १५,६५,३०० रुपये, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को ५४,२८४, जनसंघ को ३,४८५ और कम्युनिस्ट पार्टी को २,८२३ रुपये दिये गये हैं । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह चन्दा जो कांग्रेस पार्टी को मिला है क्या वह किसी पब्लिक के काम के लिये लगाया गया है या एलेक्शन में लगाया गया है? इसका जवाब सरकार दे ।

महंगाई भत्ता जो सरकार ने दिया है वह ५० रुपये पाने वालों तक को ५ रु०,५१ रुपये से १५० वालों को १० रुपये और उसके ऊपर साढ़े १२ रुपये दिये हैं । मैं समझता हूं

कि अगर १५० पाने वालों तक को साढ़े १२ और उससे ऊपर वालों को ५ रुपया दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता और गरीब लोगों की भी गुजर होती।

चुंगी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर्स को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं जानता चाहता हूं कि इसी प्रकार विधान मंडल के सदस्यों को ३ सौ रुपये तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मंत्रीगण भी जनता के प्रतिनिधि हैं और विधान सभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं और कुछ महानुभाव ऐसे भी मिल जायेंगे उनमें से जो अवैतनिक कार्य कर सकते हों। सभा सचिव अवैतनिक कार्य कर रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा और नसीहत लेना चाहिये। मंत्रियों ने बड़े-बड़े त्याग किये हैं, जो आदर्शवादी हैं वह अपनी तनख्वाहें कम करें जब कि दुनिया चिल्ला रही है कि बड़ी बड़ी तनख्वाहें कम की जायं।

श्रीमती किश्वर आरा बेगम (जिला रामपुर)—

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी स्टेट धार्मिक है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि संविधान के मुताबिक यह सेक्यूलर स्टेट है। कल माननीय उग्रसेन जी ने एक बात कही थी। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि किसी भी स्टेट का रहने वाला आदमी हो वह भारत का नागरिक है क्योंकि हमारे यहां सिंगिल सिटीजनशिप है और संविधान की धारा १४ में दिया गया हैं कि इक्वेलिटी बिफोर दी ला रहेगी।

"The state shall not deny to any person equality before the law, or the equal Protection of his laws within the teritories of India:"

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, माननीया किश्वर आरा बेगम उर्दू बहुत अच्छा बोल लेती है। उनसे कहें कि अंग्रेजी न बोलें।

श्रीमती किश्वर आरा बेगम—

मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करती हूं। इसमें शक नहीं कि यहां बड़ी कठिन समस्यायें हैं, एक गंभीर खाद्य संकट है, मूल्य बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा पिछड़ापन और गरीबी तथा सीमित साधन हैं। हमें देखना है कि यह बजट प्रदेश की इस उदासीनता और निराशा के वातावरण को किस हद तक समाप्त करता है? हो सकता है इस बजट में कुछ कमियां हों, लेकिन सीमित साधनों और विशेष परिस्थितियों को देखते हुए मैं कह सकती हूं कि क्या इससे अच्छा बजट पेश हो सकता था? यह डेफीसिट बजट जरूर है, लेकिन फिर भी बैलेन्स्ड बजट है और इसमें जन जीवन के सभी कामों को पूरा करने का ध्यान रखा गया है। आज जनता पर दुख और तकलीफ है लेकिन यह वक्ती है। जब कोई पिछड़ा हुआ मुल्क उन्नति की ओर बढ़ता है तो उसको कुछ बलिदान देना पड़ता है। आज का बलिदान कल का सुख होगा।

एक ओर हमारी योजनायें हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों का सुख है और प्रदेश का उज्जवल भविष्य है। आज हमारी प्रदेशीय और केन्द्रीय सरकार अरबों रुपया खर्च कर रही है, अगर हम इन योजनाओं में यकीन नहीं रखते हैं तो पिछड़ जायेंगे। जब आबादी बढ़ रही है तो हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है और इस बढ़ती हुई आबादी का मुकाबला करने के लिये हमें योजनाओं को सफल बनाना होगा। इस वक्त हमारी तीसरी योजना का आखिरी साल चल रहा है, मैं मानती हूं कि हमारी दो योजनायें उतनी कामयाब नहीं हुईं जितनी होनी चाहिये थीं और काफी धन जाया हो गया। फिर भी हमें योजनाओं के जरिये ही सफलता हो सकती है, और हमने काफी उन्नति की भी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के साधन बढ़े, पोटेंशियल इरीगेशन का इस्तेमाल हुआ, हालांकि उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिये। लेकिन आज नहीं तो कल जरूर होगा। उन्नत-

[श्रीमती किश्वर आरा बेगम]

शील बीज भंडार खुले सरकार पशु सुधार की तरफ ध्यान दे। यह कहना कि सरकार खाद्य संकट के लिये दोषी है, मैं कहती हूं कि ऐसा नहीं है बल्कि प्राकृतिक आपदायें हैं जिनकी वजह से कई फसलें हमारी खराब हुईं और जिनके कारण खाद्य संकट बढ़ा। आज बढ़ती हुई कीमतों के लिये सरकार को दोषी ठहराया जाता है। सरकार दोषी है, मैं मानती हूं, लेकिन उतनी नहीं जितनी की ठहराया जाता है। बढ़ती हुई कीमतों की सबसे बड़ी वजह इनफ्लेशन है और आज प्रदेशीय और केन्द्रीय सरकार जो रुपया योजनाओं पर खर्च कर रही है, जिसका फैलाव हो रहा है उसकी वजह से इनफ्लेशन है। इन बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है कि हमारा उत्पादन बढ़े तथा प्रदेश को इंडस्ट्रियलाइज किया जाय। मैं यह मानती हूं कि गल्ले को दबाया गया, कुछ प्रोडयूसर्स ने दबाया, अधिक ट्रेडर्स ने दबाया और कुछ कनज्यूमर्स ने भी दबाया, जिसकी वजह से खाद्य संकट पैदा हुआ है। हमारे सरकारी कर्मचारियों ने जखीरेबाजों और ब्लैक मार्केटियर्स का साथ दिया और सरकार ने उनके खिलाफ उतनी कड़ी कार्यवाही नहीं की जितनी करनी चाहिये थी। जोनल सिस्टम से भी कमी पैदा हुई।

आज भ्रष्टाचार के लिये सरकार को दोष दिया जाता है, लेकिन मैं कहती हूं कि सरकार उतनी दोषी नहीं जितना कि उसको ठहराया जाता है। भ्रष्टाचार, मान्यवर, एक बीमारी की तरह है जो समाज में तेजी से बढ़ रहा है और मैं यकीन के साथ कहती हूं कि किसी भी दल की सरकार क्यों न आ जाय भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकती जब तक कि सामाजिक सुधार न हो, जो हम सब को मिल कर करना है। ऐसी हालत में जो आज है इसमें हमें जनता को बहकाना नहीं चाहिये बल्कि अनुशासन में रहने की नसीहत देनी चाहिये तथा जनता की हिम्मत बढ़ानी चाहिये। आपको मालूम होगा दूसरे महायुद्ध के वक्त इंगलैन्ड में यही सब बातें की गयीं जिनकी वजह से लड़ाई में हारा हुआ मुल्क बाद में जीता। इस समय राजनीतिक लाभ उठाने के लिये जनता को भड़काने की जरूरत नहीं है। इस समय हमको हिम्मत, इस्तकलाल और अनुशासन की आवश्यकता है।

हमारा प्रदेश उद्योगीकरण में बहुत पिछड़ा हुआ है, चाहे वह प्राइवेट, पब्लिक या कोआपरेटिव सेक्टर हो। हमारा रामैटीरियल दूसरे प्रदेशों में जाता है। मेरा ख्याल है कि इस सनदी तरक्की के दौरे में देश को ज्यादा से ज्यादा उद्योगीकरण करना चाहिये ताकि जो भार भूमि पर है, वह कम हो।

एक बात मुझे सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहना है। आज वे बहुत परेशान हैं और अगर इसी तरह पीड़ित रहे तो उनमें काम करने की वह एफीशियेंसी न रहेगी जो इस समय चाहिये। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगी कि पे रेशनेलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट जो अप्रैल के आखिर तक आ जायगी उससे उनका वेतन बढ़ा कर के मुतमइन करेंगे। लोकल बाडीज के कर्मचारियों के मुताल्लिक यह कहना है कि जैसा मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि हम सेकेन्ड पे कमेटी कायम करने जा रहे हैं, लेकिन ६ महीने बीत गये आज तक वह कायम नहीं हुई जिसकी वजह से कर्मचारियों में बेचनी बढ़ रही है। सन् १९६२ में केन्द्रीय सरकार ने लिखा था कि इसकी पूरी जांच करायी जाय और उनका भत्ता तथा वेतन सरकारी कर्मचारियों के बराबर कर दिया जाय। लेकिन आज तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। मैं कहना चाहती हूं कि लोकल बाडीज के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर जल्दी ही भत्ता तथा वेतन मिलना चाहिये।

१९५१-५२ से लेकर १९६३ तक हमारी आबादी २६ फीसदी बढ़ी है जब कि पैदावार ४० से ५० फीसदी बढ़ी है। इसलिये अगर यह मान भी लिया जाय कि गल्ले की खपत बढ़ी है तब भी काफी गल्ला बचता है। पी० एल० ४८० में अमरीका ने ३ करोड़ टन गल्ला दिया था और कहा गया था कि इससे बफर स्टाक कायम किये जायंगे। लेकिन मुझे

अफसोस है कि न बफर स्टाक कायम किये गये और न कीमतें फिक्स की गयीं। मंत्री जी ने कहा है कि मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी जाय। मैं चाहती हूं कि मैक्सिमम प्राइस भी फिक्स करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन् जो बजट पेश किया गया है उसे मैं पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह सरकार किसानों की दुश्मन है। उसका कारण यह है कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २६४ (१) और (२) में मालगुजारी निर्धारित करने के बारे में लिखा है—

"किसी निर्धारण मंडल में किसी खाते के लिये देय मालगुजारी निर्धारित करते समय बन्दोबस्त अधिकारी ऐसे खाते की उपज की उस अनुमानित औसत बचत का ध्यान रखेगा जो नियत की जाने वाली रीति से निश्चित या अनुमानित खेती के साधारण व्यय घटाकर बचे और मालगुजारी उपज की बचत का ऐसा प्रतिशत होगी जो राज्य सरकार की सिफारिशों पर विचार करके उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पास किये गये प्रस्ताव से निश्चित किया जाय ऐसी सिफारिशें गजट में तथा निर्धारण मंडल में, ऐसी किसी दूसरी रीति से, जो नियत की जाय प्रकाशित हो जाने के एक मास बाद किसी समय विधान मंडल के सामने रखी जायंगी

(२) उपज की बचत पर जितने प्रतिशत मालगुजारी निर्धारित होगी वह राज्य सरकार द्वारा नियत किये हुए क्रमिक मान के अनुसार बदलता रहेगा वह उपज की सब से अधिक बचत वाले खातों पर सबसे अधिक होगा और उपज की सबसे कम बचत वाले खातों पर सब से कम।"

इस कानून का सरकार ने ही उल्लंघन किया है इससे ८६ फीसदी किसानों को लाभ होता और मालगुजारी कानून के मुताबिक लगाते तो १४ फीसदी किसानों को कुछ घाटा लगता। तो इस कानून को न मान कर सिर्फ १४ फीसदी किसानों को फायदा हुआ लेकिन शेष किसानों को जिनकी तादाद कहीं ज्यादा है सरकार ने दस गुना लेकर उनकी मालगुजारी आधे करने की बात में धोखा दिया है और उनकी मालगुजारी आधी नहीं हुई बल्कि तिगुनी हो चली है।

एक कहावत है हमारे देहातों में कि "पैदा हुआ बच्चा मर मर जाय और भ्रूण की रक्षा के लिये उझाई होय"। जो बच्चा पैदा हो गया उसकी दवा-दारू का तो इन्तजाम न किया जाय और जो पेट में है उसकी रक्षा के लिये जन्त्र-मंत्र किये जायं। सिंचाई के लिये पिछले साल ११ हजार कुएं खुदवाने की बात सरकार ने की थी लेकिन खोदे गये कुल २१ प्रतिशत। आप बतायें कि फिर पैदावार कहां से बढ़े? दूसरी तरफ खेती में बाधक बाढ़, सूखा, अनावृष्टि, ओला, पाला इनको दूर करने के लिये सरकार ने कोई उपाय नहीं किये। १६ साल से बराबर हमारे यहां बाढ़ आ रही है, ५० लाख एकड़ भूमि में पानी का जमाव और गर्की हो रही है। इस तरह से डेढ करोड़ एकड़ जमीन की खरीफ की फसल पिछले १०, १५ सालों से लगातार बरबाद हो रही है भ्रूण कृषि की सिंचाई के लिये सरकार नाम लेती है, लेकिन जो संकट मौजूद है उसका कोई इन्तजाम नहीं करती। अभी ८६ प्रतिशत किसानों पर टैक्स बढ़ाने की बात सोची जा रही है। जहां पानी का बन्दोबस्त किया है वहां पानी कर लगायेंगे, विकास कर लगायेंगे, साथ ही मालगुजारी बढ़ाने जा रहे हैं। तो उन्हीं किसानों को चूस कर सरकार अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है।

[श्री चन्द्रबलीसिंह]

तीसरा कारण यह है कि इस सूबे का किसान सब से ज्यादा गन्ना बोता है जिससे गुड़ खांडसारी बनाता है। यह चीजें न बनें इसके लिये कानून बनाये जाते हैं और जबरदस्ती किसानों से गन्ना छीनने का सरकारी कानून बन रहा है। इसी तरह से सारी हरकतें किसानों के खिलाफ हैं। आप देखें कि पानी का बन्दोबस्त नहीं किया लेकिन पानी पर कर लगाने जा रहे हैं। अगर आप उनके लिये बीमा की व्यवस्था कर देते जहां पर आप पानी का इन्तजाम करते तो यह लाभ की बात होती। जहां पर बाढ़ आती है और खेती का नुकसान होता ह अगर वहां पर आप बीमे का प्रवन्ध कर देते तो यह भी लाभ की बात हो सकती थी। पंजाब सरकार अपने यहां समूचे खेतों का बीमा करने जा रही है। यह बाढ़ सरकार के कारण भी आ रही है। बिना सोचे समझे सड़क और रेल के लिये मंच बनाये गये हैं फलस्वरूप बाढ़ में उनके कारण वृद्धि हो रही है। इसी वजह से देवरिया जिले में आज ४ हजार एकड़ जमीन पानी लगने की वजह से खराब हो रही है। बोरो एक धान होता है जो एक एकड़ में ६ मन तक होता है, वह वहां पर पैदा नहीं हो सकता है। सन् १९४६ से वहां के किसान इसके लिये दरख्वास्त दे रहे हैं लेकिन यह सिंचाई मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। राममूर्ति जी ने उस समय वादा किया था कि हम उसको खुदवा देंगे लेकिन उसको अभी तक नहीं खुदवाया गया है। कई बार उसके लिये पैसा खर्च किया गया लेकिन पता नहीं ये इंजीनियर कोदों देकर पढ़े हैं क्या ? तीन-तीन बार खुदवाने पर भी वह पानी निकल नहीं पाया। वह पानी मझने नाले में कुरना नाले में और नकटा नाले में जमा हो गया और वह निकल नहीं सका। जिसके कारण केवल रुद्रपुर इलाके में साढ़े चार हजार एकड़ भूमि में बहुत नुकसान हुआ। वहां पर आज बोरो धान पैदा नहीं हो रहा है जो कि एक एकड़ में ६ मन तक होता है। थोड़े से रुपये से वह काम हो सकता था लेकिन यह सरकार इस काम को करने नहीं जा रही है। अभी मैंने १४ तारीख को नकटा नाले के लिये प्रोग्राम रखा था। हमने कलेक्टर से कहा था कि हमको कम से कम पैमायश करके दे दो कि वह नाला कहां पर है, हम उसको खुदवादेंगे और श्रमदान से इस काम को करा देंगे, लेकिन कलेक्टर देवरिया ने इस काम को नहीं किया। जिसका नतीजा यह हुआ कि १४ तारीख का हमारा सारा प्रोग्राम फेल हो गया और उस काम को हम नहीं कर सके। ५० एकड़ में यह बोरो धान हो जाता। अब भी कुछ मौका है। अगर १०,१५ दिन में यह काम हो जायगा तो ५० एकड़ में यह बोरो धान पैदा हो जायगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों के खिलाफ है और किसानों के खिलाफ सारे काम करती है। हमारे यहां राप्ती की बाढ़ हमेशा आया करती है और यह १६ वर्ष से बराबर आ रही है लेकिन उसको रोकने के लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया। एक जलकुन्डी योजना बनाई गई थी और उसी तरह से बहराइच गोन्डा में जलखाते की एक योजना बनाई गई थी लेकिन उसको भी सरकार ने रोक दिया। जब इन योजनाओं को सरकार ने रोक दिया है तो समझ मे नहीं आता कि बाढ़ को रोकने के लिये और खास कर राप्ती की बाढ़ को रोकने के लिये कौन सी योजना बनाई जायगी तथा बना रही है ?

इसी तरह से आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी एक जनशक्ति योजना चली है। एक कहावत है कि "हाथी आई हाथी आई और आवाज आई भी"। तो इसी तरह से यह योजना ह कि इसका शोर तो बहुत है लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं। इस जनशक्ति योजना पर ३ करोड़ ५० लाख रुपया खर्च होने वाला था १९६४-६५ में, लेकिन खर्च हुआ केवल १ करोड़ ७५ लाख। तो पता नहीं शेष रुपये का क्या हुआ। हमें पता नहीं कि हमारे अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे सारे अधिकारी निकम्मे हैं। यहां दफ्तर में बैठकर हुकुम पास कर देते हैं। ऐसा क्यों न हो ? देखिये, यहां पर लखनऊ

में २५ अधिकारी तो ऐसे हैं जो २५ वर्ष से यहीं लखनऊ के इर्द-गर्द घूमते रहते हैं। चकबन्दी मुहकमे के एक सहायक डाइरेक्टर महोदय हैं वह यहीं पर लखनऊ में बहुत सालों से स्थित हैं। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि माल मंत्री स्वयं मजे मार रहे हैं। इसी तरह से २५, ३० अधिकारी ऐसे हैं जो यहीं पर ईर्दगिर्द नाचते रहते हैं और यहां से उनका तबादला नहीं हो रहा है। उनको गांव के कष्टों का क्या अनुभव हो सकता है? इस तरह से वे सारे मंत्रियों को भ्रष्ट कर रहे हैं और मंत्री भी मजा मार रहे हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह सरकार किसानों की दुश्मन है और किसानों के साथ दुश्मनी का कार्य कर रही है जो गांवों में जाने के लिये अपने अफसरों से नहीं कहती है। ये अधिकारी दशरथ सिंह जी हैं जो यहीं लखनऊ में डटे रहते हैं और बाहर जाने का नाम नहीं लेते हैं। मैं समझता हूं इस सरकार की यह नीति है कि किसानों को दबाकर रखा जाय और उनकी हालत को सुधारा न जाय। अगर उनकी हालत अच्छी हो जायगी तो वे कर्जा नहीं लेंगे और स्वतंत्रतापूर्वक सोचने लग जायंगे और फिर इनको उनका वोट नहीं मिलेगा और न वे इसका समर्थन करेंगे। इसलिये यह सरकार ८६ फीसदी किसानों के फायदे के काम नहीं करना चाहती है। इतनी बात मैं सरकार को आपके जरिये से निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर इस सरकार ने किसानों के ऊपर कर बढ़ाया तो सरकार की मौत बहुत निकट है। हम इसलिये नहीं कहते कि तुम मत मरो, लेकिन हमारा नुकसान कर के मरना चाहते हो इसलिये तुम्हें मरने से बचाना चाहते हैं। मैं आप से कहता हूं कि आप किसानों का द्रोह मत करें नहीं तो बहुत जल्द ही तुम्हारा खात्मा होने वाला है। तुम गांधी के वारिस हो इसलिये तुम पर दया आती है।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय पूर्व-वक्ता ने बतलाया कि अगर सरकार ने कर लगाये तो उसकी मौत निश्चित है। मृत्यु तो हर एक की निश्चित है। पोलिटिकल पार्टीज भी मरती हैं परन्तु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। मैं सरकार की रक्षा करने नहीं आया लेकिन मैं यह समझता हूं कि जिस वक्त हम सरकार पर आरोप लगाते हैं उस समय हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिये। हम सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उसके बदले हम उसे साधन क्या देते हैं। हमारी सरकार से हम उम्मीद करते हैं वह जो टोटैलिटेरियन स्टेट का लक्ष्य होता है, यानी "ईच एकार्डिंग टु हिज नीड"। वेलफेयर स्टेट में जितनी सहूलियतें मिल सकती हैं वह सब हम सरकार से मांगते हैं लेकिन उसके लिये साधन होने चाहिये सरकार के पास ईच एकार्डिंग टु हिज कैपेसिटी, यानी शत प्रतिशत टैक्सेशन। वह न हो तो सरकार हमारे एक्सपेक्टेशन में फेल हो जायगी। जिस समय लक्ष्य टोटैलिटेरियन हो और साधन डेमोक्रेट्रिक तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसलिये हम अपने प्रदेशों में एक एक नया एक्सपेरीमेन्ट कर रहे हैं और यह आगे चल कर इतिहास का विषय हो जायगा। अगर हम इस एक्सपेरीमेन्ट में कामयाब हुए तो हम एक हिस्ट्री बनायेंगे और अगर फेल हो जाते हैं तो आज तक बहुत से लोग फेल हुए हैं हम भी फेल हो जायंगे। इसलिये मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि हमको आलोचनाओं की ओर से ब्लाइन्ड नहीं होना है और जब रेस्पांसिबिल से रेस्पांसिबिल आदमी आज खड़ा होता है और सरकार की आलोचना करता है इससे तो मैं समझता हूं कि कोई न कोई कमी हमारे में जरूर है।

आज हमारी प्लानिंग पर ही सारा बजट निर्भर करता है और उसी लाइट में हमको बात करनी चाहिये। हमारी प्लानिंग आज अंधकार में है। अगर हम सूझ बूझ से काम करें तो काम चल सकता है। इसके लिये मैं ५ संकेत करता हूं जिसमें पहला है कि अगर हमें अपनी प्लानिंग को कामयाब बनाना है जिसमें टैक्सेज भी आ जायेंगे तो सब से पहले हमको सर्वे कराना चाहिये। उसके बाद सिलेक्शन करना चाहिये, फिर सिक्योरिटी, सोर्सेज और, सप्लाई और फिर श्योरिटी आती है। श्योरिटी की स्टेज आखिरी है जब हम सब से निकल जायेंगे। अब मैं इनको लेकर एक्सप्लेन करता हूं।

[श्री नौरंगलाल]

सर्वे से मेरा मंशा यह है कि कोई भी प्लानिंग नहीं की जानी चाहिये जब तक कि सरकार उसके लिये सब से पहले सर्वे न करा ले। सब से पहले भूमि का सर्वे होना चाहिये कि कहां धान होगा, कहां गेहूं, कहां गन्ना और इसी तरह से इंडस्ट्री का भी सर्वे होना चाहिये। हमको यह पता होना चाहिये कि कहां हम किस चीज का मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये सब से पहले हमको सर्वे कराना पड़ेगा।

हमने कभी भी सर्वे नहीं करवाया। सर्वे में मेहनत पड़ती है। पहले धन का व्यय भी होता है। इस लिए नहीं करवाया। अगर हम सर्वे पहिले नहीं करवाते हैं तो हमारी प्लानिंग बेकार हो जाती है। इस के बाद श्रीमन्, सर्वे के बाद सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। सर्वे कर लेने के बाद ही खत्म नहीं हो जाता। सिलेक्शन से मेरा मतलब यह है कि जहां हम रुपया इन्वेस्ट करें वहां हम पहिले यह तो देख लें कि कौन से टाउन्स या जमीनें ऐसी हैं जो मैक्सीमम अमाउन्ट की प्रोडक्शन दे सकती हैं। पहिले उन्हीं जगहों पर इन्वेस्टमेन्ट होना चाहिये। लेकिन हमने कभी इस प्वाइन्ट पर नहीं सोचा। यह ब्लाइन्ड डिस्ट्रीब्यूशन आफ रिसोर्सेज ही हमारी असफलता का कारण बन सकेगा।

सर्वे और सिलेक्शन दोनों ही कर लेने के पश्चात् तीसरी चीज हमें सिक्योरिटी की करनी पड़ेगी। क्योंकि देखा जाता है कि कभी-कभी अधिक वर्षा या कम वर्षा से, दैवी आपदाओं से या किसी विदेशी आक्रमण से ही हमें अपनी सिक्योरिटी का प्रबन्ध सोचना पड़ता है। अगर हम इनके खिलाफ कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं लेते हैं तो भी हमारी प्लानिंग असफल ही रह जाती है। इस लिए हमें सर्वप्रथम इन्डस्ट्री और ऐग्रीकल्चर पर आने वाली आपत्तियों के विरुद्ध सिक्योरिटी को ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

चौथा नम्बर आता है, सोर्सेज का। सोर्सेज का सम्बन्ध है कि रुपया कहां से आये? हमें सेन्टर से रुपया मिलता है, वह हमें हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से ही देंगे, इसलिए हमें टैक्स लगाने पड़ेंगे। आज जो मुद्रा-स्फीत विस्तृत हो रही है वह क्यो हो रही है। उसका कारण यही है कि जो रुपया तिजोरियों में बन्द है, हमें उसे निकालने का प्रबन्ध पहले करना चाहिये। जहां तक टैक्सेज लगाने का सवाल है, ये बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज पर पड़ना चाहिये, बड़ी-बड़ी इमारतों पर, बड़े-बड़े सिनेमा हाउसेज पर और उन सिनेमा हाउसेज की ज्यादा कीमतों वाली सीटों पर, बड़े-बड़े रईसों पर ही लगाये जाने चाहिये, तथा इस तरीके से कि इन्फ्लेशन रुके। टैक्सेज वहां पर न लगाये जायं, जहां पर पहिले से ही गरीबी हो। इसी तरह से लांग टर्म लोन्स भी लिये जा सकते हैं।

सोर्सेज के बाद सप्लाई का नम्बर आता है। सप्लाई के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि आज गरीबों पर कितना ही सरकारी कर्जा है वे बेचारे दे नहीं पाते। सरकार को चाहिये कि वे ऐसे व्यक्तियों को कैश न देकर, काइन्ड में सहायता करे। आप उन को साधन दीजिये। उनको सीमेंट दीजिये, उनको व्हीट दीजिये। अगर आप उन्हें काइन्ड के बजाय कैश में साधन देंगे, तो उनका कर्जा बढ़ता ही चला जावेगा।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, राजस्व विभाग से सम्बधिन्त जहां-जहां चकबन्दी हो रही है, वहां चकबंदी अधिकारियों ने इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रखा है कि काश्तकार परेशान है। ग्रामीण चकबन्दी समितियों के जो सदस्य हैं उनसे भी कोई मशविरा नहीं लिया जाता है बल्कि नादिरशाही तरीके से मनमाना काम करते हैं और उन की कोई सुनवाई नहीं होती है। इतना तक कि काश्तकारों की औरतों के जेवरात तक बिकवा देते हैं। इन अधिकारियों द्वारा जहां-जहां चकबन्दी हो रही है वहां-वहां चोरी व डकैती भी बढ़ जाती है। इस लिए चोरी डकैती बढ़ जाती है कि वह

अपनी चीजों को गिरवी रखकर ए० सी० ओ० महोदय का स्वागत करते हैं और बाद में उसी चीज को छुड़ाने के लिए शबरी लेकर नकबजनी करते हैं । मान्यवर, बहराइच जिले की तहसील बहराइच में चकबन्दी हो रही है । मौजा गुलरिहा में चक काटते समय जिन लोगों से पैसा मिल गया उनका तो चक अच्छा कट गया और जिन से पैसा नहीं मिला उनका चक बिलकुल खराब कर दिया गया। लगभग १०० आदमियों ने १० अक्तूबर, सन् १९६४ में माल मन्त्री को प्रार्थना-पत्र दिया लेकिन आज तक उस के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी प्रकार मौजा गुजरा के लगभग १०० काश्तकारों ने डी० सी० बहराइच के यहां दरख्वास्त दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मौजा झूरी कुइयां का एक काश्तकार बलेसर है। उसके पर्चे में ८२५ डेसिमल दिया हुआ है लेकिन मौके पर उसका चक १२ गट्ठा चौड़ा और ३० गट्ठा लम्बा है जो कि मैं ने स्वयं नपवाकर देखा है। मैं ने जाकर सी० ओ० बिसेसरगंज से बात की कि ऐसा क्यों हुआ तो उन्होंने यह कहा कि आप को वहम है, वह गलत नहीं है।

मान्यवर, इसी तरह से एक मौजा बड़ा गांव है। वहां इसी तरीके से अंधाधुंध चकबन्दी वालों ने किया है । उस से वहां के लोग बहुत परेशान हैं। मेरे साथ वह सी० ओ० के यहां गये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गयी। मान्यवर, पहले जब-जब बन्दोबस्त हुये हैं, सरकार ने कोई खर्चा काश्तकारों से नहीं वसूल किया। लेकिन इस चकबन्दी में जो जमीन चक आउट कर दी गयी है या बाग हैं जिनका कि चक नहीं बनाया गया है, उस चक का खर्चा ले लिया गया है। जिस दिन से कोई काश्तकार अपने छोटे भाई के नाम बयान दे कर अपना हिस्सा अलग करवाता है तो उस को छोटे भाई का लगान सर्किल रेट से दुगुना हो जाता है, इतना ही नहीं ६-६ सालों का लगान उस के ऊपर बांध दिया जाता है, जब कि बड़े भाई से बराबर लगान सरकार को मिलता रहा है ।

(इस समय १ बज कर १३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, (मुरादाबाद) पीठासीन हुये ।)

मान्यवर, शिक्षा विभाग में बुनियादी शिक्षा जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक ऊपर की शिक्षा का ठीक होना असम्भव है । प्रारम्भिक कक्षाओं के अध्यापकों का वेतन कम है । कम से कम १४५ रुपया जब तक नहीं होगा, तब तक उस को खाने भर के लिए नहीं हो सकता है।

आज सरकार के सभी विभागों में कर्मचारियों का वेतन कम से कम ३५ रुपया या ४० रुपया हो गया है, लेकिन ग्रामीण चौकीदार का वेतन ५ रुपये ही है, ढाई आने रोज उस को दिये जाते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि चौकीदार का वेतन कम से कम ५० रुपया माहवार कर दिया जाय।

मान्यवर, काश्तकारों पर किसी प्रकार का टैक्स न लगाया जाय। जिस दिन से चकबन्दी में सीरदार दर्ज किये जायं उस तारीख से मालगुजारी वसूल की जाय। जहां-जहां चकबन्दी समाप्त हो गयी है, लोगों को कब्जा मिल गया है, वहां-वहां पुनः निरीक्षण कराके जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त कराया जावे और टेढ़े-मेढ़े जो चक बने हुये हैं उनको फिर से दुरुस्त कराया जावे। ग्रामीण चकबन्दी समिति के सदस्यों की राय से चक काटे जावें। भ्रष्ट कर्मचारियों के पीछे सी० आई० डी० लगा दी जाय और यदि उनकी रिश्वत साबित हो जाय तो उन को नौकरी से अलग कर दिया जाय ।

श्रीमन्, पुलिस विभाग में ऐसा भ्रष्टाचार फैला है कि चोर तो रात को चोरी अंधेरे में करता है, लेकिन इस विभाग के लोग दिन-दहाड़े लूट कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। यह सरकार द्वारा कायदा है कि हरा पेड़ न कटवाया जाय, लेकिन हमारे यहां बहराइच में गंगवल के आसपास हजारों आम के पेड़ पुलिस वाले रुपया लेकर कटवा रहे हैं, इस सम्बन्ध में, मैंने कलक्टर से बातचीत की। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कहां-कहां घूमें, आप लिख कर देंगे तो हम देख लेंगे। जब जिलाधीश को मैं सूचना देता हूं तो उनको मेरी बात का आधार मान कर जांच करवानी चाहिये। जिलाधीश का उपरोक्त उत्तर न्यायसंगत नहीं है।

[श्री मंगलप्रसाद आर्य]

राज्य सम्पत्ति विनष्ट की जाय और जिलाधीश बंगले में मौज करे। सरकार इस ओर ध्यान दे।

एक मौजा बदईपुर ए० सी० ओ० सर्किल पकड़िया में है। वहां के ए० सी० ओ० ने चदईपुर प्रधान से रिश्वत लेकर आबादी के अन्दर ही कुओं की मालियत ८०० रुपया लगा दी है। चूंकि उस जगह कुछ मोहम्मडन बसे हुये हैं, प्रधान ने अपने नाम कुवां इसलिये करवा लिया है ताकि वे लोग दबे रहें। कुवां स्टेट का बनवाया हुआ है, न कि प्रधान का। उस की गहराई ज्यादा से ज्यादा ८ फीट है जब कि हमारे यहां अपनी जमीन में २४ फीट गहरे कुयें की मालियत ३००, ४०० रुपये लगायी गयी है। चदईपुर में एक रमजान रंकी है, उसने उसकी रिपोर्ट की। सी० ओ० ने मौका नहीं देखा और वहीं से फैसला दे दिया कि प्रधान के चक में कुआं पड़ रहा है। उस के बाद मामला एस० ओ० सी० और डिप्टी डाइरेक्टर तक गया, लेकिन किसी ने मौके पर जाकर नहीं देखा कि चक में है या आबादी में बना है, लेकिन कुवें को प्रधान के नाम ही कर दिया है। इस तरीके से तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां के ए० सी० ओ० के खिलाफ २-३-६४ को द्वारिका महाराज ने चकबन्दी डाइरेक्टर के यहां दरख्वास्त दी थी, लेकिन इन्क्वायरी होने पर भी कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, ५ दिन से बराबर अपोजीशन की तरफ के और अपनी तरफ के लोगों के भाषण इस १९६५-६६ के बजट पर सुने। ऐसा मालूम होता है कि दोनों तरफ पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को नजरन्दाज कर दिया गया है। अपोजीशन का रवैया जो आज तक रहा है वह रूलिंग पार्टी के खिलाफ रहा है। चाहे रूलिंग पार्टी अच्छा काम करे या कोई काम न कर सके।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री एस० जी० दत्त—

अधिष्ठाता महोदय, आज १७ वर्ष से इस मुल्क में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी चल रही है। एक ही पोलिटिकल पार्टी उसे चला रही है। जिन-जिन देशों में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी चलती है वहां दो सियासी पार्टीज का होना जरूरी है ताकि अगर एक पार्टी नाकामयाब रहे तो दूसरी पार्टी के लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर जा सके। हम ने देखा कि अपोजीशन में कोई भी पार्टी अभी तक सफल नहीं हुई है, यहां तक कि अपोजीशन की पार्टियों में आपस में भी नाइत्तिफाकी है। मुझे अफसोस है। दूसरी जंग के बाद एशिया और अफ्रीका के देशों में आजादी आयी और हमने देखा कि बहुत से मुल्क पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को चला नहीं सके। उस की वजह यह थी कि उन के यहां कोई आर्गनाइज्ड पार्टी नहीं थी। हमारे यहां कांग्रेस आर्गनाइज्ड पार्टी है और वह बखूबी इसे चला रही है। देश में कभी कभी कुदरती आफतें आ जाती हैं और यह ठीक है कि हुकूमत उन्हें ठीक करने में कभी-कभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती है। उस वक्त अपोजीशन पार्टीज का यह रवैया होना चाहिये कि कन्स्ट्रक्टिव तरीके से सरकार को मदद दें।

हमने देखा कि जब हमारे मुल्क में खाने की समस्या पैदा हुई तो हमारे मुख्य मन्त्री ने अपोजीशन की पोलिटिकल पार्टीज को बुलाया और कहा कि यह खाद्य समस्या हमारे सामने है, इसमें आप हमारा सहयोग दीजिये। वे लोग गये और मुख्य मन्त्री की राय से इत्तिफाक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया, लेकिन बाद में कह दिया कि हम साथ नहीं देंगे। जब कोई भीषण समस्या देश के और प्रदेश के सामने होती है तो सभी पार्टीज का फर्ज हो जाता है कि उस के हल करने में जो भी पार्टी रूल कर रही हो, उस की मदद करें,। लेकिन हमारे प्रदेश में अपोजीशन की पालिटिकल पार्टीज ने, मुझे अफसोस है, मदद करने से इंकार कर दिया। यह नहीं कि आप सिर्फ यह कहें कि हुकूमत खत्म हो जाय, हुकूमत के लोग बहुत जोर जुल्म करते हैं। इस से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप साहिल तमाशायी मालूम पड़ते हैं, समुद्र के किनारे दूर खड़े देखने वाले लोग। किसी शायर ने ठीक ही कहा है—साहिल तमाशायी हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। इसलिए आप को इमदाद के समय सरकार की मदद करनी चाहिये। देखिये पार्लियामटरी डेमोक्रेसी है और आपस में भी आप के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में इत्तिफाक नहीं है लेकिन कामयाब तरीके से १७ साल से हुकूमत चला रही है।

खाद्य समस्या के बारे में कहा जाता है कि कन्ट्रोल कर दिया जाय। उनका ख्याल है कि किसानों के पास अनाज है, व्यापारियों ने अनाज को होर्ड कर रखा है। लेकिन अगर आप कन्ट्रोल करेंगे, तो फौरन ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जायगी। कन्ट्रोल करन के लिए हुकूमत के पास काफी मशीनरी होनी चाहिये। वरना जिस कन्ट्रोल से ब्लैक मार्केटिंग हो उस से क्या फायदा। पिछला तजुरबा यह बताता है कि ज्यों ही कन्ट्रोल किया लोगों को तकलीफ हुई। फेयर प्राइस शाप्स खोली गयीं, लेकिन लोगों की तकलीफ दूर नहीं हुई। गवर्नमेंट के पास मशीनरी नहीं है कि फेयर प्राइस शाप्स को भी देख सके। कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के लोग कहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग हो। चीन और रूस में भी स्टेट ट्रेडिंग हुई थी, लेकिन इसमें उनको नुकसान हुआ और अब उन्होंने अपने इस खयाल को छोड़ दिया है। सब से बेहतर तो यह चीज है कि लोगों को खुली छट दे दी जाय, जो पाबन्दी लगायी हुई है, उस को भी हटा दिया जाय। क्या किसान किसी का गुलाम है? किसान पर जितनी सख्ती की जाय, उतना ही वह मानेगा नहीं। किसानों को छूट दे दीजिये और व्यापारियों को मन्डियों में व्यापार करने दीजिये। अगर आप कन्ट्रोल करेंगे तो ब्लैक मार्केटिंग की वबा फैल जायेगी। स्टेट ट्रेडिंग का काम अपने हाथ में न लीजिये। जब भी आप ब्यूरोक्रैसी को माली सुधार और अनाज की समस्या देंगे और उसमें जनता के रिप्रेजेन्टेटिव नहीं होंगे, तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जायगी, जनता परेशान होगी। माली सुधारों का इन्तजाम यह ब्यूरोक्रैसी नहीं कर सकती।

इसलिए मैं अपोजीशन पार्टियों से अपील करूंगा कि वे खाली हुकूमत को पलटने की बात ही हर समय न सोचा करें। संकट के समय उन को सरकार का साथ देना चाहिये। हम भी जनता की सेवा करना चाहते हैं और वे भी जनता की सेवा करना चाहते हैं। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए दोनों को मिल कर काम करना चाहिये।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

अधिष्ठाता महोदय, आज जो प्रदेश की आर्थिक समीक्षा है वह सामान्य विवाद के ऊपर प्रकट की जा रही है। श्रीमन्, मैं बजट के अन्दर नहीं जाना चाहता। क्योंकि जिस समय अनुपूरक अनुदान आया था, मैं ने उस के ऊपर विवाद प्रारम्भ करते हुये बहुत सी बातें कहीं। मैं एक बात की ओर पूरे हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि रुपये और आंकड़े के चक्कर में तो हम बहुत हैं, मगर प्रदेश की जनता का सहयोग न मिलने का कारण एक यह भी है कि हम उसके भौतिक स्तर को तो ऊंचा करना चाहते हैं परन्तु उसके आध्यात्मिक और नैतिक स्तर को ऊंचा नहीं कर रहे हैं। यदि हम जनता के चरित्र को ऊंचा उठाने की कुछ कार्यवाही करते, कुछ तरीका अपनाते तो शायद ज्यादा भला कर पाते। आज हालत यह है कि प्रदेश के विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। और न किसी प्रकार का कोई नैतिक कोड ही है, जैसा कि न हमारे लिए है, न मन्त्रियों के लिए है और न सरकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

आफिसरों के लिए है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में तमाम भ्रष्टाचार और जनता को तकलीफ है और उन सबके लिए हमारा मन्त्रिमण्डल जिम्मेदार है तथा कुछ अंश तक उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोगों से मतलब है कि जितने हम विधायक यहां चुन कर आये हैं उन्होंने भी उसके नैतिक स्तर को ऊंचा करने की कोई बात नहीं सोची।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में तो एक कैरों हुआ और उस के खिलाफ केवल एक इल्जाम साबित हो पाया कि उसने अपने साथ अनाधिकृत रूप से एक डाक्टर रख लिया था और उस के बच्चों ने अपने नाम तथा दूसरों के नाम काफी सम्पत्ति जमा कर रखी थी, यही सिद्ध हुआ। तो हमारे यहां तो कैरोंशाही की हद है, यहां एक कैरो को कौन कहे, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे ही जिले के एक मन्त्री हैं, श्री राम मूर्ति, उनका नाम है, उन की तरफ पहले दिन भी मैं ने संकेत किया था और आज मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि जब तक हमारा नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक हम जनता के स्तर को कैसे ऊंचा कर सकते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि कृपया वे बतलायें कि क्या उन्होंने सीलिंग कमेटी के चेयरमैन होने के बाद उस की रिपोर्ट सबमिट होने के पहले ही अपने ५०० एकड़ के फार्म को टुकड़े-टुकड़े करके अपने भाई, बिरादर व पार्टी वर्कर्स के नाम नहीं कर दिया? ५०० एकड़ का इतना बड़ा फार्म आज भी उनके पास बरेली में है, इसे माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा से लेकर कोई भी मन्त्री बरेली जाकर देख सकता है और बहुतों ने देखा भी है। इस तरह से यह साफ है कि उन्होंने चेयरमैन के पद का दुरुपयोग किया।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

वह तो बांट दिया गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अगर वह बंट गया होता, तब भी अच्छा था लेकिन वह बंटा नहीं। यह आज भी ऐग्रीकल्चर इन्कम टक्स और लेखपाल के कागजात से जाहिर होता है कि कौन उस पर खेती करता है, कौन उस पर गन्ना पैदा करता है और कौन गन्ना की सप्लाई सब से पहल बहेड़ी शुगर फैक्टरी में करता है। श्रीमन्, आज हालत यह है कि बहेड़ी शुगर फैक्टरी सबसे पहले उनके फार्म का गन्ना लेने के लिए मजबूर है। उसके लिए ८५ हजार रुपया उसने गवर्नमेंट से लिया है और बहेड़ी केन सोसाइटी से काफी रुपया ले रखा है। यही कारण है सबसे पहले गन्ना फैक्टरी में उन्हीं का आता है। दूसरा कोई अगर एक बोरी खाद ले, ले तो पहली पर्ची के अन्दर ही उसका कर्जा अदा हो जाता है, लेकिन हमारे मन्त्री जी अगर कितना ही हजार रुपया, जो जनता को मिलना चाहिये, कर्जा लिये बैठे रहें, उनसे अदा नहीं कराया जाता। उल्टे फसल की खराबी दिखला कर उस को माफ करा लिया जाता है या उस की अदायगी पोस्टपोन करा ली जाती है। यही नहीं उन्होंन अपने फार्म के लिए उतरटिया में नलकूप कायम कराया, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले ५ वर्ष में इस नलकूप से क्या आय हुई है? मेरा चार्ज है कि मन्त्री जी ने अपने फार्म के लिए उसका, इस्तेमाल किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ५ साल के जो आंकड़े हैं वह ले लिये जायं, मेरे पास एक साल के हैं, वह देखे जा सकते हैं। बहुत कम आबपाशी उन्होंने ने दी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बहेड़ी में हर पंचवर्षीय योजना में नहरों और सड़कों का जाल बिछाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से अपना पेट भर कर आप के मन्त्री देश की और प्रदेश की जनता को खुशहाल नहीं बना सकते। अब मैं कुनबा-परस्ती का नमूना दिखाता हूं। मन्त्री महोदय के ४ साढ़ू हैं, एक साढ़ू स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं बरेली में...

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

जो यहां पर नहीं हैं उन के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप वह न करें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इन्टरप्शन का समय आप मुझे दें। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप बरेली के किसी चौराहे पर जाकर पूछें तो मालूम होगा कि वह ऐसे स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं कि दोनों पक्ष से रिश्वत लेते हैं लेकिन ईमानदार भी इतने हैं कि जिस के पक्ष में वह मुकदमा नहीं कर पाते उस की रिश्वत वापस भी कर देते हैं। उन्हीं की अदालत में . . .

श्री बैजनार्थसिंह वैद्य—

श्रीमन्, इसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाय, जिस के बारे में वह कह रहे हैं वह मौजूद नहीं हैं, यह नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, उन्हीं की अदालत की बात है कि एक आदमी को उन्होंने सजा सुनायी तो उसने जूता फेंका और कहा कि मुझसे पैसा क्यों लिया? बाद में मालूम हुआ कि दूसरे फरीक ने उन को और ज्यादा पैसा दे दिया इसलिए उसके मुआफिक कर दिया। शिकायत आयी, कोई जांच नहीं करवायी गयी, उल्टे, कागज सब पड़े हुये हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि न्याय मन्त्री जी उन को अबकी बार एक्सटेंशन न दें। जब से मन्त्री जी यहां हैं वह स्पेशल मैजिस्ट्रेट बने हुये हैं। इसी तरह से दूसरे साढ़ू चुर्क सीमेंट फैक्टरी के एजेंट बने हुये हैं। एक और साढ़ू हैं जो कि बहेड़ी नगरपालिका में सेक्रेटरी हैं . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप उनका नाम न लें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

चौथे साढ़ू जो हैं वह भी आंवला नगरपालिका में सेक्रेटरी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा समय जो इन्टरप्शन में गया वह तो दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

वह मैंने दे दिया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

२ मिनट ही दे दें, मैं खत्म कर रहा हूं। (व्यवधान)।

श्री बैजनार्थसिंह वैद्य—

एक साली पर कितने साढ़ू हैं यह भी पूछ लीजिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जो चौथे हैं वह आंवला में नगरपालिका में सेक्रेटरी थे अब उनको ८५० रुपये पर कैम्फर में लगा दिया गया। इसी तरह से पीलीभीत में एक साले लगे हैं, हाई स्कूल पास मिनिमम क्वालिफिकेशन से भी कम, उन का एक्जम्पशन कराया, उस वक्त मोहन लाल गौतम मन्त्री थे उन्होंने नहीं किया तो उनको हटवा कर दूसरे मिनिस्टर से करा लिया। मुख्य मन्त्री . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें। श्रीमती बेनीबाई।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं यह चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी इन तथ्यों की जांच करावें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आगे कोई शब्द इनके नहीं लिखे जायेंगे।

श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय वित्तमन्त्री द्वारा इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। इन १७ साल के कार्यकाल में इस जनप्रिय सरकार ने शिक्षा, आर्थिक स्थिति और हरिजन उत्थान आदि में प्रदेश को आगे बढ़ाया है। अंग्रेज जो हमारे देश और प्रदेश को एक उजड़े हुये बाग की तरह कर गये थे उस को फिर से सुसज्जित और हरा-भरा करने में और उनके समय की बेकारी, भुखमरी, अशिक्षा आदि को पूर्ण रूप से दूर करने में समय लगेगा।

मान्यवर, आज हमारे देश व प्रदेश के सामने सबसे प्रमुख संकट खाद्य का है, जिसको हल करने में माननीय सदस्य इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, सबकी बराबर जिम्मेवारी है। केवल आलोचना से ही काम नहीं चलने का है। मान्यवर, खाद्य के सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि उन्होंने पिछले दिनों में जो खरीफ की फसल में जिलाबन्दी की थी, उसी तरह से खरीफ व रबी के लिए भी जिले बन्दी कर देना चाहिए।

मान्यवर, शहरों में जिस प्रकार से गल्ला वितरण करने की व्यवस्था कार्डों द्वारा की गई है, उसी प्रकार देहाती क्षेत्रों में भी कार्डों की व्यवस्था होनी चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि अधिकांश सभापति तहसील से गल्ला उठाकर डेवढ़े दामों में बेच कर अपनी जेब गरम करते हैं और गल्ला वितरण रजिस्टरों में फर्जी दिखा देते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में कार्डों की व्यवस्था की गई है, उसी तरह देहाती क्षेत्रों में भी कार्डों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मान्यवर, मैं अपने शिक्षा मन्त्री जी को धन्यवाद दूं कि जिन्होंने हायर सेकेन्डरी तक लड़कियों की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया। मैं उनसे एक निवेदन और करूंगी कि जिला परिषद् के अधीन जो प्राइमरी स्कूल्स और जूनियर हाई स्कूल्स हैं, उनका ट्रान्सफर और उनकी नियुक्ति इन्स्पेक्टर आ.फ स्कूल के ऊपर छोड़ दिया जाय। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश टीचर्स को गुटबन्दी का शिकार व फुटबाल बनाया जाता है और पार्टीबन्दी के आधार पर दर्जा २–२ पास टीचर्स बनाते हैं। इसलिए शिक्षा का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पाता है। शिक्षा को सुचारु-रूप से चलाने के लिए उनको गुटबन्दी से दूर रखने के लिए तथा योग्य टीचर्स इन स्कूलों में रखने के लिए आवश्यक है कि इनका सेलेक्शन डिप्टी डाइरेक्टर या इन्स्पेक्टर आफ स्कूल के द्वारा होना चाहिए। मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेन्डरी स्कूल तक का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और इन स्कूलों के टीचर्स को सख्त हिदायतें देनी चाहिए कि वे गुटबन्दी व एलेक्शन्स में भाग न लें। एक बात मैं और कहूंगी कि यह हायर सेकेन्डरी स्कूलों के विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, यह ६–६ महीने के बाद दी जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि बहुत से विद्यार्थी उनकी आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण कालेज छोड़कर चले जाते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि यह छात्रवृत्ति जो दी जाती है, वह महीने पर दी जाय, जिससे गरीब विद्यार्थियों को कालेज छोड़कर न जाना पड़े।

मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को जिन्होंने पिछले साल फोर्थ फाइव इयर प्लान में जो झांसी जिले में मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की है, उसके लिए धन्यवाद देती हूं। लेकिन मुझे भय है कि झांसी जिले में दो बार हैवी इन्डस्ट्रीज के लिए सर्वे कराया गया है, लेकिन सर्वे हो जाने के बाद पता लगा कि हैवी इन्डस्ट्रीज कहीं इलाहाबाद कर दी गयीं तो कहीं सहारनपुर में। मान्यवर, ऐसा ही हाल कहीं मेडिकल कालेज का न हो। लेकिन मुझे माननीय मन्त्री जी से पूर्ण आशा है कि वह अपनी की हुई घोषणा पर अडिग रहेंगे। मान्यवर, बुन्देलखण्ड इन्डस्ट्रीज के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि देहाती क्षेत्रों में कुटीर उद्योग और शहरी क्षेत्रों में हैवी इन्डस्ट्रीज चालू की जायं, जिससे बुन्देलखण्ड की गरीबी व बेकारी दूर हो सके।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से एक निवेदन और करूंगी कि यह जो हमारे प्रदेश में टैक्स लगाए जा रहे हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि यह टैक्स उन गरीब किसानों पर न लगाया जाय जिनकी पिछले टैक्सों से और खाद्य की बढ़ी हुई महंगाई से कमर पहले से ही टूट चुकी है। और मैं यह निवेदन करूंगी कि और उनके ऊपर अन्य नया कर न लादा जाय नहीं तो उनकी कमर टूटकर चकनाचूर हो जायगी। इन गरीब किसानों के ऊपर दया की जाय, उनके ऊपर ये टैक्स न लादे जायं।

मान्यवर, मैं एक यह भी निवेदन करूंगी कि वित्त मन्त्री जी जिस तरह से पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों पर दया दृष्टि रखे हैं, उसी तरह से बुन्देलखण्ड के ऊपर भी दयादृष्टि रखें और उनको भी पूर्वी व पश्चिमी जिलों की तरह से सहूलियतें प्रदान करें। अन्त में मैं इन शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

जनाब, अपने ख्यालात का इजहार करने का जो आपने मौका दिया इसके लिए मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं। बात तो जरूर पुरानी हो गयी लेकिन जिस वक्त हम लोगों के खिलाफ सेन्श्योर मोशन हुआ मैं उस समय मौजूद नहीं था। बात बढ़ाने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मुख्य मन्त्री की खिदमत में एक शेर कहना चाहता हूं—"मुन्तशिर करनी पड़ीं जुल्फें उन्हें, हम बड़ी मुश्किल से दीवाने बने।" जो कुछ हो गया, बहरहाल हो गया, यह जुर्रत इसलिए की कि राज्यपाल जी के भाषण में कुछ ऐसी लाइनें थीं जिन्होंने हिम्मत दिलाई कि हम अपने ख्यालात का इजहार कर दें, वरना शायद यह गलती न होती।

मुझे वित्त मन्त्री से बड़ी हमदर्दी है, मुख्य मन्त्री जी ने उन पर इस वक्त जिम्मेदारी डाली है ऐसे माहौल में जब कि उनकी जमात में रस्साकशी हो रही है और जनता में माहौल पैदा है, हिम्मत से वित्त मन्त्री जी ने उस जिम्मेवारी को कबूल कर लिया। लेकिन जिस जहन के वह इनसान हैं उसके बमूजिब, जो बजट यहां पेश है उस पर उनकी छाप लगी हुई नहीं दिखाई दे रही है। पिछला बजट हमने देखा, उसमें ४ करोड़ का डेफेसिट था और हम से कहा गया था कि हम इस कमी को टैक्सेज से पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हुआ यह कि टैक्सेज के एरियर्स को वसूल करने की कोशिश की गयी और उसी के कारण डेफिसिट बजट सरप्लस बजट हो गया ११ करोड़ का। मैं नहीं समझता हूं कि मन्त्री जी उस विभाग को जो इस तरह का बजट पेश करता है बधाई देने के हकदार हैं कि नहीं। मैं गुजारिश करूंगा कि अपने महकमें को देखें जहां सिर्फ एक आदमी के हाथ में प्रदेश के लोगों की तकदीर को रख दिया गया है। बढ़ते हुए तरक्की करने वाले प्रदेश के लिए बजट ऐसा ही बनना चाहिए जो डेफिसिट होना चाहिए। आज भी १४ करोड़ का डेफिसिट है। लेकिन अगर प्लानिंग के बजट को जो साढ़े १५ करोड़ के करीब है, उसको अलग कर दिया जाय तो मैं नहीं कह सकता कि कैसे उसको डेफिसिट बजट कह सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हलीमुद्दीन]

आज नागा लैंड की समस्या, भाषा का एजीटेशन, खाद्य संकट आदि देश के सामने हैं, इसके अलावा कम्युनल टेंशन भी है जिन सब का असर हमारे ऊपर पड़ा है। जहां तक लैंगुएज का ईश्यू है, हमारे वित्त मन्त्री ने भाषा विभाग को बधाई दी है। मैं समझता हूं उनको शायद भाषा विभाग को ही बधाई देने का हक नहीं है। जहां तक एक जुबान की तरक्की की जिम्मेदारी का सवाल है वहां और जुबानों की भी तरक्की की जिम्मेदारी सरकार पर है। दक्षिण वालों ने लैंगुएज ईश्यू पर क्यों इतनी कुरबानी दी, यह सोचने की बात है। तवारीख बताती है कि दक्षिण वालों के साथ उन लोगो ने जिनकी वह जबान थी, जो आज है, कुछ अच्छा बरताव नहीं किया था। संस्कृत और ब्राह्मण का गलबा हुआ और उनको जानबूझ कर नीचे कर दिया गया। इसीलिए दक्षिण वालों ने अंग्रेजी जबान की पनाह ली। इसलिए जो दक्षिण वाले आज खिलाफत कर रहेहैं वह केवल जजबाती ही नहीं है। आप जरा गौर करें उस जबान की तरफ जिसको आज आप इस्तेमाल कर रहेहैं। मुझे कहना पड़ता है कि एम० ए० पास लोग भी उसको नहीं समझ सकते। जो बजट हमारे सामने पेश है उसको समझने की जब हम कोशिश करते हैं और हिन्दी पढ़े लोगों से उस बारे में मदद लेने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो वह लोग भी कहते हैं कि इस भाषा को वह नहीं समझते हैं। आपके यहां रेडियो की जबान पब्लिक नहीं सुनती है। रेडियो न्यूज के वक्त हिन्दुस्तान के रेडियो को बन्द कर देते हैं और, मुझे अपने यहां की मालूम है कि पाकिस्तान रेडियो को सुनते हैं। तो ऐसी जबान इस्तेमाल कीजिए जो सब समझ सकें। क्या आप समझते हैं कि ऐसी जबान लादने से यहां की जनता में एजीटेशन नहीं हो सकता जो आज दक्षिण में हो रहा है? मैं कहता हूं कि हो सकता है, क्योंकि हमारे अन्दर ऐसे जजबात पैदा हो रहे हैं जो कल उभर सकते हैं। "तुम जिस्म के खुश रंग लिबासों पै हो नाजां, मैं रूह को मोहताजे कफन देख रहा हूं।"

बजट जब हमारे सामने आया तो जो हम सोच रहे थे कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है। उस बाबत मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि--

"न वह गुल हैं न वह गुन्चे, न वह बुलबुल, न वह नगमे,
बहारों में यह आलम है फिजा आयी तो क्या होगा?
निखार इतना न दे ए बागबां रंगे बहारां को,
हमारे खून की सुर्खी उभर आयी तो क्या होगा?"

आप कह रहे हैं कि बड़ा इनकलाब कर रहे हैं, प्रदेश में, देश में। लेकिन दरअसल अगर ऐसा है तो आप सोचें कि जिनके आप नुमाइन्दे हो कर यहां आए हैं, अगर वह जनता अपनी तकलीफों का इजहार करती है तो ऐसा क्यों है? अगर आप नहीं सोच सकते इस बात को, और यहां पर जिस तरीके से बजट बना कर रख दिया क्या आपको यकीन है कि बनाने वाले ही इससे मुतमइन हैं? हां, बनाने वाले ही बजट को अगर समझें कि सब चीज ठीक है तो मैं कहूंगा कि आपका बजट ठीक है। लेकिन अगर वह गैर-मुतमईन हैं तो इसके माने यह हैं कि जरूर कुछ न कुछ कहीं कमियां, खामियां हैं जिनके मुताल्लिक आपको संजीदगी से सोचना चाहिए।

वित्त मन्त्री ने एक बात यह कही कि एजीटेशन मैथड जो सरकारी कर्मचारी इस्तेमाल कर रहे हैं मैं उसके खिलाफ हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन-सा ऐजीटेशनल मैथड उन्होंने अख्तियार किया? इस समय सरकारी कर्मचारियों और टीचर्स का एजीटेशन हमारे सामने है। मैं सरकारी कर्मचारियों के मुताल्लिक कहूंगा कि कांस्टीट्यूशन में एक आर्टिकिल में कहा गया है कि हम सिविल सर्विस ऐक्ट बनायेंगे। क्या वित्त मन्त्री जी बता सकते हैं कि सन् १९५० से लेकर १९६५ तक कोई इस सिलसिले में सरकार ने ड्राफ्ट बनाया? उनके ला डिपार्टमेंट ने कोई नियम बनाया जबकि यह आईन में लिखा हुआ है? १९५२-५३ में पंत जी के जमाने में एक डिसीप्लिनरी इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें दिया हुआ है कि अहलकार क्या करता है और अफसर क्या करता है। अक्सर यह भी देखा जाता है कि अहलकार किसी एक केस को अपने हाकिम की मेज पर १०-१५ बार पेश करता है दस्तखत करने के लिए तो वह अफसर

बरखास्त नहीं करता है और कागजात लौटा देता है। जब बाद में अफसर से उस बेरी की वजह पूछी जाती है तो वह गरीब अहलकार ही मरता है। वह अहलकार अपने अफसर से लड़ाई मोल नहीं लेता है और मजबूर होकर अपनी गल्ती को तस्लीम कर लेता है। डेलिगेटेड कमेटी ने भी सिफारिश की थी कि डिसिप्लिनरी इक्वायरी कमेटी में जो-जो अफसर के काम किए हुए हैं, वे करेंगे। उसमें १२ या १३ बातें दी हुई हैं। उन बातों में से महज १३वीं बात पर अमल हो रहा है कि "पुट अप विद् वि रिपोर्ट" लेकिन अफसर ऐसा नहीं करते। ऐसी हालत में छोटे अहलकारों को असन्तोष न हो तो क्या हो।

टीचर्स के मुताल्लिक में माननीय वित्त मन्त्री जी से पूछूंगा कि आखिर उन्होंने क्या चीज ऐसी कही कि जिसे एजीटेशनल मैथड कहा गया और उस पर उनकी नाराजगी हो गयी ? वे महज यह कह रहे थे कि उनके बच्चे भूखे हैं, उनके पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं हैं तो वे क्या बेजा कह रहे थे ? क्या ऐसी कार्यवाही थी जिससे हमारे माननीय मन्त्री जी ने उनको एजीटेशनल मैथड समझा और फिर उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके माननीय शिक्षा मन्त्री और वित्त मन्त्री के पास भेजा कि वे इम्तिहानों में हिस्सा नहीं लेंगे।

वित्त मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

उन्होंने यह भी कहा कि "संघर्ष भी करेंगे।"

श्री हलीमुद्दीन—

हाई कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है कि एग्जामिनेशन का टीचर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। आज जब टीचर्स एग्जामिनेशन को छोड़ते हैं तो आप कहते हैं कि एजीटेशनल मैथड करते हैं। आप रूलिंग जो इसके बारे में हो चुकी है, उसे देखिए जिसमें साफ लिखा हुआ है कि टीचर्स का ताल्लुक इग्जामिनेशन से नहीं था तो अगर वे यह तय करते हैं कि हम इम्तिहानों में हिस्सा नहीं लेंगे तो वह कैसे एजिटेशनल मैथड हो गया। अब आप कह सकते हैं कि वे अफेन्स कर रहे हैं। अगर वे अफेन्स कर रहे हैं तो आप पुलिस मन्त्री को लिख देते, वे इन्तजाम कर लेते। लेकिन अगर यह शिक्षा मन्त्री कहते हैं तो बड़ा अफसोस है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मैं शीघ्र ही २-३ मिनट में समाप्त कर दूंगा। विजिलेंस कमीशन की तरफ हमारे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी जिक्र था कि इस प्रदेश में विजिलेंस कमीशन मुकर्रर कर दिया है। इसके मुताल्लिक में यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक होक्स है। इसमें यह है कि सरकार विजिलेंस कमीशन को भेजें कि यह इन्क्वायरी की जाय। इन्क्वायरी हो जाने के बाद फिर विजिलेंस कमीशन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे कि इसका प्रोसिक्यूशन हो या न हो। तब उसका एग्जीक्यूशन होता है। अगर ऐसा कमीशन बनाया गया कि जिसमें आपको ही सारे अधिकार हों तो फिर इससे क्या फायदा ? २ १/२ लाख रुपया इसके लिए हमने पिछले साल दिया और ४ लाख रुपए से ज्यादा इस साल देने जा रहे हैं।

इसके अलावा मैं स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट पर आता हूं। इस विभाग में जो डिस्ट्रिक्ट स्टेटिस्टिक्स आफिसर्स हैं, वे अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से अन्जाम नहीं देते हैं और अगर वे कहीं देखने के लिए जाते हैं तो पहले तो बी० डी० ओ० उनको ले जाने से इन्कार करते हैं और इत्तिफाक से वह पहुंच भी जाता है और कुवां नहीं पाता है और रिपोर्ट करता है तो उस स्टेटिस्टिक्स आफिसर को सजा मिलती है, बी० डी० ओ० को नहीं मिलती है। इस विभाग से पिछले १० वर्षों में कोई आदादोशुमार हमारे पास नहीं आए हैं। इस तरह वे इस सरकार की स्कीम्स गलत हैं।

मेडिकल डिपार्टमेंट का यह हाल है कि अगर कोई मन्त्री इत्तिफाक से सर्जिकल वार्ड पहुंच जाते हैं और पट्टी बंधवाना चाहते हैं और डाक्टर ने कह दिया कि वह एमर्जेन्सी ड्यूटी में हैं तो उनका तबादला हो जाता है। ऐसे ही एक डाक्टर रस्तोगी इसके शिकार बने हुए हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मौलाई साहब ने जो कहा कि हिन्दी न समझने से उनके यहां के लोग पाकिस्तान का रेडियो सुनने लगते हैं तो हमारी तरफ ऐसा नहीं है।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, प्रस्तुत बजट में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए नये वित्त मन्त्री को निश्चित रूप से बधाई दी जा सकती है। मैं अपने कलील सीमित समय में बजट तथा बजट भाषण के कुछ चिन्ताजनक पहलुओं पर कुछ रोशनी डालूंगा। मेरी पहली आपत्ति यह है कि चालू वर्ष में इस तूफानी गरानी की आबोहवा में वित्त मन्त्री ने घाटे का बजट पेश करना मुनासिब समझा। पिछली तीन पंचवर्षीय योजना कालों में भारत की राष्ट्रीय आय में जो वृद्धियां हुयीं और मुद्रा में जो वृद्धियां हुयीं उन आंकड़ों के बिगड़ते हुए रिश्ते को देख कर तथा तूफानी गरानी के आंकड़ों को देख कर भारत के अर्थ शास्त्रियों और विदेश के अर्थशास्त्रियों ने जिनमें मैं विशेष कर नाम लूंगा इन्टरनेशनल मानेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री स्वेत्जर का उन्होंने यह राय जाहिर की कि भारत में विभिन्न राज्यों में डेफिसिट फाइनेंन्सिग पर कुछ सालों के लिए मारेटोरियम स्थापित होना चाहिए। घाटे का बजट पेश करना निषेधात्मक माना जाना चाहिए। साथ ही हमारे तजुर्बात यह हैं कि पिछले ५ वर्षों में यहां घाटे के बजट पेश हुए और अन्त में वे सरप्लस साबित हुए। इसका कारण एक ही है कि वित्त विभाग की मंशा केवल यही है कि नए टैक्सों के लिए एक लीवर मन्त्री जी के हाथ में दिया जाय ताकि ब्यूरोक्रेसी ज्यादा आराम से और ज्यादा बेफिक्री से अगले वर्ष रुपया खर्च कर सके।

दूसरी आपत्ति मेरी यह है कि यदि बहस के लिए यह भी मान लिया जाय कि प्रदेश के साधनों को देखते हुए घाटे का बजट पेश करना जरूरी था तो जब अन्य साधन उस घाटे को पूरा करने के लिए प्रदेश के अन्दर उपलब्ध थे फिर अन्य टैक्सेज लगाने की तरफ जो इशारा किया गया है उसकी क्या जरूरत थी? सन् ६४ की आडिट रिपोर्ट आप देखें। रेवेन्यू बकाया २१.४ करोड़ रुपए हैं, बकाया लोन्स की रकम ७.६ करोड़ है और रिजर्व फंड लगभग १ करोड़ के है। अक्तूबर सन् ६२ में यहां के टाप आफिसियल्स ने यह प्रस्ताव पास किया था कि वे ढाई परसेन्ट इकोनामी करेंगे। अगर वही प्रस्ताव कार्यान्वित कर दिया जाता तो जितना रुपया नए टैक्सेशन के जरिए से वसूल करने का आपका इरादा है उससे ज्यादा तो इस इकोनामी से ही इकट्ठा हो सकता है। अगर माननीय वित्त मन्त्री और साधनों का इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है कि नए टैक्सेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

बहस के लिए यह भी मान लीजिए कि घाटे को पूरा करने के लिए टैक्सेशन की आवश्यकता है, तो मेरी तीसरी आपत्ति यह है कि माननीय वित्त मन्त्री ने उस टैक्सेशन की दृष्टि से गांव वालों की ओर क्यों देखा? मान्यवर इस बजट भाषण की कितनी कड़वी लाइनें हैं जो पृष्ठ १५ पर हैं—"खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्यों के निर्धारित हो जाने से किसानों को भी कुछ न कुछ लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है।" ४८ से लेकर ६३ और ६४ के हर महीने के नान एग्रिकल्चरल गुड्स के प्राइस इंडेक्स, सीरियल्स के प्राइस इन्डेक्स तथा उन दोनों के पेरिटी इन्डाईसिज की टेबिल्स मेरे सामने मौजूद हैं। मान्यवर कही जानेवाली सीरियलस की सुनिश्चित प्राइसेज और नान एग्रीकल्चरल गुड्स दोनों की प्राइसेज इन्डेक्स मौजूद हैं और इनमें बड़ी डिसपैरिटी है। मैं एक ही आंकड़ा पेश करना चाहता हूं। जब से प्राइसेज सुनिश्चित किए जाने का निश्चय हुआ है तब से यह पेरिटी का आंकड़ा ७७ हो गया है। इसके बावजूद वित्त मन्त्री समझते हैं किसान की वास्तविक आदमनी बढ़ी है इसलिए उसके ऊपर टैक्स लगा दें। यह आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि इन भावों के बाद किसान पहले से ज्यादा गरीब हो गया है। बहस के लिए श्रीमन्, मैं यह मान भी लूं कि किसान की आमदनी बढ़ी है तो मैं आपका ध्यान एल० के० झा कमेटी की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। उसकी निश्चित सिफारिश यह है कि कन्ज्यूमर्स को खाद्यान्न के भाव ऊंचे देना हैं और

इसका कोई हिस्सा मिडिल मैन को नहीं जाना चाहिए। सारा का सारा पैसा किसान को ही पहुंचना चाहिए। इससे माननीय वित्त मन्त्री जी के मुंह में पानी नहीं भरना चाहिए। वह सारे का सारा कृषि की पैदावार बढ़ाने में लगाना चाहिए। क्योंकि कृषि पैदावार बढ़ाना राष्ट्रीय जीवन-मरण का प्रश्न है। मैं इस दृष्टि से भी इस कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देता हूं कि किसान की आमदनी को देख कर वित्त मन्त्री के मुंह में पानी नहीं भरना चाहिए।

मान्यवर, मेरे सामने टेबिल मौजूद है जिससे मालूम होता है कि प्रति एकड़ लगान उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सब से ज्यादा है। इसके अलावा दूसरी टेबिल से यह मालूम होता है कि लैंड रेवेन्यू ऐज परसेन्टेज आफ टोटल रेवेन्यू भी हमारे प्रदेश का दूसरे सूबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा १०-१२ साल के पर-कैपिटा आय के मेरे सामने आंकड़े मौजूद हैं। पिछले १२-१३ साल में ग्रामीण आय स्थिर रही है और पांच साल तो ऐसे अभागे गुजरे हैं जिनमें यह बेस ईयर से भी नीचे गिर गई है। यह जरूर है कि शहर की आय पिछले १२ वर्षों में २० फीसदी बढ़ी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गांवों और शहरों की आय में भी डिसपैरिटी बढ़ी है। इसलिए ग्रामीण जन पर टैक्स लगाना मुनासिब नहीं होगा।

मान्यवर, हमारे यहां इस बात की बड़ी चर्चा की गई है कि हमारे प्रदेश में बिजली का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। मैं भी इस बात को मानता हूं लेकिन मैं उनको याद दिलाता हूं कि प्रदेश में जिस दर पर किसानों के लिए बिजली दी जाती हैं वह पंजाब से आंध्र से और केरल आदि प्रदेशों से बहुत ऊंची है। इसके अलावा जिस दर पर हमारे प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है वह भी देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बहुत ऊंचे दर पर दिया जाता है। इसी प्रकार से टीन सीमेंट तथा अन्य कन्ट्रोल की वस्तुओं की उपलब्धि किसान के लिए बहुत ही दुर्लभ हो गयी है और बहुत ऊंचे दाम देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो सुविधाएं किसानों को अन्य प्रदेशों में हैं वह भी यहां उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी दशा में कोई औचित्य नहीं है कि उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात सोची जाय।

श्रीमन्, मैं याद दिलाता हूं कि प्रदेश की कृषि की नैया भंवर में पड़ी हुई है। हमारी खरीफ की १२ फसलों में से ८ फसलें ऐसी हैं जिनकी प्रति एकड़ पैदावार १९५० से बराबर गिरती चली जा रही है। हमारी रबी की पांच फसलों में से दो फसलें ऐसी हैं जिनकी पैदावार ५०-५१ से बावजूद इन पंचवर्षीय योजनाओं के बराबर गिरती चली जा रही है। चने की फसल भी ऐसी है जिसकी पैदावार बढ़ी नहीं है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि किसानों पर दया करें और उनकी जेब में ज्यादा पैसा डालें जिससे कृषि की पैदावार बढ़ सके। मान्यवर, मेरा समय समाप्त होता है इसलिए इन शब्दों के साथ कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जिसका कुप्रभाव कृषि पैदावार पर पड़े मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि खाद्य समस्या वह काफी सुन चुके हैं और शायद वह उन कारणों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, जिनके होते हुए हमारे प्रांत के अन्दर इरिगेटेट एरिया जो ३३ परसेंट सन् २१ में था, वह घटकर २९ परसेंट हो गया। मैं मानता हूं कि खेतिहर जमीन का रकबा बढ़ा लेकिन परसेंटेज इरिगेटेड एरिया का घटा। दूसरी चीजें, इरिगेशन के लिए जितना रुपया सरकार ने उपलब्ध किया, उसमें दूसरी प्रान्ट्स के मुताबिक जैसा कि और प्रान्ट्स के अन्दर भी नहीं खर्च कर पाये, वह इरिगेशन में भी नहीं खर्च हो पाया। मैं कुछ आंकड़ों को, अधिष्ठाता महोदय, पेश करना चाहता हूं, जिससे साबित होता है कि जो रुपया योजनाओं में खर्च करने के लिए रखा जाता है, वह पूरा खर्च नहीं हो पाता। सोशल डेवलपमेंट में पिछले वर्ष ४३.४ परसेंट रुपया ऐसा था जो खर्च नहीं हो पाया और बच गया, बिजली में २२.९ परसेंट रुपया खर्च नहीं हो पाया। पब्लिक वर्क्स में २२.४ परसेंट खर्च नहीं हो पाया। रोड ट्रांसपोर्ट में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बहादत्त मायर]

२७ परसेंट और इसी तरह कोग्रापरेटिव क्रेडिट और बैंकिंग, जिसका सीधा ताल्लुक कृषि से है, पर ७६ परसेंट रुपया खर्च नहीं हो पाया। इसके मतलब यह हैं कि जिन लोगों की सुविधा के लिए खेती की पैदावार को बढ़ाने लिए वह रुपया सरकार ने रखा था उसका ७६ परसेंट रुपया बगैर खर्च के साल के अन्त में रह गया।

श्रीमन्, अब मैं आपके सामने दूसरी चीज पेश करना चाहता हूं। प्लानिंग डेवलपमेंट की तरफ से खेतिहर किसानों के लिए कई चीजें रखी जाती हैं अट्रेक्शन की, जिससे वह पैदावार बढ़ाने की तरफ ध्यान दे। उनके लिए खेती के औजार मुहय्या करने के लिए सरकार ने काफी धन रखा है, लेकिन ब्लाक स्तर पर कुछ ऐसी गड़बड़ी है कि जिस वक्त कोई औजार की बात आती है पहले तो मुश्किल यह पड़ती है यह सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है या नहीं, फर्म सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं ? श्रीमन्, कठिनाई यह हो जाती है जो लोग यानी जो फर्में अफसरान को खुश रख सकती हैं, उनको परसेन्टेज दे सकती हैं, वही मान्यता प्राप्त कर सकती हैं। उसके बाद बी० एल० डब्लू० से लेकर बी० डी० ओ० के दफ्तर तक भ्रष्टाचार चलता है। ऐसे ऐसे औजार किसान को दिये जाते हैं, जिसको वह बेकार होने के कारण लेना नहीं चाहता। इसके लिए म माननीय मंत्री जी से अलग से भी निवेदन कर चुका हूं। शायद वह ध्यान भी देंगे।

श्री राममूर्ति—

मैंने तो उसके लिए हुक्म दे दिया है।

श्री बहादत्त मायर—

धन्यवाद। तो मैं अब दूसरे साधनों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। ट्यूबवैल्स जितने भी कोग्रापरेटिव द्वारा लगाये गय हैं वह सब के सब या अधिकांश बेकार पड़े हुए हैं। उनकी तरफ अगर आप ध्यान दें तो करोड़ों रुपये का जो वेस्ट कोग्रापरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है, वह रुके। यदि यह रुपया सही तरीके से इस्तेमाल होता तो यह जो मुश्किल आई वह हमारे सामने न आती। हमारी सरकार ने ३ जनवरी से लेकर ४० करोड़ रुपये का गेहूं अमेरिका का यहां बेचा। उसके अन्दर जो रिटर्न का तरीका रखा गया, उसके ऊपर जितना कहा जाय वह कम है। इसके अतिरिक्त जो अनाज आया उसमें से बहुत सा अनाज ब्लैक में चला गया या आपके स्टोरेज में रखे-रखे वेस्ट हो गया। यह आपत्तियां गम्भीर हैं, जिसके मुताल्लिक आप कहते हैं कि हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। मैं, श्रीमन्, पूछता हूं जो सब चीजें भगवान पर छोड़कर चलता है कि दैविक मुश्किलात है वह सरकार लोगों का भला कैसे कर पायेगा। श्रीमन्, इन तमाम दैविक और मैन क्रियेटेड चीजों की जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए थी लेकिन सिर्फ इतना कहकर कि पाला पड़ गया अनाज नहीं हो पाया आप सुबुकदोश नहीं हो सकते। चावल पिछले ५० वर्षों में इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना इस साल, लेकिन इसके बावजूद कीमत कम नहीं हुई, मिलओनर्स और बड़े-बड़े व्यापारियों, जिन्होंने एस० एम० आईज को खुश कर लिया करोड़ों रुपया उनकी जेबों में पड़ गया, इसलिए कि आपके अधिकारियों ने आपको वह मशविरा दिया जिसका असलियत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था।

अब मैं आपका ध्यान सामान्य प्रशासन की तरफ ले जाना चाहता हूं। आज जो सरकार यह देखना बरदाश्त करती है कि इधर के बैठनेवालों की संख्या कम करके अपनी ताकत बढ़ायी जाय वह देश का क्या भला कर सकती है ? वह लोग जिस जनता से चुनकर आये और जो विश्वास दिलाकर आये जब वे उनके नहीं हुए तो वे आपके भी कितने दिन होंगे यह समझने की बात है।

श्रीमन्, आप यह देख रहे हैं कि जिस वक्त चीन ने हमला किया था तब से बराबर नेपाल की क्या परिस्थिति थी ? उसका क्या तौर तरीका था ? उस वक्त नेपाल ने तो गंगा के तट

तक की भूमि को नेपाल का कहा था। हमारे कुछ भाई उसी नेपाल से गांठ जोड़कर और उनके राजा को बुलाकर उनकी छत्रछाया में यहां रहना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि लैफ्टिस्ट कम्युनिस्ट देशद्रोही हैं जब कि वे पेकिंग की तरफ देखते हैं लेकिन हमारे ये जनसंघी भाई भी उतने ही देश द्रोही हैं जब ये नेपाल की तरफ देखते हैं और हिंदू होने के नाते उनको बुलाकर हिन्दुस्तान को उनके हाथ में देना चाहते हैं।

एक चीज में और कहना चाहता हूं कि एम्प्लायमेंट का मसला आपका हरगिज हल नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति जो यहां पर काम करता हो दफ्तर के अन्दर वह अपने नाम से जमीन खरीदकर हजारों एकड़ का फार्म बनावें, बाग लगाते चले जावें यह उचित नहीं है। सरकार को ऐसा तरीका अपनाना चाहिए एक आदमी एक वक्त में २ जगह टांग न अड़ावे तब बहुत सी समस्यायों का हल हो सकता है।

आज अपने प्रदेश में जिस तरह से एक बात चल पड़ी है उसको देखकर मैं कहूंगा कि आप देखें कि कल सदन के अन्दर एक बहिन ने कहा कि पहाड़ी इलाके को हिमाचल प्रदेश में मिला देना चहिए। बुंदेलखंड वाले मांग करते हैं कि हमारी बुर्दशा हो रही है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स वाले यह शोर मचाते हैं कि हमारी तरफ कोई नहीं देखता और हम पश्चिम वाले यह समझते हैं कि हमारी तरफ कोई नहीं देखता यह समझ कर कि ये लोग खुशहाल हैं, इनके यहां पैदावार ज्यादा होती है। तो मैं यह सब देखकर यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश का एरिया छोटा कर दिया जाय ताकि पहाड़, बुंदेलखंड, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स और वेस्टर्न टिस्ट्रिक्ट्स का अलग-अलग इंतजाम हो सके, तभी अच्छा इंतजाम होगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री देवेन्द्रसिंह—**

अधिष्ठाता महोदय, जो बजट इस सदन में पेश हुआ हैं मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पर्वतीय जिलों की जो समस्यायें हैं उनकी ओर मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान खींचना चाहूंगा। खाद्यान्न का मामला सारे देश के ऊपर विकटरूप से छाया हुआ है और इस खाद्यान्न की समस्या से पर्वतीय जिले बहुत ही एफेक्टेड हैं। आपके जरिए से मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनको यह भली प्रकार मालूम है और मालूम होना भी चाहिए कि पर्वतीय ७ जिले ऐसे हैं जहां पर २ महीने के लिए भी किसी अच्छे से अच्छे काश्तकार के यहां खाने को नहीं हो पाता है। इसलिए आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से हमारा प्रदेश गुजर रहा है, उस इलाके की और उस क्षेत्र की खाद्यान्न समस्या का समाधान हमारी सरकार नहीं कर पाई तो यह बड़े चिंता का विषय बनेगा।

दूसरी बात जो मैं माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि सेना हमारे सीमान्त में लड़ रही है और वह वफादारी और ईमानदारी के साथ वहां पर लड़ रही है। इसी के साथ दूसरी रक्षा पंक्ति का जो प्रश्न हमारे सामने आता है उसका सारा दारोमदार उन सेनाओं के पीछे जो पर्वतीय जिले हैं उनके ऊपर है। यदि वहां की जनता दुखी रहेगी, यदि हम वहां की जनता का मोरेल ऊंचा नहीं कर पाये, वहां पर जो असुविधा है उनको हम दूर न कर पाये तो यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय बन सकता है।

(इस समय २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

तीसरी बात मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि अरसे से कुमायूं यूनिवर्सिटी की मांग मैं इस सदन के समक्ष रखता रहा हूं। कई बार मैं विशेष तौर पर इस मांग को सरकार के सामने उठाता रहा हूं लेकिन मुझे अफसोस है और हैरानी इस बात को देखकर है कि जब दो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्रसिंह]

यूनिवर्सिटी का प्रावीजन इस बजट में हमारे सामने किया गया है तो हमारी यूनिवर्सिटी को क्यों छोड़ दिया गया है ? मैं इस बात की तरफ माननीय वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि खुशकिस्मती से शिक्षा मंत्री भी हैं। पिछली गर्मी में जब नैनीताल में वाइस चांसलरों की कांफ्रेंस हुई थी तो उनको नैनीताल के नागरिकों की तरफ से एक अभिनन्दन-पत्र दिया गया था। तो उस समय करीब-करीब हर वाइस चांसलर ने इस बात की अहमियत बतलाई थी और कहा था कि नैनीताल में विश्वविद्यालय अवश्य स्थापित हो ।

श्री हिम्मतसिंह—

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री देवेन्द्रसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज के साथ कुमायूं यूनिवर्सिटी का बिल भी इस सदन में लायें। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा की जो किताब बनी हुई है उसमें भी इस कुमायूं यूनिवर्सिटी को नैनीताल में बना देने के लिए प्राविजन रखा गया है। तो आज मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-सी ऐसी वजह आ गई जिसके कारण उसको स्थगित कर दिया गया। उस विशेष स्थान की तरफ आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए । वहां की परिस्थितियों का भी आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि वहां पर इस यूनिवर्सिटी का अवश्य इंतजाम करें। इसके सिलसिले में मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गजेंद्र गडकर साहब ने भी इस बात की अहमियत बतलाई थी और कहा था कि नैनीताल में तीसरी योजना के अन्दर यूनिवर्सिटी का प्रबंध हो तो वहां लोगों को बहुत सहूलियत होगी। मैं यह भी कहूंगा कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री आचार्य जुगल किशोर जी ने हाल ही में एक पत्र माननीय शिक्षा मंत्री को लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि कुमायूं में एक यूनिवर्सिटी अवश्य बनाई जाय। उन्होंने उस बात पर लिखा है जब वह शिक्षा मंत्री थे तो उनसे एक डेपुटेशन मिला था और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि यदि कोई यूनिवर्सिटी इस प्लान के अन्दर खुलेगी तो सब से पहले कुमायूं की यूनिवर्सिटी खुलेगी। मुझे यह भी सूचना है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने भी वित्त मंत्री जी को लिखा है कि इस यूनिवर्सिटी को अवश्य बनाया जाय। मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जून में जब नैनीताल में एक मीटिंग हुई थी उस समय चन्द्रभानु जी तथा सुचेता कृपालानी जी, दोनों वहां मौजूद थे और उस समय वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जहां तक हो सकेगा हम इस पर विचार करेंगे। आज मैं आप से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र राममूर्ति जी कर रहे थे वह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वह केंद्र की है और जिस सेंस में हम यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं उसे वह पूरा नहीं करती। उसका तालमेल उससे नहीं है, इसलिए आप इस मांग को इग्नोर न करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो विकास कार्य होता है या जो योजनायें बनती हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। मैं इस बात को कहने के लिए तैयार हूं कि ड्रिंकिंग वाटर स्कीम से पहाड़ी जनता को बड़ा संतोष है और मैं राममूर्ति जी, गुप्ता जी तथा वर्तमान मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन की कृपा से उस इलाके में पीने के पानी की दिक्कत समाप्त हुई है ।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तराई भावर के इलाके में यदि कृषि के साधन और विशेषकर सिंचाई उपलब्ध हो जाय तो काफी उन्नति कृषि में हो सकती है। इसके

लिए डिवीजनल प्लानिंग कमेटी में एक प्रस्ताव भी पास हुआ था जिसमें, जहां तक मुझे याद है, मुख्य मंत्री तथा विकास मंत्री भी मौजूद थे जिसमें गोला में एक डैम बनाने की बात थी। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और आशा है कि वह चौथे प्लान में जरूर फाइनेलाइज किया जायगा।

इसके अलावा जो मंहगाई बढ़ रही है यह एक शंका का विषय है। इससे जो सीमित साधन वाले व्यक्ति हैं, जैसे चपरासी, क्लर्क, कंपाउन्डर, मास्टर आदि उनकी हालत खराब हो रही है। इसलिए मंहगाई भत्ता इस तरह से बढ़ना चाहिए कि जिससे कम तनख्वाह वालों को अधिक मिले और अधिक तनख्वाह वालों को कम, तभी इसका निराकरण हो सकता है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पर्वतीय जिलों में जो हिल एलाउन्स उनको मिलता था सन् ६० के पहले, उसे रिस्टोर कर दिया जाय तभी वहां की दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इसके लिए ७ पर्वतीय जिलों का एक साथ विचार किया जाय और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की जाय जो उन तमाम दिक्कतों को ध्यान में रख कर सरकार को अपनी रिपोर्ट दे।

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, कुछ समय पहले, मंदिर (भारतदेश) में एक साधु (पूज्य गांधी) रहकर दीन और दुखियों की सेवा में रत रहा करता था। कुछ समय पश्चात् ऐसा बवन्डर आया कि वह उसी में विलीन हो गया। स्वार्थियों ने मंदिर के कोने में अधिकार जमाकर गुलछर्रे उड़ाने शुरू कर दिये। एक ने कहना शुरू किया कि जाप जपें। दूसरे ने कहा कि जो यह जपें वही हम जपें। तीसरे ने कहा यह अंधेर कब तक निपटी। चौथे ने कहा कि "जब तक निपटी तब तक खाब, नहीं तो अपने घर का जाब।" यही दशा आज कांग्रेसी सरकार की है। प्रदेश में भुखमरी और मंहगाई से हाहाकार मचा हुआ है और प्रदेश की सरकार अपनी घरेलू लड़ाई में जुटी हुई है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सियों से ही वास्ता है। देश और प्रदेश का कुछ भी खयाल नहीं कर रहे हैं। बड़ी लम्बी २ योजनायें चलाते हैं लेकिन महंगाई कैसे दूर हो सकती है इसके लिए कोई सोचता नहीं। महंगाई तभी दूर हो सकती है जब उपज बढ़ाई जाय। उपज तभी बढ़ सकती है जब खेती करने वालों, मजदूरों और श्रमिकों किसानों का आदर हो। आज जो श्रम करते हैं, खेती करते हैं उन्हें नीच समझा जाता है इसके खिलाफ जो मुफ्तखोर हैं वे ऊंचे कहे जाते हैं। जब श्रम करने वाले नीच समझे जावेंगे और मुफ्तखोर ऊंचे समझे जावेंगे तब पैदावार घट जावेगी। पैदावार जब घट जावेगी तो घटने पर महंगाई हो जावेगी और महंगाई से गरीबी बढ़ेगी। इसलिए हम सरकार से यही कहेंगे कि श्रम की इज्जत करें।

आज जिस तरह से खराब बीज और कृषि यंत्र बट रहे हैं, जिस तरह से ट्यूबवैल लगाये जाते हैं, समय पर नहर में पानी नहीं आता है, ये सब गड़बड़ियां हैं जिनके कारण पैदावार नहीं बढ़ पाती है। अगर पैदावार के नाम पर कृषि यंत्र दिये भी जाते हैं तो वे ऐसे लोगों से खरीदे व लिए जाते हैं जो रद्दी सामान देते हैं और वही रद्दी सामान कृषि यंत्रों के रूप में किसानों को दिया जाता है। सामान उन्हीं अपने खास लोगों से लिया जाता है जो खराब सामान सप्लाई करते हैं। अभी जल्दी ही केंद्रीय सरकार से आदेश आया था कि विकास क्षेत्रों से जीपें हटाई जायं। हम यह सोच रहे थे कि जल्द ही जीपें हटाई जावेंगी। मेरा सुझाव है कि उनके स्थान पर ट्रैक्टर वगैरह किसानों की सुविधा के लिए प्रदान कर दिए जावें और किसानों को ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग दे दी जावे। और भी छोटे २ यंत्र किसानों को दिए जावें जिससे खेती की पैदावार बढ़ सके।

दूसरी चीज यह है श्रीमन्, कि आज जितने कोटा-होल्डर्स हैं, चाहे वे बड़े हैं या छोटे दोनों बड़े-बड़े अफसरों के और छोटे छुट भइयों के यार हैं। जब गड़बड़ी होती है तो सबबगार एक दूसरे के मिल जाते हैं। तो इससे गड़बड़ी नहीं रुक पाती है। अगर ईमानदार आदमियों को कोटा

[श्री सत्याराम रावत]

दिया जाय तो गड़बड़ी रुक सकती है। अब जो यह तमाशा रचा गया है कंट्रोलवाला, यह खत्म कर दिया जाय तो ठीक होगा। क्योंकि सरकार इस मामले में असफल हो चुकी है। इसके अलावा विकास क्षेत्रों में जो फौज रक्खी गई है किसानों को सहूलियत देने के लिए, अगर देखा जाय तो वे सब किसानों के हाकिम बने हुए हैं। कहां तक कहा जाय वे प्रधानों से अपना बस्ता तक लदवाकर घूमते हैं। संयुक्त समाजवादी दल महिलाओं की बड़ी इज्जत करता है और उनको आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन आज विकास क्षेत्रों में नियोजन कार्यालयों में जो दशा महिलावर्ग की की जा रही है उसको कहते हुए शर्म से सिर नीचे हो जाता है। वहां तो मीना बाजार लगाया जाता है।

आज प्रदेश में चोरी, डाका, कत्ल यह सब बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? जब सरकार खुद अपने आपस में लड़ेगी और जो अधिकारिवर्ग है कोई उसको अपनी तरफ खींचता है, दूसरा अपनी तरफ खींचता है। एक ऐब अगर मंत्री करवाते हैं तो पचास ऐब वह खुद अपनी तरफ से करते हैं। मंत्रियों की या सरकार की हिम्मत फिर नहीं पड़ती है कि वह उसको रोक सकें।

न्यायालयों की तो बड़ी ही बुरी दशा है। न्यायालय में प्रवेश पाने के लिए ही, जब पुकार होती है तो पहले रिश्वत दें तब प्रवेश पायेंगे। न्यायालय के अन्दर और वह रिश्वत आज हक के नाम से पुकारी जाती है। मुकदमें इतनी देर तक चलाते जाते हैं कि उसका सबूत ही नष्ट हो जाता है। एक एक मुकदमा वर्षों तक चलता रहता है। अगर उसमें शीघ्रता की जाय तो उसका सबूत जुटाने में आसानी हो और सही सबूत मिले।

अस्पतालों की दशा तो बहुत ही दयनीय है। अगर डाक्टर हैं तो दवा नहीं है और दवा है तो डाक्टर नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसा है कि न दवा है न डाक्टर है और साथ ही साथ यह भी है कि कुछ बड़ा उल्टा हिसाब चल रहा है। अब तक बाजार से दवा खरीदकर आती थी अस्पताल में और आज अस्पताल से दवा बिकने जा रही है दूकानदारों के यहां। अगर इस तरह की शिकायत की जाती है तो उसको टाल दिया जाता है। हालत बड़ी ही नाजुक है। यहां जो जनता के प्रतिनिधि आये हुए हैं जब किसी मंत्री से या सरकार से अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं कि हमको खुद इस तरह की परेशानी है तो यहां के मंत्रिगण मजाक करके इस तरह से उसको टालते हैं कि उनको शर्म नहीं आती है। इतनी मदान्धता से वह सोचते हैं कि शायद हमेशा वह इन्हीं कुर्सियों पर रहेंगे और यह जो आज हालत बिगाड़ रहे हैं देश और प्रदेश की उसका असर कैसे उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन वह उल्टा ही सोचते हैं। अब वह दिन दूर नहीं है। तख्ता पलटेगा और आज जो यह चोट कर रहे हैं वह खुद चोटें खायेंगे। जिस तरह से बिगाड़ रहे हैं अधिकारियों को या यहां के गुंडों को उकसा रहे हैं, वह खुद उसी लपेट में आयेंगे और पनाह मांगेंगे। अभी जल्दी ही की बात है कि एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई कि वह बड़ा खराब अधिकारी है। तो बड़े जोम और ताव के साथ मंत्री जी ने यह कहा कि वह तो अधिकारी बदला नहीं जायगा चाहे कुछ भी हो। समझ में नहीं आता है कि अधिकारियों के मंत्री हैं या मंत्रियों के अधिकारी हैं। कौन किसके मातहत है कुछ पता नहीं।

शिक्षा का स्तर आज इतना गिर गया है कि जिसकी इन्तहा नहीं और क्यों गिरा है? इसलिए कि लोगों को विश्वास यह हो गया है कि पढ़ लिखकर या योग्य बनकर तो हमें नौकरी मिलेगी नहीं। हमें तो नौकरी इस तरह से मिलेगी कि खुशामद कर लें किसी मंत्री की या सरकारी पक्ष के किसी बड़े नेता की और पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज अनुशासनहीनता विद्यालयों में फैलती जा रही है। हर भला आदमी अच्छा काम करके आगे को बढ़ता है लेकिन यह सरकार पीछे को चलती है। अब से कुछ समय पहले सरकार ने इस तरह का एलान किया था कि हम पांचवीं छठी तक शिक्षा निःशुल्क कर रहे हैं और इसके बाद आगे धीरे धीरे-दसवें तक और फिर उससे आगे, जहां तक हममें सामर्थ्य होगी, हम निःशुल्क कर देंगे। लेकिन हुआ यह कि कक्षा ६ तक की शिक्षा निःशुल्क करके आप एकदम चुप लगा गये हैं।

लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जनता अब चुप नहीं बैठ सकती, वह झाड़ू लेकर जुटेगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी और फिर मामला बहुत बिगड़ जायगा । इसलिए अब आप देश और प्रदेश को संभालने का प्रयत्न करें और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उद्यत हों ।

श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)—

(श्री रामप्रसाद देशमुख का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, मैं ५ दिन से कई बार उठ बैठ चुका हूं लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मिलेगा । आप सब्र से बैठिए ।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ५ दिन की उठक-बैठक के बाद आज बजट पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया । जो बजट इस हाउस के सामने पेश किया गया है उसको पढ़ कर मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश में जो भुखमरी फैली हुई है उसके होते हुए भी जिस जनता ने धैर्य से काम लिया है, उसके लिए वित्त मंत्री जी ने गरीब जनता को धन्यवाद नहीं दिया, जिसने देश में अराजकता को रोकने के लिए बहुत धैर्य से काम लिया ।

दूसरी बात यह इस बजट में नहीं आयी कि विजिलेंस कमीशन ने इस बीच में क्या कार्य किया । यह विजिलेंस कमीशन प्रदेश में इंटीग्रिटी और एफीशियेंसी को लाने के लिए स्थापित किया गया था । अपने प्रदेश की हालत बहुत खराब है । गल्ले की कमी है, उसकी ओर सरकार ध्यान नहीं देती है । एक ओर चकबन्दी ने सबको तबाह कर रखा है । किसान जानते नहीं कि मेरा खेत मेरे पास रहेगा या नहीं । जो लोग पैसा दे देते हैं उनको अच्छा चक दे दिया जाता है और जो पैसा नहीं देते हैं उनको खराब चक मिलता है । किसानों से, उन्हीं का गल्ला और उन्हीं से, छीना जाता है । फिर उन्हीं पर प्रतिबंध भी लगाया है कि बाजार में भी अपना गल्ला न ला सकेंगे और बाजार में गल्ला जो ले जाता है उस पर भी लेवी लगायी जाती है । यह जनता के लिए बहुत हानिकारक है ।

कोआपरटिव के द्वारा उन किसानों को खाद दिया जाता है जिनको आवश्यकता नहीं होती और जिनको आवश्यकता होती है उनको नहीं दिया जाता । कोआपरेटिव ने किसान को कर्जे से लाद दिया है । उसके कर्जे से किसान का छुटकारा मालूम नहीं देता । कोआपरेटिव का मैनेजर और दूसरे अधिकारी किसानों से पैसा खाते हैं । जब कि इन्डस्ट्री को ३-४ प्रतिशत पर कर्ज दिया जाता है, किसानों से ८ प्रतिशत तक का सूद चार्ज किया जाता है । सुपरवाइजर अपना परसेंटेज निकाल कर मैनेजर को भी देता है । हमारे यहां तो मैनेजर की ३५०-३७५ रुपया महीना की तनख्वाह ही बांध दी गयी है । जब कि वहां केवल एक आनरेरी मैनेजर ही काम कर सकता था ।

इर्रीगेशन, कम्युनिकेशन और एजूकेशन, ये तीन चीजें मुख्य होती हैं । इस कम्युनिकेशन के ही ठीक न होने के कारण इतनी अराजकता बढ़ी हुई है । २०-२० मील पर थाने हैं । इर्रीगेशन की व्यवस्था भी ठीक नहीं है । किसानों को समय पर पानी नहीं दिया जाता है । भुखमरी उसी से फैल रही है । एजूकेशन बढ़ रही है लेकिन टीचरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है, बच्चों का मारेल गिर रहा है । प्रदेश में किसी की इज्जत और लाइफ प्रोटेक्टेड नहीं है, रात को किसान अपने खेत की रक्षा नहीं कर पाता । इसका कारण यह है कि आज शहर की जितनी गायें या और जानवर हैं वे किसानों के खेतों को जाकर खाते हैं और किसान अपनी जान को असुरक्षित समझ कर रात में खेतों पर रहता नहीं है जिससे उसकी खेती बर्बाद होती है । इस तरह से यह भी एक भुखमरी का कारण है । साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

ही पार्टी पालिटिक्स की वजह से भी वह परेशान है जिससे उसे डर लगा रहता है कि कहीं उसकी जान न चली जाय।

जहां तक क्राइम्स सिचुएशन की बात है, अगर सन् ५९ से लेकर आज तक के आंकड़े देखा जायं तो मालूम हो जायगा कि इस प्रदेश में कितने कत्ल हुए हैं, कितनी नकबजनी हुई है और कितने कम्युनल बेसिस पर रायट्स हुए हैं और इस तरह से कितनी अराजकता बढ़ी है।

शेड्यूल्ड क्लास के सम्बन्ध में गवर्नर महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा है कि सर्विसेज में उनका रिजवशन १८ प्रतिशत से बढ़ाकर २५ प्रतिशत और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए ४५ प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। अगर वाकई आप उनके कोटे को पूरा करना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जो जिले में चुनाव होते हैं वहां कम से कम स्थानीय आदमी, या लोकल एम० एल० ए० ही कमेटी में बैठ जायं जिससे मालूम हो सके कि कहां तक किसका कोटा पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। एक शर्त जो यह लगा दी गयी है कि इस काम के लिए यह योग्यता कम से कम होनी चाहिए, इसका बहुत ही नाजायज फायदा और कम्युनिटीज द्वारा उठाया जाता है। वहां पर स्वार्थी लोग अपने आदमियों को रखने के लिए कह देते हैं कि इस योग्यता का आदमी नहीं मिला इस लिए फलां व्यक्ति को रख लिया गया। आज चुंगी तथा जिला परिषदों में भी यही देखने को मिलता है कि वहां की सर्विस में भी हरिजन वर्ग के आदमी नहीं लिए जाते। देखा गया है कि ब्लाक्स के अन्दर भी यही हालत है। पहले उनको जितनी ग्रान्ट्स मिलती थी अब उतनी नहीं दी जाती। ब्लाक्स के अन्तर्गत तमाम कन्स्ट्रक्शन हुए हैं इस वर्ग के लोग तमाम बिल्डिंग्स बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, कुओं की खुदाई करते हैं, खेती व किसानी करते हैं, तमाम पहाड़ खोद डालते हैं लेकिन उनके साथ वही उदासीनता का ही व्यवहार किया जाता है। आज भी वे नीचे की तरफ ही गिरते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से वजीफे मिलते हैं लेकिन स्कूल वाले भी उनकी कोई परवाह नहीं करते। वे यही समझते हैं कि ये तो शेड्यूल्ड क्लास वाले हैं, इस तरह से आज का समाज उस वर्ग के लोगों को, जो कि समाज की रीढ़ हैं, आज भी उसी तरह से पिछड़ा हुआ ही समझता है और उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहता।

आज समाज के साथ ही साथ सरकारी अधिकारी लोग व पार्टी पालिटिक्स से सम्बन्धित लोग भी उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसी हालत में, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा वर्ग जो खेती करता है और अन्न की पैदावार को बढ़ाता है, उसको दबाने की या उस पर कर लगाने की कोशिश की गयी तो मैं समझता हूं कि यह देश या प्रदेश कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। अगर माननीय मन्त्री जी चाहते हैं कि किसान अन्न की पैदावार बढ़ाए और उनके साथ सहयोग करे तो सरकार को चाहिए कि यदि वह एक बोरी अनाज बाजार में लाए तो उसे दो बोरी या एक बोरी ही सीमेंट दें और मेरा खयाल है कि इससे सन्तुष्ट होकर वह आपको पूरा-पूरा गल्ला देगा और शहरों में या अन्य स्थानों पर अन्न की जो कमी महसूस की जा रही है वह दूर हो जायगी। यदि वे समझ जायं कि सरकार हमारा भला करना चाहती है, हमारे रहन-सहन के ढंग को ठीक करना चाहती है, हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ाने में लगी हुई है तो किसान सरकार का हर तरह से साथ देंगे। लेकिन आज स्थिति है कि आज वे जितना गिरे हुए हैं उससे भी नीचे गिराये जा रहे हैं, जो दबे हुए हैं उनको और दबाया जा रहा है और हर जगह की जनता, चाहे वह शहर की हो या देहात की, यही समझती है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय समाप्त।

श्री लयालीराम (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने में अपने को असमर्थ पा रहा हूं। मेरा यह आठ, सात साल का निजी अनुभव है कि इस प्रदेश का बजट जैसे-जैसे बढ़ता जाता है वैसे-वैसे इस प्रदेश में असुरक्षा, अराजकता, भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती, बेकारी और भुखमरी बढ़ती जा रही है। मैं आपके द्वारा इस सरकार से बड़े दुःस्साह स के साथ निवेदन करूंगा कि क्या इस सूबे के हरिजनों ने इस देश के टुकड़े मिस्टर जिन्ना की तरह करा के आपके साथ रहने का जो संकल्प किया था, क्या उन्होंने कोई पाप किया था ? इस १७ वर्ष के प्रशासन में आज प्रदेश में जो हरिजनों की स्थिति है वह बहुत शोचनीय है। इन का जीवन कायम रखने के लिए तीन साधन हैं, खेती, व्यवसाय और सर्विसेज। खेती और व्यवसाय तो शून्य ही है केवल सर्विसेज में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी रोज सदन में प्रश्न उठा करते हैं। उधर से कहा जाता है कि उपयुक्त लोग नहीं मिलते हालांकि हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट व बी० ए० पास हरिजन भी मारे-मारे फिरते हैं।

खेती में हर गांव सभा में जब कि ग्राम समाज मैनुअल में लिखा है कि भूमिहीनों व हरिजनों को पहले जमीन दी जाय लेकिन उसमें भी हरिजनों की उपेक्षा होती है। लेखपाल के गलत इन्दराजों के कारण कागजात में गड़बड़ी होती है, आबादी उनकी ठीक नहीं लिखी जाती और इस कारण से चकबन्दी में भी उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। गलत इन्दराज के कारण उनके कब्रिस्तान तक जोत लिए गए हैं। एक योजना बहुत अच्छी है उसका मैं स्वागत करता हूं कि उपनिवेशन योजना में लाखों एकड़ जमीन जंगल तोड़ कर खेती के लिए बनाई गई है लेकिन उसमें भी हरिजनों का कोटा बिल्कुल शून्य के बराबर है और बापू के दुलारे हरिजनों की दिन ब दिन उपेक्षा होती है जिनके बल पर यह सरकार बनी बैठी है। उपनिवेशन योजना में दस एकड़ एक आदमी को और २० एकड़ हाई स्कूल पास के लिए भूमि अनुदान मिलता है। मैं भी वहां दो तीन बार गया और मैंने कोशिश की कि कुछ हरिजनों को भूमि अनुदान मिले लेकिन मैं असफल रहा। मैं निवेदन करूंगा कि गांव सभाओं में जो जमीन परती व बंजर है वह केवल हरिजनों को ही दी जाय तो अच्छा होगा। इस उपनिवेशन योजना में भी उन का कोटा १८ प्रतिशत जरूर मिलना चाहिए।

आज हाई स्कूल या इन्टर में जो हरिजन लड़के पढ़ते हैं इस साल उनकी परीक्षा अब होने वाली है उनको अभी तक वजीफा नहीं मिला। मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा कि शीघ्र इसकी व्यवस्था की जाय। सर्विसेज में भी उनको स्थान मिलने चाहिए क्योंकि हरिजन भी इसी देश के रहने वाले हैं वह विदेश से नहीं आए हैं, उनके भी मौलिक अधिकार हैं। उनके लिए खास तौर पर हमें सोचना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं विशेषकर खाद्य संकट की ओर भी सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा। दिन ब दिन ६१-६२ से आजतक बराबर खेती की उपज घटती जाती है, बावजूद इस के कि हमारी विकास योजनायें चल रही हैं। इसके २ ही कारण हैं, मैं सुझाव दूंगा कि श्रमिकवर्ग जो उपेक्षित है वही उपयुक्त श्रम खेती के काम में कर सकता है और पैदावार बढ़ा सकता है लेकिन उसके लिए ऐसी दवा देहात में खोल रखी हैं कि जो भी आदमी रिटायर होता है उसे डिनेचर्ड स्प्रिट की दूकानें खुलवा दी जाती हैं और श्रमिक हरिजनों का मानसिक, आर्थिक और शारीरिक नुकसान उनके द्वारा होता है और श्रम का विनाश हो रहा है। शायद यह सरकार अपने नेतृत्व को हरिजनों से ही खतरा समझती है इसलिए उसने गांवों में डिनेचर्ड स्प्रिट की दूकानें खुलवा दी हैं और एक तमाशा बनाए हुए हैं।

दूसरा मेरा सुझाव इस संबंध में, मान्यवर, यह है कि जो यह किसानों के ऊपर लगान बढ़ा दिये जाते हैं, उसमें इस बात का कतई खयाल नहीं रखा जाता है कि लगान कितना बढ़ाया जा रहा है, लगान मनमाना बढ़ा दिया जाता है। श्रीमन्, हरिजन एवं छोटे किसान अधिवासी से सीरदार हुए हैं उन पर लगान जब लगाया हुआ तो एक तो सरकिट रेट से

[श्री खयालीराम]

बूता लगान यों ही हो गया था अब उनके ऊपर और लगान बढ़ाना किसानों को हतोत्साह करना है। श्रीमन्, एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि अगर खेती की पैदावार आपको बढ़ाना है किसानों पर कोई टैक्स न लगाएं, तभी हमारे यहां के किसानों के खेतों की पैदावार बढ़ सकती तो है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विकास योजनाओं के संबंध में कह देना चाहता हूं कि इन विकास योजनाओं के द्वारा किसानों के प्रति जो रवैय्या अख्तियार किया जा रहा है, उससे किसानों का विश्वास इन योजनाओं के प्रति दिन प्रति दिन घटता ही जा रहा है। अभी किसानों के लिए विकास योजनाओं से कृषि यंत्र बांटे गए और यह कहा गया कि १/३ उनको छूट दी जायगी, लेकिन जब किसान भाइयों ने यंत्र खरीद लिए तो उनको कोई छूट नहीं दी गई और उनसे ब्याज भी वसूल किया गया। सिंचाई हेतु कुओं के लिए सरकार ग्रान्ट व लोन मिलाकर १०००.०० रु० देती है जिसमें हरिजनों के लिए १/२ ग्रान्ट व१/२ लोन तथा गैर हरिजनों को १/४ ग्रान्ट तथा ३/४ लोन, परन्तु ब्याज पूरे १०००.०० रु० पर लगाया जाता है जब कि हरिजनों का ५००.०० तथा गैर हरिजनों का २५०.०० रु० ग्रान्ट का निकाल कर ५०० रु० तथा २५० रु० पर ही ब्याज लगाना चाहिए। किसानों के ऊपर यदि इन सब कार्यों में सहूलियत नहीं दी गई तो इस से गरीब किसानों को कोई फायदा नहीं हो पायेगा। एक बात और देखी गई कि यह जो अनुदान दिए जाते हैं, यह बड़े-बड़े आदमियों को ही दिए जाते हैं, जो लोग उनको घूस दे सकते हैं। गरीब लोगों का अनुदान देने में ध्यान दिया जाना चाहिए। तभी अन्न उत्पादन में वृद्धि हो सम्भव है।

श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय,..... (व्यवधान)

श्री मोहनसिंह (जिला अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पिछले बजट में पिछले साल के जनरल डिबेट में मुझे मौका नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइए, मैं तो बोलने की सबको इजाजत दूंगा। लेकिन अब आप बैठिए। ४२१ मेम्बरों में से सबको मौका नहीं दिया जा सकता।

श्री मोहनसिंह—

आखिर किसी को मौका दिया जा सकता है और हमें मौका नहीं दिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भी बुलाए जायेंगे, ऐसी बात नहीं कि न बुलाए जायं।

श्री मदनपालसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बजट के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि आज के देखने से प्रतीत होता है कि उसमें बहुत से अनुदान परसाल के बजट से बढ़ा कर रखे गये हैं और उसकी आवश्यकता भी है कि उनको बढ़ाया जाय। आवश्यकता इस बात की है कि उन मदों के ऊपर अनुदान को बढ़ाया जाय और अब सोच समझ कर बजट को रखा गया है, लेकिन बात यह है कि जब यह रुपया हमारे इस्तेमाल के लिए हमारे यहां डिपार्टमेंट में पहुंचता है और जो कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी बनाये जाते हैं, जो इस पैसे को इस्तेमाल करें, जैसा कि कृषि के मामले में है, सिंचाई के मामले में है, प्रशासन के मामले में है। तो यह रुपया ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि यह बहुत सा रुपया बरबाद चला जाता है, जिसकी वजह से

यह सरकार का जो मंशा है, सरकार जो चाहती है कि हमारे देश से अन्न संकट दूर हो, वह नहीं हो पाता है। जैसा कि खेती के मामले में अक्सर होता है कि बहुत सारे रुपए खादों के मामले में, सिंचाई के मामलों में रखे गए हैं, अगर आप देहातों में जायं, गांवों में जायं और किसानों से पूछें और उनसे मालूम करें कि आपको कितनी इमदाद मिली, कितना पैसा आपको दिया गया खेती करने के लिए तो उनका उत्तर सुनकर आपको अचम्भा होगा कि वह इस बात को महसूस ही नहीं करते हैं कि उनको कोई रुपया मिलता है और वह रुपया जो मिलता है, वह भ्रष्टाचारी लोगों को मिलता है, जो लोग घूस देते हैं, उन्हीं को मिलता है। जो लोग रिश्वत देते हैं उन्हीं को रुपया मिलता है। जिसके पास रुपया रहता है, धनी लोग होते हैं, घस दे सकते हैं, उन्हीं को रुपया भी दिया जाता है, गरीबों को नहीं मिलता है। जिस तरह से खेती में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे आर्डर्स ऊपर से होते हैं कि खेती की पैदावार को बढ़ाया जाय और उसके लिए पानी का प्रबन्ध किया जाता है, खाद तथा गहरी जुताई का प्रबन्ध किया जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि खाद का कोटा पूरा करने के लिए हर ब्लाक में एक होड़ लग जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि जिसको खाद की जरूरत होती है उसको तो मिलती नहीं और जिसको जरूरत नहीं होती उसको मिल जाती है।

मेरे बुन्देलखण्ड में किसानों को जबरदस्ती खाद दी जाती है। बैंक में जो सोसाइटी कर्जा देती है उसमें किसानों पर पाबन्दी लगायी जाती है कि इतने पैसे पर इतनी खाद लेनी पड़ेगी। इससे यह होता है कि खाद का दुरुपयोग होता है और खेत में पैदावार भी कम होती है। बेहतर यह हो कि जहां पर सिंचाई के साधन हैं और जहां पर खाद की वाकई जरूरत है वहीं पर खाद देना चाहिए। हमारे यहां २-१ तहसील में जहां सिंचाई के साधन अच्छे हैं वहां पर खाद की कमी रहती है और औसत यह लगाया जाता है कि हर किसान को खाद दी जाय। जब कि होना यह चाहिए कि जहां सिंचाई के साधन हैं वहीं खाद ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर हर चीज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाय और जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है वहीं वह चीज पहुंचायी जाय तो मैं समझता हूं अन्न का संकट दूर हो सकता है और बजट का सही प्रयोग हो सकता है।

बुन्देलखण्ड का इलाका पिछड़ा हुआ है, वहां प्रशासन की जो हालत देखने में आती है वह बड़ी दयनीय है, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। हमारे महोबा में दो मैजिस्ट्रेट्स हैं—एक ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेट और दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हालत यह है कि ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेट, मैं समझता हूं कि कभी जब उनका पेशकार उनके पास पहुंचता है ४, ५, ६ महीने में तब वह फाइल पर दस्तखत करते हैं। हजारों किसानों की दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। लाइसेन्स रिन्यू हुए ३ महीने हो गये लेकिन किसी लाइसेन्सी को आज तक लाइसेन्स नहीं दिया गया। उनके सामने फाइलें रखी जाती हैं लेकिन उनको सरकारी काम करने का वक्त ही नहीं मिलता। वह अपने समय का उपयोग सरकारी कामों में नहीं करते हैं। उनसे जनता को काफी शिकायत है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का दूसरा हाल है कि किसी न किसी तरह मुकदमात में राजीनामा या इकबाल करवाने की हर तरह से कोशिश करते हैं ताकि उन्हें जजमेंट न लिखना पड़े। वहां की बार एसोसियेशन ने प्रस्ताव पास किया है कि उनके कोर्ट में नहीं जायेंगे, इसकी सूचना सरकार को मिल चुकी है, अगर सरकार ने उधर ध्यान नहीं दिया तो जनता आन्दोलन करेगी। कमिश्नर को जांच के आदेश हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। मैं चाहता हूं कि इसका जल्दी प्रबन्ध होना चाहिए।

हमारे हमीरपुर जिले में, अन्य जिलों के मुकाबले, सबसे ज्यादा कत्ल होते हैं क्योंकि वहां का प्रशासन और पुलिस ठीक तरह से काम नहीं करती है। रिश्वत का बाजार गरम रहता है जिसकी वजह से सही न्याय नहीं मिलता है जिसकी वजह से जनता परेशान होती है लेकिन सरकारी अधिकारी उसका यही मतलब लगाते हैं कि चूंकि यह बैकवर्ड एरिया है, जनता नहीं जानती कि कैसे अपने अधिकारों का लाभ उठाया जाय। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार को बकवर्ड एरियाज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

[श्री मदनपालसिंह]

हमारे यहां सड़कों का भी बहुत थोड़ा विकास है। इंटीरियर में तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। बरसात में अगर कोई मरीज अस्पताल तक जाना चाहे तो नहीं जा सकता। वहां पर सड़कों का काफी अभाव है जिसकी वजह से वहां का विकास होना असम्भव है। पथरीली जगह होने के कारण वहां सड़कें आसानी से बन सकती हैं लेकिन उस तरफ कम ध्यान दिया जाता है।

शिक्षा के मामले में भी हमारा बुन्देलखण्ड काफी पिछड़ा हुआ है क्योंकि वहां स्कूल्स और कालेजेज कम हैं। अतः वहां ज्यादा स्कूल और कालेजेज खोले जायं। २, १ स्कूल और कालेज जरूर वहां खोले गये हैं लेकिन बड़े-बड़े कालेजेज की वहां कमी है। जिला परिषद् वहां का इन्तजाम कर रही है और हर गांव में आबादी के लिहाज से स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मन्त्री उस ओर विशेष ध्यान देंगे ताकि शिक्षा की कमी बुन्देलखण्ड में दूर हो। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं समयाभाव के कारण २, ४ सुझाव ही देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि १७ साल के कांग्रेस शासन का परिणाम क्या रहा? आज शहर और देहातों के अन्दर क्रमशः जो पहले धनी लोग थे वे और धनी हो रहे हैं और गरीब और गरीब हो रहा है। उनकी हालत बहुत शोचनीय हो रही है। सरकार जो अपनी तरफ से सुविधा देती है उसका विशेष फायदा बड़े-बड़े लोग ही उठाते हैं और गरीब तथा मध्यम वर्ग को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है। जब तक सरकार निम्न तथा मध्यम वर्ग के साथ ऐसा बरताव करेगी तब तक आप समाजवाद की बात सोच नहीं सकते। मुख्य मन्त्री जी जब बोलेंगी तो कहेंगी कि हम समाजवादी समाज की रचना चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि समाजवादी प्रणाली का क्या यही अर्थ है कि अमीर और अमीर हो तथा गरीब और गरीब हो? मैंने तो यह देखा है कि गरीब समाजवादी व्यवस्था के अन्दर आगे बढ़ता है और अमीर को कुछ थोड़ा दबाया जाता है। लेकिन यहां यह बात नहीं है। गरीबों पर सरकार टैक्स लगाती है तथा यह सरकार शहर और देहात के अमीरों का उस पैसे से भला करती है। लेकिन जिनसे पैसा लेती है उनका कोई भला आज तक इस सरकार ने नहीं किया है और उन गरीबों की कमर टैक्सों के बोझ से टूटती जा रही है। बड़े-बड़े काश्तकार कहते हैं कि वे किसान हैं लेकिन मैं कहता हूं कि वह मैनेजर हैं और गरीबों का शोषण करते हैं तथा अपने हाथ से काम करने वाला किसान तबाह हो रहा है।

हां, एक बात के बारे में मुझे जरूर खुशी है और वह यह कि हरिजनों का जो अभी तक १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन था उसको बढ़ाकर २५ और ४५ प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन मुझे इसका पूरा होने में संदेह है क्योंकि जब १८ प्रतिशत ही सरकार १७ साल में पूरा नहीं करा सकी तो कैसे विश्वास किया जा सकता है कि २५ और ४५ प्रतिशत का रिजरवेशन पूरा हो सकेगा। इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि यदि सरकार वास्तव में हरिजनों का कल्याण करना चाहती है तो पूरे प्रदेश में २० प्रतिशत हरिजन रहते हैं। सरकार सर्वे करा के देखे कि कितने पढ़े-लिखे हरिजन बेकार बैठे हैं और पहले उन्हीं को नौकरियों में लिया जाय। मैं तो कहूंगा कि यदि १८ प्रतिशत ही स्थान सरकार दे दे तो बधाई की पात्र होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि यह हरिजनों को फंसाने के लिये एक टुकड़ा फेंका गया है।

(इस समय ३ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आज खाद्य समस्या भयंकर है। उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार गल्ले का व्यापार अपने हाथ में ले, उसका वितरण अपने हाथ में ले। देहातों के अन्दर सरकार बड़े-बड़े किसानों से गल्ला इस भाव पर खरीदे कि खरीदने वाले भाव में तथा जब उस गल्ले को बेचा जाय उस भाव में १० प्रतिशत का अन्तर हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिये। आज प्रदेश का हरिजन धर्म परिवर्तन कर रहा है। सरकार सोचे कि क्यों कर रहे हैं? हर क्षेत्र

में हरिजन का मनोबल टूटा है, जिसको सरकार नहीं उठा सकी। आज पूर्वी जिलों में हरिजन ईसाई बन रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर उनकी तरफ समुचित ध्यान दिया जाता तो वह धर्म परिवर्तन न करते। कल माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि विरोधी दल वाले सब गलत बात कहते हैं, माननीय बनारसीदास जी ही जो कुछ कहते हैं क्या वह सही है ? मैं कहता हूं कि आप गरीबों से पैसा लेना चाहते हैं, ७ करोड़ रुपये के टैक्सेज बढ़ाने की बात सरकार कर रही है, आप टैक्स बढ़ाइये मैं आपका साथ दूंगा लेकिन शर्त यही है कि वह टैक्स पैसे वालों पर ही लगाया जाय न कि गरीबी पर जिनमें टैक्स देने की सामर्थ्य नहीं है। अगर सरकार ऐसा करेगी तो हम सरकार का साथ देंगे। लेकिन इन मध्यम श्रेणी और गरीबों पर अगर टैक्स लगायेंगे तो यह गरीब जनता संघर्ष करेगी। आप टैक्स लें परन्तु उन लोगों से लें जिन्हें फायदा हो रहा है। उनमें वे बड़े बड़े किसान हैं जो गांवों में रहते हैं और वे धनी लोग हैं जो शहरों में रहने वाले लोग हैं।

दूसरे मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि गल्ले के वितरण की व्यवस्था ठीक हो। मुझे आशा है हमारी माननीय मुख्य मंत्री इस पर गौर फरमायेंगी और इसकी ओर भी देखेंगी।

अब मैं अपने जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे पूर्वी जिलों में पटेल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो परिस्थिति इन चार जिलों की है जहां पर यह लागू हो रही है, वही परिस्थिति करीब-करीब बलिया और गोरखपुर जैसे जिलों की है। मान्यवर, गाजीपुर में ९ नदियों का जाल-सा बिछा हुआ है। अगर बाढ़ आती है तो एक तरफ से दूसरी तरफ का आवागमन रुक जाता है। आज वहां की १२ लाख जनता प्रयत्न कर रही है कि तारीघाट के पास गंगा नदी पर रोडवेज का पुल बनाया जाय। इस पुल के न होने से जब हम बम्बई से कोई सामान मंगाते हैं तो वह हमें लगभग ३ महीने में प्राप्त होता है। ये परेशानियां हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष जी, ४ रोज से बजट के ऊपर बहस हो रही थी। मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इतनी दिलचस्पी ली और इतनी अच्छी तरह अपनी राय बजट के सम्बन्ध में देते रहे हैं। बहुत से विषयों के बारे में यहां चर्चा हुयी। सब विषयों के सम्बन्ध में मेरा कहना मुश्किल है लेकिन जो खास खास अहम बातें रही हैं, उन्हीं के ऊपर थोड़ा बहुत जो कहना है, कहूंगी। दूसरी बातों पर हमारे माननीय वित्त मंत्री प्रकाश डालेंगे। यहां पर एक जनरल समालोचना यह रही कि १५ या १७ साल में प्रदेश में कुछ काम नहीं हुआ है। जब एक मुल्क में प्लानिंग हो रही है, प्लान्ड डेवलपमेंट का हम प्रयास कर रहे हैं तब हमें देखना है कि प्लान से हमारे देश में क्या परिवर्तन आया है। कुछ टेन्जिबिल एवीडैन्स हैं कि यह काम हुआ है। कुछ परिवर्तन दिखायी नहीं पड़ते लेकिन हमें यह देखना है कि क्या कुछ बातें ऐसी हुयी हैं कि जिनसे हमारी प्रगति का रास्ता सहज हो रहा है। जो परिवर्तन हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कास्ट आफ लिविंग पर क्या पड़ा है। ये ३-४ बातें हमें प्लानिंग के बारे में देखनी पड़ेंगी। अगर हम एसेंस करें तो टैन्जिबिल एवीडेन्स १५ साल में हुयी दिखाई पड़ती है। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ती, इससे भी ज्यादा कोई गलत बात नहीं हो सकती। मैं ज्यादा आंकड़ों में तो नहीं जाना चाहती लेकिन यह निवेदन करती हूं कि सन् १९५० में अर्थात् १५ साल पहले १९५० में हमारे पास बिजली १३९ मेगावाट मौजूद थी सारे प्रदेश के लिये और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १ हजार मेगावाट हो जायगी। जो अवेलेबिल पावर है वह नाकाफी है लेकिन जो प्रगति हुई है और जिस रफ्तार से हुई है वह एक सराहनीय प्रगति है। कोई भी मुल्क उसके लिये फख्र कर सकता है। जो इलेक्ट्रिसिटी यहां कंज्यूम होती थी उसका २४ गुना कंजप्शन बढ़ा है।

एक दूसरी टेन्जिबिल प्रगति सड़कों में हुई है। यह ६० फीसदी हुई है। १० हजार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

मील सड़कें थी और अब १६ हजार मील से अधिक हैं। ये नाकाफी हैं लेकिन क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिये ज्यादा नहीं कर सके। रोड एन्ड कम्युनिकेशंस ये दोनों प्रगति के रास्ते पर ले जाते हैं। रोडवेज तथा ट्रान्सपोर्ट सर्विस के जरिये रूरल और अर्बन एरियाज दोनों का काफी एरिया कवर करके यातायात की सुविधा हमने प्रदेश की जनता को पहुंचाई है।

सिंचाई के बारे में ज्यादा नहीं बतलाऊंगी क्योंकि पिछले दो, तीन सालों में खेत का प्रोडक्शन कम हुआ है। कुछ कहूंगी तो लोग मजाक उड़ायेंगे लेकिन इतना अवश्य बताऊंगी कि इरीगेशन में मीडियम तथा मेजर इरीगेशन वर्क्स के जरिये ४४ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई बढ़ी है।

१९५० में जितने बच्चे पढ़ते थे अब उससे ४० फीसदी तादाद बढ़ी है लड़कियों के स्कूल में। पहले ५ हजार स्कूल थे और अब १७ हजार हैं और ६–७ साल की उम्र के बच्चे, वे अब स्कूलों में ७३ फीसदी पहुंच रहे हैं और हमारा प्रयास है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ८५ फीसदी तक पहुंचेंगे। मेडिकल फैसिलिटी हम देखें जितनी पहले अस्पतालों में इनडोर पेशेन्ट्स रखने की क्षमता थी वह अब ५ गुनी बढ गई है। टेक्निकल एजूकेशन ७० फीसदी बढ़ी है और टेक्निकल क्वालिफाइड लोग हमारे प्रदेश में अब हजारों की तादाद में मौजूद है। टेक्निकल कालेज में पिछले १० साल में सीट्स दूनी हो गयी हैं। डिप्लोमा कोर्स में सब से ज्यादा तरक्की हुई है। १० गुनी सीट्स उसमें बढ़ गयी हैं लेकिन ये भी काफी नहीं है क्योंकि प्रान्त बहुत बड़ा है। प्रान्त में जब प्रगति बहुत ज्यादा हो जाय तब वह प्रगति दिखाई पड़ सकती है लेकिन जो हुई है वह सालिड एचीवमेन्ट है। अगर कोई कहे कि नहीं है तो फिर उसने आंख मीच रखी है।

कृषि के उत्पादन का जहां तक संबंध है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो हमारा लक्ष्य था उससे ज्यादा उत्पादन हुआ क्योंकि हमको मौसम अच्छा मिला और कुछ फेसिलिटीज भी हमने दीं। लेकिन बदकिस्मती यह हुई कि पिछले तीन साल में मौसम खराब रहे और प्रगति दिखाई नहीं दी। अगर प्रकृति मदद करे तो हम और प्रगति दिखा सकते हैं और प्रोडक्शन काफी बढ़ सकता है। पोटेंशियलिटी के लिये कृषि में इंडिविजुअल वेंचर की आवश्यकता होती है। हम फेसिलिटीज दे सकते हैं, फर्टिलाइजर दे सकते हैं, अच्छा बीज दे सकते हैं, इरीगेशन फेसिलिटीज दे सकते हैं, मेथड बतला सकते हैं, अच्छे औजार दे सकते है और यह सब देने के बावजूद काश्तकार की विल है कि कितना वह इनका इस्तेमाल करेगा। किसान अभी हमारा गरीब है, कर्जदार है। जो नीचे के तबके का किसान है, यह देखना होगा कि किस हद तक उन फेसिलिटीज को ले सकता है या नहीं और उनको वह इस्तेमाल कर पाता है या नहीं? जितनी पोटेंशियलिटी हमने तैयार की हैं उनके जरिये ३४ लाख टन अनाज का वह उत्पादन कर सकता है बशर्ते कि नेचर भी मदद दे।

नान फूड प्रोडक्शन भी आप देख लें। आयल सीड्स में पहले ७ लाख टन था जो अब १५ लाख टन हो गया है। शुगर केन डबल हो गया है। जूट का प्रोडक्शन चौगुना हो गया है। तो जो यह कहा जाता है कि प्रदेश की प्रगति नहीं हुई है इससे गलत बात और कोई नहीं हो सकती है। कुछ टेन्जिबिल चीजें हैं जो आंख से दिखाई देती है और देखी जाती हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बताती हैं कि प्लानिंग को आगे बढ़ाने में क्या प्रगति हुई है और प्लानिंग को आगे बढ़ाने में उसने क्या मदद की है? अन्डर डेवलप्ड इकोनामी में लो इनकम, पूअर सेविंग, पूअर रिटर्न्स और हैवी इनवेस्टमेन्ट होता है। अन्डर डेवलप्ड इकोनामी में ये चार चीजें दिखाई देती हैं। सेविंग कम हो, रिटर्न्स कम हों, इनकम कम हो और इनवेस्टमेन्ट हैवी हो। अगर हमें इसको आगे ले जाना है तो क्या करना है? सबसे पहला काम यह है कि काफी कैपीटल इनवेस्ट की जाय जिससे हम ड्यूरेबिल असेट्स तैयार कर सकें। जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारे देश और प्रदेश

की इकोनामी आगे बढ़ सकती है। जो चीजें हमारी इकोनामी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें वह पावर है, रोड्स हैं, बांध हैं, ये ही चीजें बुनियादी है जो हमारे प्रदेश की प्रगित कर सकती है। इन दिनों में आप देखें कि आपके ड्यूरेबिल असेट्स तैयार हुए हैं या नहीं। इसके लिये तकलीफ यह है कि जो ड्यूरेबिल असेट्स तैयार होते है उनसे हमें फौरन रिटर्न्स नहीं मिलते है, देर में मिलते हैं। लेकिन प्लानिंग की पहली सालों में हम बुनियाद बना रहे हैं जिसके ऊपर इकोनामी की प्रगति हो सकती है। लेकिन इसके लिये हमें काफी रुपया लगाना पड़ेगा। एसी चीजें हमें अपने प्रदेश में बनानी हैं जैसे बांध बनाना, रोड्स बनाना, कारखाने लगाना। इसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है। इसके बाद इसके ऊपर का स्ट्रक्चर बनायेंगे। तब हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक आवाज से यह कह देना कि इन १५-१७ वर्षों में प्रदेश की कोई प्रगति नहीं हुई है, इससे ज्यादा गलत और झूठ बात और कोई नहीं हो सकती है। प्रगति अवश्य हुई है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आंखों के सामने दिखाई देती हैं और कुछ ऐसी हैं जो जमीन पर हैं जो पोटेंशियेलिटी तैयार हुई है जिसके ऊपर हम काम करेंगे तो मालूम होगा।

एक तकलीफ प्रदेश के लोगों के ऊपर इस बात की है कि उनका कास्ट आफ लिविंग बहुत बढ़ गया है। इसीलिये आजकल इतना हाय-हाय मचा हुआ है। अब देखना यह है कि ये भाव क्यों बढ़े हैं? केवल हमारे यहां ही बढ़े हैं या सारे हिन्दुस्तान में बढ़े हैं। सारे हिन्दुस्तान में आजकल प्लान्ड इकोनामी चल रही है जिसमें हैवी इनवेस्टमेन्ट हो रहा है, इसलिये सारे हिन्दुस्थान में इनफ्लेशन बढ़ रहा है। हमारे यहां भी बढ़ रहा है और हिन्दुस्थान की सारी रियासतों में बढ़ रहा है। किसी भी रियासत में सेल्फ रिलायेंस और सेल्फ सपोर्टिंग इकोनामी नहीं है। जहां सब जगह भाव बढ़े हैं वहां हमारे यहां भी बढ़े हैं। हमारे यहां के भाव दूसरी जगहों से ज्यादा नहीं हैं। हमारे यहां इसलिये भी तकलीफ ज्यादा बढ़ी हुई है कि हमारे यहां अन्न की समस्या खड़ी हो गई है। इसलिये और भी ज्यादा भाव बढ़े। जब अन्न का भाव बढ़ा तो उसके साथ ही साथ दूसरी चीजों का भी उसके प्रपोर्शन से भाव बढ़ गया। लेकिन यह समस्या सारे भारतवर्ष में फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रदेश में ही हो। इसलिये लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है वरना इतनी तकलीफ नहीं होती। अगर अन्न का भाव कम होता तो इतनी हाय-हाय दिखाई नहीं देती।

मैं यह मानती हूं कि हमारा प्रदेश बैकवर्ड है उसको दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में लाने के लिये हमें हैवी इनवेस्टमेन्ट करना है या ऐसा सोचना है कि ऐसे काम चलाये जायं जिनसे हमें जल्दी रिटर्न्स मिलें, उससे ही हम चला ले जायेंगे। यह आपको फैसला करना है। लेकिन जो फैसला आज केन्द्र से और दूसरी स्टेट्स से हुआ है वह यह है कि हम तकलीफ उठायेंगे और हैवी इनवेस्टमेन्ट करेंगे और देश में इकोनामी की बुनियाद बनायेंगे जिससे अपने देश की इकोनामी को बना सकें।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि हम डेफीसिट फाइनेंसिंग क्यों करते हैं, जानबूझ कर करते हैं ताकि मौका हो कि हम और टैक्स लगायें। मैं कहना चाहती हूं कि कौन स्टेट है, कौन ऐसी पोलिटिकल पार्टी है जो जानबूझ कर बदनामी उठाने के लिये टैक्स लगाये। आप भी पोलिटिकल विंग्स हैं और इस बात को ठीक से जानते हैं कि कोई भी पार्टी खुशी से टैक्स नहीं लगाना चाहती। बड़े-बड़े मुल्क जैसे अमेरिका जो बहुत ही खुशहाल है वहां भी टैक्स लगते हैं। कोई नहीं चाहता कि टैक्स लगाये जायें, किन्तु लगाना पड़ता है। टैक्स लगाना दवाई का घूट जैसा पीना है, किन्तु पीना पड़ता है, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिये। बजट कोई आइसोलेटेड चीज नहीं है। हमें तो जो खर्च है उसका अन्दाजा लगाना पड़ता है।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

बचत की बहुत चर्चा की जाती है कि बजट का रुपया खर्च नहीं हो पाया और रुपया बच गया, इसकी फीगर्स बढ़ा चढ़ा कर भी कही जाती हैं। बजट में तो पूरे आय और व्यय का केवल अन्दाजा करना पड़ता है और उसमें विभिन्न कारणों से अन्तर भी हो जाता है। वह टैक्स एक्चुअली कलेक्ट होने के बाद उसमें वास्तव में कितना अन्तर रहेगा यह भी हमें नहीं मालूम रहता है। खर्चे का भी हमें कोई अंदाजा नहीं रहता है, हम कितना खर्च करेंगे इसका भी हमें अन्दाजा नहीं रहता है। जो अंदाजा आमदनी और खर्च का होता है उसमें फर्क पड़ा करता है और इसी से बचत हो जाती है। जैसे ३ साल पहले हमें कोयला नहीं मिल रहा था और कोयले की कमी के कारण ईंटें कम बनी और जो इमारतें और निर्माण कार्य हमारे द्वारा बनने थे वह नहीं बन पाये। जब इमारतें और पुल आदि ईंटों और कोयले की कमी के कारण नहीं बन पाये तो उस रुपये की बचत हो गई जिसे हम खर्च करना चाहते थे। इसी प्रकार से इमर्जेंसी आई और उसके कारण भी सीमेंट आदि की कमी पड़ी और एकोनामी भी अपनानी पड़ी जिसके कारण बहुत-सा रुपया बच गया। इस प्रकार से आप देखें कि बहुत से रीजन्स आ जाते हैं जिनके कारण बचत होती है, वह चाहे पोलिटिकल हों या एकोनामिक हों। इसलिये यह कहना कि हम जानबूझकर लोगों पर टैक्स लगाने के लिये डैफिसिट बजट बनाते हैं यह गलत बात है। कोई भी पोलिटिकल पार्टी ऐसा करने के लिये तैयार नहीं होगी। तो टैक्स लगाना एक मजबूरी की चीज है जो हमें मजबूरन करना पड़ता है।

हम एसेट्स करते हैं एस्टीमेटिंग करते हैं और उसमें जो वैरिएशन हो जाता है वह वैरिएशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं होता और भी जगह होता है। मैं और स्टेटों के बारे में भी बताती हूं। १९६१-६२ में जो अन्य राज्यों में वैरिएशन हुआ वह गुजरात में ५-५, महाराष्ट्र में ७-३, उड़ीसा में १२-२ और पंजाब में २२-३ एवं उत्तर प्रदेश में केवल ४-२ परसेन्ट है। यही हालत एक्सपेंडीचर की भी है, वही सालों के लिये आप देखें कि मद्रास में १२-७, महाराष्ट्र में १४-१, उड़ीसा में ३५, राजस्थान में ५ और उत्तर प्रदेश में १-९ परसेन्ट है। सो अगर आप देखें तो मालूम होगा कि हमारे वित्त विभाग ने बड़े ही ठीक ढंग से इनकम और एक्सपेन्डीचर के इस्टीमेट्स बनाये और वैरिएशन अन्य प्रदेशों के मुकाबले कम रहा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह यदि परसेन्टेज में न बताकर कुल फिगर बता दें कि कितने पर कितने परसेन्टेज का अन्तर किस-किस स्टेट में रहा तो ठीक हो।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जो मैं आंकड़े दे रही हूं तो इसमें आपका आर्ग्यूमेन्ट ठीक नहीं जम रहा। इसमें बाधा डालना ठीक नहीं, मुझे बोलने दीजिये (हंसी) यदि मैं टोटल फिगर भी दूं तो भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का बहुत कम है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में। जहां-जहां पर भी टारगेट के अनुसार खर्च नहीं हो पाया, वहां उसका कोई कारण है। यह भी हो सकता है उसमें कि डिपार्टमेन्ट ने ठीक से काम नहीं किया हो। इस बार हमने एक्स्ट्रीम कोशिश की इसलिये हमें उम्मीद है कि हमारा खर्चा पूरे का पूरा हो जायेगा।

जब कोई खास आलोचना नहीं समझ में आई तो कुछ सदस्यों ने एक बात कही और इस पर सरकार की आलोचना की, मैं समझती हूं कि खासकर मेरे बारे में ही वह क्रिटिसिज्म की गई। कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी हावी हो रही है, ब्यूरोक्रेसी का राज्य है और हम उसके नीचे दबकर चल रहे हैं, तो इस पर अंग्रेजी की एक कहावत याद आती है "नेम दी डाग ब्लैक एन्ड किल हिम"। तो मैं कहती हूं कि और कोई तो क्रिटिसिज्म मिली नहीं तो कुछ न कुछ क्रिटिसिज्म जरूर होनी चाहिये। इसलिये यही ढूंढ़कर

कह दिया गया। मैं तो अपने लिये ही कहती हूं, क्योंकि मेरे लिये ही खास कर कहा गया है कि सुचेता कृपालानी पर ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो यह ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी के डिक्शनरी मीनिंग है "ब्यूरोक्रेसी इज दी सिस्टम आफ गवर्नमेन्ट बाई आफशियल्स रिस्पान्सबुल ओनली टू दि डिपार्टमेन्टल चीफ्स"। यह हैं डिक्शनरी के माने। तो यहां तो हमारा प्रजातंत्र है। यहां पर सभी महानुभाव जनता के चुने हुए बैठे हैं और उनका एक छोटा ग्रुप केबिनेट है जो भी चुनी हुई है। तो हम तो खादिम हैं जनता के और यह सब नौकर जो बैठे हुए हैं हम लोगों के नीचे ब्यूरोक्रेसी के वे खादिम के खादिम होकर काम करने वाले हैं। अब वह कैसे हमारे ऊपर राज्य चला सकते हैं? यह कहना कि हम ब्यूरोक्रेसी के इशारे पर चल रहे हैं तो इसके लिये मैं कहूंगी कि हम पालिटिशियंस २ साल और ४ साल के लिये आते हैं और ब्यूरोक्रेसी स्टील फ्रेम की तरह से यहां काम करती रहती है और सालों के तजुर्बे से उनको तजुर्बा है किसी को किसी विषय पर और किसी को किसी विषय पर हम नातजुर्बेकार लोग उनसे सलाह लेते हैं। मैं अपने को कहती हूं तो गोविन्द सहाय जी नाराज होते हैं, होशियार कहती हूं तो नाराज होते ह, बड़ी मुश्किल बात है मगर यह बात सही है कि पालिटिशियंश लोग आते जाते हैं और तजुर्बा नहीं रखते। तो हम लाजिमी तौर से उनसे सलाह लेते हैं कि भाई साहब बताओ इस मामले में हम क्या करें। वे हमें सलाह देते हैं जो उनका कर्त्तव्य है और उनको सलाह सुनने के बाद हम फैसला करते हैं कि यह सलाह मानने लायक है और यह नहीं है।

अब साल डेढ़ साल में हमने क्या किया है। महीने में मुश्किल से २ या ३ कैबिनेट की मीटिंगें होती हैं, सब कमेटियां बनी हुई है उनकी मीटिंगें होती हैं उसकी मीटिंगें होती रहीं और उसके अलावा इन्फार्मली बैठकर किसी अलग मसले पर भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम अफसरान को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस तरह से काम करो और वे अपना काम करते हैं। तो पालिटिकल हेड्स और ब्यूरोक्रेसी का रिलेशन क्या है। हम लोग गाइड करते हैं, हम पालिसी ले डाउन करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, हमारे नीचे काम करते हैं लेकिन हमारी एक कसौटी है कि ठीक काम चल रहा है या नहीं। लीडरशिप का टेस्ट यह है कि काम हुआ है या नहीं, अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी इनविगोरेट किया है, कुछ उसमें जान आयी है तो फिर यह बात सिद्ध हो जाती है कि लीडरशिप ने काम किता है। इन साल डेढ़ सालों में जब से हमने कार्य किया है उसके बारे में कुछ कहूंगी। फर्स्ट और सेकेंड प्लान दोनों में हम पूरा रुपया नहीं खर्च कर पाये और थर्ड प्लान के पहले २ सालों में हमारी गति धीमी रही है लेकिन इस साल हमने सारा रुपया खर्च किया है और पांच साल के अन्दर ३ सालों में न खर्च हुआ हो पूरा और हमने पूरे प्लान का ७५ फीसदी एक साल में आकर खर्च को पूरा कर दिया हो तो २५ फीसदी हम आगे साल में पूरा कर देंगे। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और न केवल हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे बल्कि उस टारगेट के बाहर जाकर आगे भी बढ़ने वाले हैं, फिजीकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स दोनों में हम आगे बढ़ने वाले हैं हम अपने ऐडवांस ऐक्शन से २३ करोड़ रुपया खर्च कर देंगे। यह सब हमारा अचीवमेंट नहीं तो और क्या है।

खाद्य उत्पादन की एक विकट समस्या है। उसमें हमने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। माइनर इरीगेशन के प्रोग्राम को चलाया, कुओं को खुदवाया। पिछले साल ८० हजार और इस साल ९० हजार कुयें खुदवाये। तो फिर यह सब क्या ऐडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमिलाइन करने की वजह से नहीं बना। गवर्नमेंट ठीक से काम करें तभी यह सब काम दिख सकते हैं।

इसी तरीके से रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन की बात है। १५ सौ गांवों में एलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यही नहीं हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि २० करोड़ रुपया अगर मिल जाय तो हम एलेक्ट्रिफिकेशन के ऐम्बिशस प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं। पैसा नहीं है इसलिये हम काम को उतनी तेजी से नहीं चलाते हैं। वैसे हमारे काम में चुस्ती है। अगर पैसा मिल जाय तो ५, ६ हजार गांवों मे बिजली फौरन ला देंगे।

सेक्रेटेरियेट की बात कही गयी। ब्यूरोक्रेसी की बड़ी शिकायत है। सेक्रेटेरियेट में हमने क्या प्रयास किया। हमने यह प्रयास किया है कि लोग यह समझ कि उनको इंसाफ

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

से चलना है, हमारे आफिसर यह समझें कि जातपांत का उनके सामने कोई सवाल नहीं है। हमारे अफसरों को यह समझना चाहिये कि जो काम वे करते हैं इंसाफ से करते हैं। उनके पास कोई भी आये, चाहे अपोजिशन का कोई हो या कांग्रेस पार्टी का हो सब के साथ उनको इंसाफ से व्यवहार करना चाहिये। तभी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सही चल सकता है और तभी बाहर के लोग समझ सकते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का सही काम है। यह बात जरूर है कि डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे आफिसर्स को किस्म किस्म के प्रेशर्स के अन्दर काम करना पड़ता है। यह बात सही है कि मैंने सब आफिसर्स से कह दिया है कि आप कोई प्रेशर्स मत मानिये। जो सही बात हो वह करें। अगर कहीं पर कोई मामला ऐसा है कि सुलझाने में आपको दिकक्त हो रही है तो हमारे पास आकर बताओ कि यह तकलीफ है तो हम उसमें सलाह देंगे। अब इसमें हम १०० फीसदी कामयाब न हुये हों लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा शासन चुस्त और क्विक हो हम समझते हैं कि हम इसमें कुछ कामयाब हुए हैं और हमको आशा है कि आगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि सही तरीके से ये बातें हों।

यह भी कहा गया कि पार्टी में इतनी ताकत नहीं रह गई है तभी तो यह ब्यूरोक्रेसी हावी है और पार्टी की इज्जत घट रही है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई क्योंकि जब हमने केराला में कम्युनिस्टों के खिलाफ कैम्पेन चलाया था तो हमारी यह शिकायत थी कि पार्टी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हावी हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन इंसाफ से काम नहीं कर सकता है और पार्टी के लोग कोर्ट में बैठकर आर्डर देते हैं। उसी बात को लेकर हमने केराला का एलेक्शन लड़ा था और फिर वहां से कम्युनिस्टों को निकाला ताकि जो दोष उनके ऊपर लगाया गया वह हमारे ऊपर न लगे। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के आफिसर्स पब्लिक के नुमाइन्दों के साथ इज्जत के साथ बात करें और उनके साथ इज्जत के साथ चलें। उनमें अगर कोई गलती हो या किसी का कसूर हो तो हम उनको सजा देने के लिये तैयार हैं। हमारी उनको इन्स्ट्रक्शन हैं कि जो लोग तुम्हारे पास आयें उनके साथ इज्जत से बात करो और बड़े अदब से उनके साथ पेश आओ और उनके साथ फेयर डीलिंग करो। अगर इतना करने के बाद भी हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेसी हावी होना चाहती है तो फिर ऐसी जगह पर मुझे नहीं रहना चाहिये। मेरी सारी जो कुछ पृष्ठ भूमि है, दृष्टिकोण है वह सब यह कहता है कि इस कुर्सी पर बैठकर शासन को चलाने वाले लोग इंसाफ से काम करें, फेयर काम करें और किसी तरह से पोलिटिकल प्रेशर से न दबें। इस तरह से अपने ढंग से हम अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और उसी तरह से हमारा यह मंत्रिमंडल प्रयास कर रहा है। अगर कुछ लोगों को यह बात बुरी लगे तो वह मुझे माफ करेंगे।

यह भी कहा गया कि सेक्रेटेरिएट में बैठे रहते हैं और कुछ अफसर ऐसे हैं कि वह बाहर नहीं जाते हैं और उनको वाकफियत नहीं रहती है कि किस तरह से फील्ड में काम होता है। हमने अपने अफसरों से कह दिया है कि उनके दौरे के नियम है उनके अनुसार वे फील्ड को जाकर देखें। वहां पर बैठकर लोगों की तकलीफ को समझें और उनको दूर करने का प्रयास करें।

इन दिनों हमने फाइलों के लिए भी एक नया तरीका निकाला है। अगर कोई नई फाइल चलती है तो उसके साथ पुरानी फाइल भी रहती है और सारी बात उसमें रहती हैं। उसको जल्दी ही डिस्पोज आफ करने का प्रयास किया जाता है। देखते हैं कि एक महीने में वह फाइल का डिस्पोजल हो गया है या नहीं। इस तरह से २५७ फाइल्स चली हैं और इसमें से २३२ फाइल का डिस्पोजल हो गया है। इतने पर भी क्या यह कहा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी हमारे ऊपर हावी है?

इसी तरह से खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए हमने माइनर इर्रीगेशन डिपार्टमेंट बनाया है। हम यह जानते हैं कि वह काम अगर उसी डिपार्टमेंट के साथ रहेगा तो वह इतना काम नहीं कर सकता है और उसको अच्छी तरह से नहीं देख सकता है। इस वजह से हमने माइनर इर्रीगेशन वर्क के लिए अलग से एक डिपार्टमट बनाया है क्योंकि हम यह चाहते हैं कि यह काम जल्दी हो। इसी तरह स टेक्निकल एजूकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है। यह ३, ४ जगह पर फैला हुआ

था। अब उसको एक जगह कर दिया है क्योंकि हमारे प्रदेश में उसकी बहुत आवश्यकता है। इस वजह से कोआर्डिनेशन के लिए एक कर दिया है।

खर्चा घटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी खर्च में कमी हो। इस पर सोच विचार हो रहा है और इस संबंध में आगे कुछ प्रपोजल आपके सामने रखेंगे।

हमने एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर बनाया है। इसके लिए कहा गया कि एक मंत्री अलग से होना चाहिए जो इस काम को देख सके और प्रोडक्शन कमिश्नर को ज्यादा ताकत दे दी गई है। इस संबंध में सेंटर में एक राम सुभग कमेटी बैठी थी और उसने अपने कुछ सुझाव दिये हैं। उसी के मुताबिक हमने भी अपने यहां एग्रीकल्चर से संबंध रखने वाले सारे विभागों को उसके नीचे कोआर्डिनेशन की वजह से रखा है। एक मिनिस्टर के पास इतने विभाग नहीं रह सकते हैं। एग्रीकल्चर, कोआपरेशन, कम्युनिटी डेवलेपमेंट, माइनर इर्रीगेशन, केन डेवलपमेंट, एनीमल हसबेंडरी, पंचायत राज, इतने डिपार्टमेंट अगर हम एक मिनिस्टर को दे दें तो क्या वह अकेले अच्छी तरह से इनको चला सकेगा। फिर हमने यह भी देखा कि हिन्दुस्तान की और स्टेट में ऐसा नहीं है। अगर हिन्दुस्तान के दूसरे स्टेट्स में ऐसा होता तो हम प्रयास करते, लेकिन वहां नहीं है। इसलिए हमने इस बात का प्रयास किया और यह कमिश्नर इस बात की कोशिश करेंगे। वह सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के नीचे हैं और इन सब विभागों की एक कमेटी मिलाकर बना दी गई है जो वक्तनफवक्तन बैठती है और सोच विचार करती है। वह कमिश्नर और सेक्रेटरी दूसरे मिनिस्टरों के प्रति रिस्पांसिबिल हैं। तो ऐसा दूसरी जगह भी है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं कि जब वे गवर्नमेंट में रहते हैं तो उसकी बहुत सी बातें उनको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वे बाहर चले जाते हैं तो उसी गवर्नमेंट की बहुत सी बातें उन को गलत मालूम पड़ती हैं। क्या कहा जाय।

श्री उग्रसेन—

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी केवल गोविंद सहाय जी का ही उत्तर दे रही हैं, हम लोगों का क्या होगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं सब का उत्तर दे रही हूं। नेकराम जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। उन्होंने एक बात यह कही कि सरकार को गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उतना ही एलाउन्स देना चाहिए जितना कि केन्द्रीय सरकार देती है। मैं बहुत ही अदब से कहना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार को बहुत बड़ी आमदनी है। उनके पास बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? हमारे पास केवल एक आमदनी है सेल्स टैक्स, उसे घटा लो या बढ़ा लो। हमारा रेवेन्यू फिक्स्ड है, लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड है। इन्कम टैक्स का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता है। हम तो प्लीड कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम को कुछ ज्यादा हिस्सा दे ताकि हमारी आमदनी ज्यादा हो। अगर हमारी आमदनी ज्यादा हो तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट्स के अनुसार एलाउन्स दे सकते हैं। यह एक दिक्कत की बात है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अफसर लखनऊ में बैठा है उसको ज्यादा मिलता है और हमारा आदमी जो है उसे कम मिलता है। इस में असंतोष की काफी गुंजाइश है। लेकिन एक सिस्टम चला आ रहा है और उससे हम बंधे हुए हैं। अच्छी बात तो यह होती कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपने फैसले करती तो हम लोगों से भी सलाह करती और इस प्रकार एक समन्वय होने से हम लोगों को काम में आसानी हो जाती। हमने यह सुझाव उन के सामने रखा था कि सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुला लें और इस विषय में बातचीत कर लें। हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम अपने सर्वेंट्स को इतने रेट्स दे सकें। दे सकते तो जरूर बहुत अच्छी बात होती।

इसके बाद नेकराम जी ने कहा कि इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स तो हमने मल्टीप्लाई किए लेकिन इर्रीगेशन का एरिया नहीं बढ़ा। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। उसमें हमने प्लान पीरिएड में काफी पोटेंशियल क्रियेट किया है। उन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि हमने काफी पोटेंशियल क्रियेट किया है और उसका काफी उपयोग भी किया है और वह बढ़ता जा रहा है।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

कई माननीय सदस्यों, शारदाभक्त सिंह तथा श्री नवलकिशोर जी ने कहा कि हमको टैक्स नहीं लगाना चाहिए। मैंने भी शुरू में यही कहा था कि मैं टैक्स लगाने को हामी नहीं हूं लेकिन कुछ बुनियादी आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। हमारी पर कैपिटा इनकम २५५ है जब कि आल-इंडिया की २३० है। हम कोई प्रगति इस दिशा में नहीं कर पाये हैं और इसका सब से बड़ा कारण है कि हमारा पर कैपिटा इंवेस्टमेंट बहुत कम है। पहली प्लान में हमने २३ किया जब कि आल-इंडिया बेसिस पर वह ३६ था, दूसरे प्लान में हमारा पर कैपिटा इंवेस्टमेंट था ३४ जब कि आल-इंडिया बेसिस पर था वह ५५ और तीसरे प्लान में वह है ६८ जब कि आल-इंडिया का है ९०। इसी सिलसिले में मैं कहना चाहती हूं कि हमारा प्रदेश पर कैपिटा इंवेस्टमेंट में और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में सब से पीछे है और यही कारण है कि दूसरे स्टेट्स जहां मैंने देखा है, मद्रास में, मैसूर में, सब जगह काफी काम हुआ है। वहां काफी कारखाने खुले हैं और नयी नयी बातें बढ़ायी गयी हैं। इसके मुकाबले में हमारे प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ है। इस हिसाब से हम को डर है कि हम उन से एक प्लान पीछे रहेंगे। अगर हम एक सुपर ह्यूमन एफर्ट करके अपना इंवेस्टमेंट न बढ़ा लें। अगर ऐसा न हुआ तो वे आगे बढ़ जायगे और हम पीछे रह जायंगे। उनका बेसिक इंवेस्टमेंट हो गया है, हमारा नहीं हुआ। अगर हमको यहा पर कैपिटा इंवेस्टमेंट बढ़ाना है तो दिल्ली तो हमको देता नहीं और अगर वह देता है तो नियमानुसार ही देता है, इसलिए अगर हम ही इसको रेज करें तभी यह बढ़ सकेगा। हमने केन्द्रीय सरकार से बहुत मिन्नत की पर उन्होंने कहा कि आधा आप करो तो हम आधा कर दें। जब हम पर-कैपिटा इंवेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो हमारी प्रगति ठीक तरह से नहीं हो सकती है। हमारी बड़ी स्टेट है, बड़ी आबादी है। हम इतनी रकम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। यही हो सकता है कि जो हमारे पास रकम है उसको हम नान-डेवलेपमेंट एक्सपेंडीचर में कम लगावें और प्रोडक्टिव स्कीम्स में ज्यादा लगावें। हमने कोशिश की है कि जो प्रोडक्टिव स्कीम्स प्लान में हैं उसमें ज्यादा पैसा लगावें। इस प्लान में जो हमने आंकड़े रक्खे थे वे इस प्रकार थे--प्रोडक्टिव स्कीम्स पर--४९७ करोड़, इर्रीगेशन एन्ड पावर पर--१६५ करोड़, और एग्रीकल्चर पर--८७ करोड़ रुपया। इसी तरह से चौथी प्लान में जो आंकड़े बन रहे हैं उसमें--एग्रीकल्चर एन्ड माइनर इर्रीगेशन पर ४५० करोड़, इर्रीगेशन एन्ड पावर पर १२५ करोड़ तथा और प्रोडक्टिव स्कीम्स पर ४५० करोड़ रुपया है। हम यही चाहते हैं कि प्रोडक्टिव स्कीम्स में ज्यादा पैसा रक्खें ताकि हमारी पोटेन्शियल बढ़े जिससे हमारे प्रदेश की इकोनामी बढ़े।

यह भी कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा घटाया जाय इसमें भी अगर हम देखें तो दूसरे स्टेट्स के मुकाबिले हमने कम खर्च किया है हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडीचर और स्टेट्स की फिगर्स से मालूम हो जावेगा कि कम है, यू०पी०--४ रु०, मद्रास-४.२ रु०, महाराष्ट्र ६.१, वेस्ट बंगाल--४.६ रु०।

इसी तरह से हमारी स्टेट का रेवेन्यू एक्सपेंडीचर आन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज भी और स्टेट्स के मुकाबिले कम है। ६४--६५ में परसेंटेज आफ टोटल रेवेन्यू में बता रही हूं:--

आंध्र	१३ प्रतिशत
आसाम	१३ ,,
बिहार	१३.१८ ,,
मध्यप्रदेश	१३.२६ ,,
मद्रास	१३.१९ ,,
उत्तर प्रदेश	१२.६३ ,,
बंगाल	१५ ,,

सब स्टेट्स को देखते हुए हमारे सेक्रेटेरिएट का खर्चा कम बैठता है।

अन्तरिम रिलीफ के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और हमदर्दी भी बताई, तो हम भी चाहते हैं कि पैसा ज्यादा से ज्यादा दें जो हमने दिया है। पे कमेटी बैठी है। उसको रेफर कर दिया था उसकी पूरी रिपोर्ट भी अप्रैल के अन्त तक मिल जावेगी इसीलिये हमने मुनासिब समझा कि उसी से यह भी पूछकर करें। हमारे मन में यह भी हुआ कि ऊपर वालों को घटायें और नीचे वालों को बढ़ायें पर जब अब फाइनल रिकमेंडेशन कमेटी की अप्रैल में आ जावेगी तो हमको मौका होगा सारी बातों के देखने का। यह मैं बता दूं कि हमने अपने बजट में फाइनल रिकमेंडेशन जो आवेंगी उनका ख्याल रखते हुए ११.५ करोड़ रु० गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये और दो करोड़ टीचरों के लिये रक्खा है। जब इनकी रेकमेंडेशन आ जायगीं तब यह सब रकम उनको देंगे। दूसरी बड़ी-बड़ी स्टेट्स बम्बई, बंगाल, मध्य प्रदेश इन्होंने भी इन्हीं दिनों में अपने यहां अन्तरिम रिलीफ डिक्लेयर किया है। उन लोगों ने भी ५ रुपये से ज्यादा नहीं दिया है।

यह कहा जाता है कि लोकल बाडीज के लिये हमने कुछ नहीं किया। हमारी बड़ी समस्या है कि टैक्स न बढ़ावें और खर्चा सारा गवर्नमेंट के मत्थे पर हो। लोकल बाडीज को चाहिये कि कुछ रिसोर्सेज अपने बढ़ायें, अपनी शक्ति बढ़ायें, पेमेंट करने की ताकि अपने मुलाजिमों और टीचरों को भी ज्यादा दे सकें। इसमें भी मैं बताऊं कि सेकेंड प्लान में उनका डी० ए० बढ़ाने के लिये केंद्रीय सरकार ने हमें कुछ मदद दी थी वह पैसा हमने लोकल बाडीज को दे दिया था उनका डी० ए० बढ़ाने के लिये। सेकेंड प्लान के अन्त में केंद्रीय सरकार ने तो अपनी तरफ से बन्द कर दिया लेकिन हमने देना बन्द नहीं किया है। हम अब भी उसको चलाये जा रहे हैं इस बजट में भी १८६ लाख रुपया है लोकल बाडीज के लोगों को डी०ए० देने के लिये।

उद्योग के बारे में कुछ ज्यादा मैं नहीं कहना चाहती हूं लेकिन शायद थोड़ा बहुत जिक्र उसका भी आया है। मैं यह बताना चाहती हूं कि पिछले सालों में उद्योग को भी बढ़ाने का कुछ प्रयास रहा है क्योंकि उद्योग में हमारा प्रांत बहुत पीछे है और उसका कारण यही है इनएडीक्वेट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट और सेकेंड प्लान में तो हमें उद्योग के लिये कुछ मिला नहीं थर्ड में कुछ मिला है तो थोड़ा थोड़ा उद्योगीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उद्योग को बढ़ाने के लिए पहले तो हमने अपने डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज के संगठन को ठीक करने की कोशिश की है फिर प्लानिंग और डेवलपमेंट सेल बनाये हैं जो नये नये उद्योगों को सलाह देने का काम करें और टेक्निकल नो हाउ लोगों को बतायेंगे। जगह जगह इंडस्ट्रिअल एस्टेट्स कायम करने की कोशिश की है और डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं ताकि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगा सकें। फाइनेंसेज देने की भी कुछ सहूलियतें हमने लोगों को दी हैं यह सब होने से थोड़ी सी इंडस्ट्रिअल क्लाइमेट इस प्रांत के अन्दर अब हुई है। अब हमारे पास लोग पूछने के लिये आने लगे हैं कि फलां उद्योग हम खोलना चाहते हैं सरकार की तरफ से हमें क्या सहायता मिलेगी। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं इस बात का कि लोग नये नये उद्योग खोलें। जहां तक बड़े उद्योग का सवाल है हम लोग अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं और हमारे कुछ मिनिस्टर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़े बड़े उद्योग हमको मिल जायं। एक उद्योग तो इलाहाबाद में मिला है वह इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बड़ा उद्योग तो है ही और मुझे उम्मीद है कि दो तीन और बड़े उद्योग हमको मिल जायेंगे। इससे एक वातावरण बनेगा और उसके इर्द गिर्द हम उद्योगीकरण कर सकेंगे। इंडस्ट्रिअल यूनिट्स जो हमारी रजिस्टर हुई हैं वह ६२-६३ में २५७२ थीं ६३-६४ में २६३३ हो गई और ६४-६५ में २९०० हो गईं। वैसे ही स्माल स्केल यूनिट्स जो रजिस्टर हुई हैं वह ६३-६४ में ६ हजार के करीब थीं ६४ में छः हजार और कुछ आड फिगर थीं, ६५ में वह ९ हजार हैं। ग्रामोद्योग भी हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी काफी प्रचार चल रहा है खासकर इलाहाबाद और झांसी डिवीजन में काफी काम इसमें हुआ है। इसकी क्रेडिट उन दोनों डिवीजनों के कमिश्नरों को जाती है। इनमें १ हजार से ज्यादा यूनिट्स खोल दी गई हैं।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

कानपुर में भी मैं अभी गई थी, देखा वहां भी यह काम अच्छा चल रहा है । गांवों में तो जाकर देखकर बड़ी खुशी हुई, लोगों ने आप से आप इंडस्ट्रिअल स्टेट्स बनाये हुए हैं । इसके अतिरिक्त कुछ पंचायत उद्योग का भी एक्सपेरिमेंट हमने किया वह सक्सेसफुल हुआ और अब हम और जगह यह पंचायत उद्योग खोलने जा रहे हैं ।

एक भाई ने यह कहा कि उत्तराखंड की प्रगति कुछ नहीं हुई । २८ करोड़ रुपया वहां खर्चा किया गया लेकिन वहां की दशा जैसी की तैसी है । २८ करोड़ रुपये से अगर सब के सब राजा बन जाते तो बड़ी अच्छी बात थी । लेकिन यह संभव नहीं था । २८ करोड़ में से १३ करोड़ अभी खर्चा हुआ है और उससे काफी प्रगति हुई है ।

माननीय सदस्य ने कहा कि सारा पैसा बिल्डिंग्स के बनाने में खर्च हुआ कुछ हद तक हुआ, यह सही है । लेकिन सारा पैसा उसी में खर्च नहीं हुआ । जितना होना चाहिये था उतना हुआ । जो तीन डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स बने हैं वहां रहने और कार्यालय चलाने की जगह नहीं थी, उसके लिये बिल्डिंग्स बनी हैं पिथौरागढ़ जिले की प्रगति देख कर बड़ी खुशी होती है । उससे पता चलता है कि किस स्पीड से काम हो रहा है प्लानिंग कमीशन के मिस्टर सेन ने उसे देखकर कहा है कि भारतवर्ष के किसी इलाके में इतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी कि उत्तराखंड में हुई है । तो बाहर के लोग तो कहें कि हां ठीक है लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि हम नालायक हैं, हमने कोई काम नहीं किया है अगर इससे ही उनको अपनी तारीफ मालूम पड़ती हो तब तो ठीक है ।

केपेटेलिस्टों के पास हमारा २१ करोड़ रुपया बाकी था, जिसमें १० करोड़ तो वसूल भी हो गया होगा । इसमें से कुछ तो ४८ का अनरियलाइज्ड है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि क्या किया जाय । शायद उसमें कुछ रेट कम करना पड़े ।

कुछ लास्ट क्वार्टर का है जिसकी वसूली अगले साल तक होगी हम बड़े आदमियों की तरफ कोई रियायत नहीं करते हैं । कुछ ऐसा रुपया भी बाकी है जिसके बारे में मुकदमें चल रहे हैं । ६ करोड़ हार्ड है जो वसूल होना है । हम किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरतते हैं और हमारे लोगों के पास वे आते भी नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि हम वही करेंगे जो न्याय से होगा । अब जितना रुपया बाकी है हम उसको पूरे प्रयास से वसूल करेंगे हम लोग किसी भी बड़े आदमी के हाथ में नहीं हैं ।

हम देश में सोशलिज्म कायम करना चाहते हैं और पब्लिक सेक्टर को हम बराबर बढ़ा रहे हैं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में हमने तय कर दिया है कि उसमें पब्लिक सेक्टर ही रहेगा । कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में भी है लेकिन उन पर हमारी बहुत सी पाबंदियां हैं । हमने डेथ ड्यूटी लगा दी है सर चार्ज लगाया है और भी अनेक प्रकार के टैक्सेज उनके ऊपर हैं । इनकम टैक्स ग्रेड के अनुसार वसूल करते हैं । इन्श्योरेंस का हमने राष्ट्रीयकरण किया है, कुछ बैंक का भी किया है । ये सब कदम यह जाहिर करते हैं कि हम सोशलिज्म की ओर जा रहे हैं । हमारा देश बहुत गरीब है । जब तक हमारे पास कुछ धन न हो तब तक जो बिल्कुल नीचे हैं उनको बिल्कुल ऊपर नहीं पहुंचा सकते हैं । लेकिन जो कुछ कदम हमारे द्वारा उठाये गये हैं वे यह बताते हैं कि हम सोशलिज्म की ओर जा रहे हैं । हमारी गवर्नमेंट बड़े लोगों के अंचल में बंधी हुई नहीं है हम किसी को स्पेयर करने वाले नहीं हैं ।

खाद्य समस्या के बारे में मैं इस समय जानबूझकर नहीं बोलना चाहती हूं । जब खाद्य की डिबेट आयेगी तब बोलूंगी । जो बहुत मुश्किल समय था वह निकल गया है, १–२ महीना और रहा है वह भी निकल जायगा । आगे बम्पर क्राप आ रही है । हम जो कुछ हमारे पास है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का इन्तजाम कर रहे हैं । इसके साथ ही साथ हम बफर स्टाक बनाने की बात भी सोच रहे हैं बफर स्टाक हम तैयार करना चाहते हैं ताकि हम मारकेट को कंट्रोल कर सकें । अगर जरूरत हुई तो स्टेट ट्रेडिंग भी करेंगे ।

मुझे खेद है कि बार बार मुजजफ्फर हसन साहब का नाम लिया गया । यह सही है कि जो जांच मैंने बैठायी थी उसमें देरी हो गयी । पहले इसको मिस्टर लाल के सुपुर्द

किया गया था लेकिन सदाचार समिति का एक फैसला यह हुआ कि मिनिस्टरों के खिलाफ जो जांच हो रही है वह आफिसरों के द्वारा न करायी जाय, उसको या तो चीफ मिनिस्टर करें अथवा प्राइम मिनिस्टर करें। लेकिन यहां हमारे बीच में आपसी मुठभेड़ के कारण मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कागजात देखती और अगर कुछ सही या गलत फैसला दे देती तो दसियों आरोप मुझ पर लगाये जा सकते थे। इसलिये इस केस को मैंने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को देना ही उचित समझा। इस केस में एक हुरमुजी बेगम को एक परमिट दिया गया था उस समय जब कि मुजफ्फर हसन साहब मिनिस्टर भी नहीं थे। जो कुछ भी उसकी डिटेल हो, मैंने उसको श्री लालबहादुर शास्त्री जी को दे दिया है कि आप इसकी जांच कीजिये। जैसा आप कहेंगे हम उसको मानने को तैयार हैं। कुछ महीनों तक उनका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। अब उन्होंने उस केस को ले लिया है। जहां तक मुजफ्फर हसन साहब का ताल्लुक है उन्होंने मुझ से बार-बार कहा है कि जल्दी से आप इस मामले को निबटा दीजिये जिससे मैं इस धब्बे से बरी हो सकूं।

श्री उग्रसेन—

आपने कहा था कि किसी जज को दी जा रही है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उसी तरह से अमल किया जायेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

भाषा के बारे में भी कह दीजिये। आप मुख्य मंत्री सम्मेलन में जा रही हैं।

श्री उग्रसेन—

अपनी भाषा नीति के सम्बन्ध में भी आप कुछ बतला दें। क्योंकि आपने तो विनोबा जी के त्रिसूत्री फार्मूला पर भी अपना दस्तखत किया है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भाषा के सम्बन्ध में आज इस हाउस में जितनी कम चर्चा की जाय उतना ही अच्छा है। गैर प्रदेश में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है? हमारी स्टेट की भाषा हिन्दी है और हिन्दी ही रहेगी, उसे कोई हटा नहीं सकता। जब हमारे प्रदेश की भाषा हिन्दी ही है, तो फिर हमको बोलने की जरूरत ही क्या है? जब देश के अन्दर भाषा को लेकर एक विद्वेष की भावना फैली हुई है तो हिन्दी बोलने वाले खास कर उत्तर प्रदेश के लोग इस विषय पर कम ही बोलें तो ठीक है। इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमें देश को बचाना है इसलिये अच्छा है कि आप लोग चुप ही रहें।

श्री उग्रसेन—

हम लोग चुप ही तो हैं। मद्रास, बंगाल, आसाम वालों के इतना बोलने व सब कुछ करने के बाद भी हम लोग चुप हैं। हम समाजवादी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। हम भी स्वतंत्रता संग्राम में रह चुके हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

सन् १९४२ में हम सब से आगे रहे।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हमारे यहां की भाषा तो राष्ट्रभाषा हिन्दी है ही, फिर हमको क्या बोलना है? आपकी तो पांचों अंगुली घी में है। तो इतना ही मुझे कहना था और शेष बातों के ऊपर कैलाश जी कहेंगे।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

अध्यक्ष जी, यह प्रस्तुत बजट जो घाटे का बजट है जिसको शासक दल के अधिकांश लोगों ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े सुन्दर शब्दों में और छांट-छांट कर फुलझड़ियां हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि यह बहुत ठीक है। यह सही है कि हम नियोजन के समय में चल रहे हैं और नियोजन के समय में यह निश्चित है कि हम योजना के अन्तर्गत अनेक योजनायें बना कर अपने प्रान्त में लागू करना चाहते हैं। परन्तु आज १० साल की योजना के अन्तर्गत जितने सारे कार्य चलाये जा रहे हैं, हमें देखना है कि आज हमने उसके ऊपर कितना खर्च किया है और किन-किन मदों में किया है तथा उसका रिजल्ट हमें क्या मिला है? इन सारी बातों का हवाला हमारे सामने होना चाहिये। प्रत्येक विभाग में हमने कितना व्यय किया और समाज से कर के रूप में कितना रुपया लिया और उसके फलस्वरूप समाज को कितना दिया? यह बिलकुल स्पष्ट है कि आज समाज से हमने कर के रूप में जितना लिया, और विभिन्न रूप में केन्द्र से जितनी सहायता प्राप्त हुई उसका रिजल्ट हम समाज को नहीं दे सके जिसके कारण आज समाज में कितना असन्तोष है, यह साफ दिखलाई पड़ता है। यह बड़े दुख की बात है कि बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा गया कि हमने योजना बनायी और उसी के आधार पर सारा खर्च किया गया। इससे ही साफ मालूम होता है कि योजना निर्लक्ष्य बनायी गयी। योजना तो केवल एक साधन मात्र होती है एक लक्ष्य को प्राप्त करने को जिससे कि हम प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकें। शासन को चाहिये कि समाज को सुख और समृद्धि के रास्ते पर ले जा सके लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका।

बड़े दुःख की बात है, बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है, कि हमने इतना खर्च किया और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार का बजट धोखे का बजट होता है, उसी तरह से यह बजट भी धोखे का बजट ही मालूम होता है जिसके द्वारा सरकार काश्तकारों पर टैक्स लादना चाहती है। बड़े दुःख की बात है कि एक तरफ़ तो शासन की तरफ से इस तरह का बजट पेश होता है जिससे काश्तकारों पर टैक्स लगे और दूसरी तरफ अभी थोड़े दिन पूर्व ही भूतपूर्व वित्त मंत्री, बांसी में कह चुके हैं कि काश्तकारों पर टैक्स नहीं लग सकेगा। ये दोतरफी बातें सुनने को मिलती हैं। यद्यपि यह योजना का युग है, इस में अनेक लोग अनेक प्रकार की बातें कहते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रदेश में सुख शान्ति लायें जिससे लोगों के पास खाने के लिये अन्न हो, पहनने के लिये कपड़ा हो, उनके पास इतना पैसा हो कि वे आसानी से अपने बाल बच्चों की शिक्षा दे सकें, लेकिन जो दृश्य सामने है इस को सभी देख रहे हैं।

बहुत-सी बातें यहां पर कही गईं। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है मुझे मालूम है कि आजादी के बाद १७ साल बीत गये लेकिन देश कृषि में दिन ब दिन पिछड़ता जाता है। देहात के रहने वाले सब जानते हैं कि जिन खेतों में पहले अच्छी उपज होती थी वह इधर प्रति एकड़ घटती जाती है और उसमें जितना खाद्यान्न होना चाहिये वह नहीं होता। पिछली बार भी बड़ी खुशी के साथ कहा गया था कि पिछली फसल बम्पर क्राप हुई है लेकिन उसका नतीजा जो हुआ वह आप के सामने है। कंज्यूमर को क्या फल मिला यह आप के सामने है? इस असफलता का कारण है सरकार की गलत नीतियां। फर्रुखाबाद में जिलाबन्दी की गई जिस के फलस्वरूप बेचारे किसानों को ज्वार और मक्का साढ़े ३ सेर व ४ सेर की बेचनी पड़ी और वही दूसरे जिले में जाकर डेढ़ सेर की बिकी। जिन लोगों को खरीदने के लाइसेंस दिये गये उन्होंने वहां से वह गल्ला चार सेर का खरीदा उस का आधा सरकार को दे कर बाकी पड़ोस के जिलों में डेढ़, दो सेर का बेचा और इस तरह से बीच के लोगों ने लाभ उठाया। इस तरह से न तो उत्पादक का ही भला हुआ और न कन्ज्यूमर्स का ही ऐसी गलत नीति के कारण प्रदेश का किसान और यहां की गरीब जनता का शोषण होता है। इस सारे नक्शे से यही मालूम होता है कि सरकार का प्रशासन ढीला है और गलत है। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि नई फसल आ रही है आप उसके लिये जोन्स न बनायें और जिलेबन्दी न करें और एक जिले की जनता को प्रदेश के दूसरे जिले की उपज से महरूम न करें। हमें मालूम है कि पहले बांसी में प्रतिबन्ध लगाया गया

लेकिन चुनाव के समय उस को तोड़ दिया गया। मैं तो चाहता हूं कि कहीं भी प्रतिबन्ध न लगाया जाय और अगर एक स्थान पर अच्छा अन्न पैदा होता है तो वह स्वतंत्रतापूर्वक सारे प्रदेश में जाना चाहिये। जोन्स बनाना गलत नीति है, आप प्रदेश की जनता को जोन्स बना कर भूखा मारते हैं, यह सरकार के प्रशासन का भारी दोष है।

खाद्य समस्या के विषय में हमने काफी लिखित शिकायतें अपने जिले के अधिकारियों को दीं। हर रोज रेल गाड़ियों में सैकड़ों मन गल्ला बाहर जाता रहा, पोस्ट आफिस के कर्मचारी व ट्रेन क्लर्क सब मिल कर काम करते हैं लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की और इस तरह से भ्रष्टाचार पनपता गया। आप सब जानते हैं कि प्रदेश में बम्पर क्राप होने के बाद भी इस तरह की परेशानी आई। आज भी बहुत अच्छी फसल होने वाली है लेकिन अगर प्रशासन की ओर से वही खामी और ढिलाई बर्ती गई तो परेशानी और बढ़ेगी। अतः सरकार अभी से ठीक ढंग से उस के लिये व्यवस्था करे। अगर प्रबन्ध ठीक किया गया तो अच्छी फसल जो आ रही है उससे उत्पादकों और कन्ज्यूमर्स सब को सुख सुविधा होगी और सब का लाभ होगा, लोगों को ठीक दामों पर गल्ला मिल सकेगा।

जहां तक बिजली का प्रबन्ध है उस के लिये यह सरकार वाकई बधाई की पात्र है और इस विषय में सरकार भी हमारे धन्यवाद का पात्र है, इस विषय में काफी प्रगति हुई है किन्तु इतने ही सन्तोष काफी नहीं है। अनेकों ऐसे स्थान हैं जहां अभी बिजली नहीं पहुंच पाई है। विभिन्न स्थानों में छोटे-छोटे उद्योगों को चालू किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि उन उद्योगों का सरकार को हर प्रकार का संरक्षण देना चाहिये क्योंकि वह बड़े-बड़े शहरों के उद्योगों के आज टिक नहीं पाते क्योंकि उन को सस्ती बिजली मिलती है और कच्चे माल आदि की सुविधा रहती है। इसलिये जिन छोटे-छोटे उद्योगों को आप देहात में पनपाना चाहते हैं उनके लिये बिजली की दर कम होना चाहिये और कच्चे माल का प्रबन्ध किया जाय ताकि वह बड़े उद्योगों के कम्टीशन में फेल न हो सकें। यही कारण है कि जिन-जिन स्थानों पर यह औद्योगिक संस्थान खुले हैं वह, तथा देहातों के छोटे उद्योग खत्म हो रहे हैं। केवल ५ प्रतिशत ही चल पाते हैं और बाकी फेल हो रहे हैं। सरकार ने छोटे उद्योगों के लिये जो लाखों रुपया देहातों में बांटा है उस का प्रयोग ठीक से नहीं हो रहा है। जो ऋण सरकार ने देहातों में बांटा है वह बढ़ता जाता है और उस की वसूली में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उसका यही कारण है। मैं चाहता हूं कि यह देखा जाय कि देहातों में इन छोटे उद्योगों के लिये कितना पैसा बांटा गया है और वह उद्योग कहां तक सफल हो रहे हैं। आप उनकी प्रगति नहीं कर सके, तो यह अनेकों बातें हैं, जिन को लेकर आप को चलना पड़ेगा, आप कहते हैं कि इस प्रकार से जो योजनाएं हैं, उनके लिए हमें कर लगाना पड़ेगा। कर के लिये हम मना नहीं करेंगे परन्तु उसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप जिस पर कर लगाएंगे उस की सुविधा के लिये भी ध्यान रखें, और उनको सुख पहुंचायें। यदि टैक्सेज लगा दिये जायं तो उसके साथ-साथ उनको सुविधा भी दी जाय। बहुत-सी बातों का आज मखौल उड़ाया जाता है; जैसे एक ओर से तो शराब तथा नशीली चीजें प्रान्त भर में खोल रक्खी हैं दूसरी ओर मद्यनिषेध विभाग खोल रखा है। इस विभाग पर जो खर्च होता है, इस खर्च को बचाया जा सकता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री गणों के जो दौरे होते हैं, इस संकट के समय, ये दौरे बचाये जा सकते हैं। यदि उनके किसी सम्बन्धी की शादी है, तो उसमें पहुंच जाते हैं, पार्टी की मीटिंग होती है आप उसमें पहुंच जाते हैं। आप दौरों को बंद कर दीजिए। देश का पैसा बचाइए। जो आप कटौती करना चाहते हैं, पैसे की बचत करना चाहते हैं, पैसा वह बच जायगा। जो आज विरोधी दलों की तरफ से आलोचनाएं होती हैं, उन पर आप तिनमिनाते हैं। तो आप के सामने जो सुझाव रखे गये हैं उन पर विचार कीजिये। उसमें मुख्य मन्त्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि एक बात जो उनके दिल में है कि विरोधी पक्ष की बातों को मानूंगा ही नहीं। ऐसी बात इस देश के लिये शर्म की बात

[श्री दयाराम शाक्य]

है। जो क्षेत्र की मांगें होती हैं, उनके आधार पर काम होना चाहये। मैं अधिक न कह कर केवल इतना निवेदन करूंगा कि जो सच्चे सुझाव आते हैं उनके ऊपर विचार कर के उनके अनुसार काम करना चाहिए, जिससे प्रान्त सुखी और समृद्धिशाली होगा।

*श्री कैलाशप्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने इस बजट के विषय में बहुत से विचार व्यक्त किये। यह विचार विनियम जो १५ तारीख से चल रहा है, जो विभिन्न विचार यहां पर प्रदर्शित किये गये हैं, उन सब के विषय में कुछ कहना दुश्वार है, आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि आगे विभागवार उन पर विचार होने वाला है और संबंधित मंत्री उन विभागों के ऊपर कहें। इसलिये जो विशेष रूप से कुछ विभागों के बारे में बातें कही गई हैं, उन पर कुछ चर्चा कर के मैं सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा।

कहा गया कि यह बजट निर्जीव है। एक माननीय मित्र ने यह भी कहा कि यह बजट डेफिसिट का बजट है और मैं गणित का विद्यार्थी होने के नाते मुझसे यह आशा की जाती थी कि २ और २ चार वाला बजट बने। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि इस बजट में कोई क्रान्तिकारी चीज नहीं है। श्रीमन्, जिन परिस्थितियों में यह बजट बनाया गया है और जो इस बजट बनाने के लिए, मेरे सामने काम था, वह एक ही था जो अन्य तीसरे ५ साल की योजना बनाई है और जिसके अन्तिम वर्ष का यह बजट है, उस तीसरी ५ साल की योजना को हम पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरी ५ साल की योजना को पूरी करने के लिए इस बजट में साधन जुटाए गये हैं। श्रीमन्, इतना ही नहीं, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस बात पर भी नजर रखी गयी है कि आगे हमको क्या करना है? चौथी योजना में क्या करना है? मैं निवेदन करूं कि हमारी प्लान ५०२ करोड़ रुपये की बनी थी जिसमें ३४२ करोड़ रुपया कन्द्र से मिलने वाला था और १४७ करोड़ हमको अपने प्रदेश में इकट्ठा करना था। इस १४७ करोड़ में से १०९ करोड़ के नये टैक्सेज लगाने थे। यह आज नहीं, आज से ५ साल पूर्व इस प्रदेश ने एक संकल्प किया था कि अगले ५ साल में इस तरीके से अपने प्रदेश की प्रगति करेंगे और धन जुटायेंगे। मुझे प्रसन्नता है, और जो बजट पेश है, मैं कह सकता हूं कि ५०२ के बजाय ५१८ करोड़ रुपये का इस बजट में प्रबन्ध किया गया है और जैसा मैंने बजट भाषण में कहा है, हम चाहते हैं कि ५१८ पर ही सीमित न रहें बल्कि इस से भी आगे बढ़ें और ५३२ करोड़ तक पहुंच जायं ताकि जो अगले ५ साल की योजना आने वाली है, उसके लिये जो काम करना हो, उसे कर दें। हमारी पिछली दो योजनाओं में, जिसकी चर्चा माननीय मुख्य मंत्री ने की है, और इस योजना में भी कुछ कार्यों को प्रगति नहीं हुई क्योंकि जो काम पहले करने चाहिये थे वह नहीं हुए, जैसे टेक्नीकल पर्सोनेल आदि का प्रबन्ध। इस अनुभव का लाभ उठाते हुए ५ साल की योजना में हम अपने खर्च को बढ़ाना चाहते हैं और केन्द्र ने भी हमसे इस बारे में कह दिया है कि अगर ५१८ करोड़ के बजाय अपने प्लान को ५३२ करोड़ का कर लेंगे तो हमको आधा अपनी तरफ़ से जुटाना होगा और आधा केन्द्रीय सरकार देगी।

बारबार कहा जाता है कि हम रुपया बेकार खर्च करते हैं और कुछ माननीय सदस्यों का ऐसा खयाल है भी, किन्तु यदि मैं कहूं कि आप आंकड़ों की ओर देखें तो यह आप का विचार सर्वथा निर्मूल होगा। इसलिये जैसा मैंने कहा, हमको तीसरी योजना में १०९ करोड़ रुपये का टैक्स लगाना था। जो टैक्स हम अभी तक लगा चुके हैं उससे केवल ७८ करोड़ रुपये की आय होने वाली है। इस ७८ करोड़ रुपये की आय होने में भी जो १०९ करोड़ रुपये लगाना था उस में अपनी तीसरी ५ साला योजना को न केवल पूरा कर रहे हैं बल्कि आगे का भी काम कर रहे हैं। तो यह कार्य कुशलता का नमूना कहा जा सकता है न कि पैसे को बरबाद करने का जिस से कहा जा सके कि हम योजनाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसा कि माननीया मुख्य मंत्री कह चुकी हैं, उसको दोहराना मैं आवश्यक नहीं समझता, यद्यपि इस प्रदेश की प्रगति जो हुई उससे और अधिक गति से प्रगति होने की आवश्यकता है, मैं कहना चाहता हूं, जिसका स्पष्टीकरण माननीया मुख्य मंत्री ने किया, कि यदा कदा या बहुधा इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारे प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। इसका नतीजा एक तरह से काफ़ी ख़राब निकलता है। आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश की तस्वीर अच्छी नहीं है। हमारी कार्य कुशलता पर संदेह होने लगा है। वहां जिससे बात कीजिये वह कहता है कि उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर रहा है। दिल्ली में अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सहायता लेने की बात होती है तो वहां लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपने तरीके से कुछ नहीं करना चाहता। इसलिये उनकी उदासीनता हमारे प्रति रहती है। यह प्लान का जमाना है जो समस्त देश की बनती है और प्लान बनाते समय केन्द्र से हमारा बहुत कुछ संबन्ध रहता है। यदि केन्द्रीय सरकार का यह विचार बन जाय, यदि प्लानिंग कमीशन का यह विचार बन जाय कि उत्तर प्रदेश की कार्य कुशलता अच्छी नहीं है, कोई प्रगति नहीं कर सकता है, वहां रुपया बरबाद होता है तो आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि समस्त प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि कमियां होती हैं, इन्सान में कमियां हैं जिसके कारण समाज और राष्ट्र में भी कमियां होंगी, किन्तु कैसे उस कमी को कहा जाय, किस तरह से उसकी आलोचना की जाय यह भी एक भिन्न बात है। यदि सदा हम इस बात को कहते रहेंगे तो उससे प्रदेश का हित नहीं बल्कि अहित होता है, और केवल राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर इस प्रकार की चर्चा करने लगेंगे तो उससे तो प्रदेश की समृद्धि होने वाली नहीं है, प्रदेश की खुशहाली तो अधिक पैदावार तथा आर्थिक स्थिति सुधारने से हो सकती है। इसलिये नतीजा यह हुआ कि पहले और दूसरे प्लान में जो प्रति व्यक्ति अपने प्रदेश में पूंजी लगनी चाहिये थी वह बहुत कम लगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन आंकड़ों की चर्चा कर दी और आपने देखा होगा कि पहली योजना में और दूसरी योजना में और उसके पश्चात् तीसरी योजना में भी हमारे यहां प्रति व्यक्ति कम ही नहीं बल्कि सब से कब इनवेस्टमेंट रहा है। और यदि कम पूंजी रही तो आवश्यक है हमारी प्रगति उतनी तेजी से नहीं होगी। प्रगति इस वजह से रुकी रही कि हमने अपने साधनों को जुटाने का उतना प्रयास नहीं किया है जितना करना चाहिये।

आज एक प्रश्न है और मैंने बजट पेश करते समय कहा था कि यह वर्ष एक बहुत महत्व-पूर्ण वर्ष है। एक तो इस दृष्टिकोण से कि तीसरी योजना का अंतिम वर्ष है और दूसरे इसलिये कि चौथी योजना जो बनने वाली है उसका निर्माण इसी साल में होने वाला है और प्रदेश को तय करना है कि हमारी चौथी योजना किस आधार की होनी चाहिये, उसकी क्या सीमा होनी चाहिये, कितना हमको अभी काम करना है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात के लिये सदा इच्छुक हैं, रोज इस बात की चर्चा होती है कि हमारे यहां यह साधन नहीं हैं, हमारे यहां सड़कें नहीं हैं, हमारे यहां बिजली नहीं है, सिंचाई तथा अन्य सामाजिक कार्यों की कमी है। प्रायः उन बातों की चर्चा होती रहती है। उन कार्यों को यदि करना है तो हमें चौथी पंच-वर्षीय योजना को एक बड़े पैमाने पर बनाना है।

श्रीमन्, इस बात की तो प्रसन्नता है कि इस बात का अब संकेत होने लगा है कि जिस तरह से हमारी पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में वर्ष प्रति वर्ष निर्धारित धनराशि खर्च नहीं होती थी वह स्थिति तो अब सुधर जाती है और अब हमारा खर्चा, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी कह चुकी हैं, १०० फीसदी तक हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी जितना हम खर्च करना चाहें, उतना और अधिक यदि साधन उपलब्ध हों, खर्च कर सकते हैं। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए अगले ५ वर्षों के लिए अपने प्रदेश के निर्माण कार्य को जुटाना है, हमें अपनी प्लान को बनाना है। प्लान के बनाने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। बिना उत्तर प्रदेश के साधन जुटाये, वहां प्लानिंग कमीशन, अगली पंच वर्षीय योजना को स्वीकार नहीं करता है। वह इस बात की जांच करता है कि आप अपने यहां से कहां तक काम करने के लिए तैयार हैं और कहां तक तैयार नहीं हैं ?

[श्री कैलाशप्रकाश]

श्रीमन्, यहां एक बात बार बार कही गयी है कि यह जो बजट प्रस्तुत करते हैं वे डेफिसिट ही पेश करते हैं और ये वर्ष के अन्त में सरप्लस में परिवर्तित हो जाते हैं। मैं इस बारे में कोई चर्चा न करता यदि उसके पीछे यह भावना न प्रस्तुत की गयी होती कि डेफिसिट बजट बनाने की एक खास मंशा होती है और वह यह कि किसी तरह से एक तस्वीर बना कर रख दी जाय कि हम को इतना टैक्स लगाना है। यह तो सही बात है कि डेफिसिट बजट बनते आये हैं और यह भी सही बात है कि वर्ष के अन्त में वे सरप्लस में टर्न हुए हैं पर आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बजट को डेफिसिट जानबूझ कर नहीं बनाया जाता। लेकिन कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसी अनफोर्सीन चीजें पैदा हो जाती हैं जिनकी वजह से यह होता है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने आंकड़ों से इस बात को सिद्ध किया है कि यही प्रान्त नहीं है कि जो डेफिसिट बजट बनाता है बल्कि देश के सभी प्रदेश डेफिसिट बजट बनाते हैं। माननीय सदस्यों से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि डेफिसिट बजट बनाने में और भी विशेष उद्देश्य रहता है। जो निर्माण और प्रगति के कार्य में हमें करने होते हैं, वे बजट के अन्दर निर्धारित होते हैं। माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब द्रुत गति से निर्माण का कार्य होने लगा है तो यह हो सकता है कि वर्ष के दौरान में परिस्थिति बदल जाय, अमुक कार्य न हो सके और अमुक कार्य करना पड़े। यदि जैसा हमारे माननीय सदस्य ने कहा, कि बजट २ और २ चार कर के रख दिया जाय तो जो परिस्थिति के कारण चीजें रखी जाती हैं वह तो रखी नहीं जा सकतीं और इसलिए आपका जो निर्धारण है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य से आप नीचे रहेंगे, उसके ऊपर नहीं जा सकते। डेफिसिट बजट में इस बात की गुन्जाइश होती है कि किसी काम को, साधन न होने पर भी, टैक्नीकल पर्सोनल, मेटीरियल, विदेशी मुद्रा न होने से यदि वह काम रुक जाता है तो वह दूसरे काम में ले लेते हैं और कम से कम जो हमारे टार्गेट हैं, एक क्षेत्र में वे दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनका अनुमान होना संभव नहीं है। उदाहरणार्थ बजट का एक हिस्सा वह भी है जो केन्द्रीय करों द्वारा प्राप्त होता है प्रदेश को, और जहां तक केन्द्रीय करों की बात है, प्रदेश जो केन्द्रीय करों का अनुमान लगाता है उन्हीं के आधार पर ब्यौरा दे सकता है। फिर हिसाब किताब में कई साल बाद यह चीज निकलती है कि इतना हिस्सा आना चाहिये और उसके आने के कारण आमदनी में बढ़ोत्तरी हो जाती है। इसलिये बजट में कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है। वह इस देश के अन्य प्रदेशों में भी होता है, केन्द्र में भी होता है और अन्य देशों में जहां प्रजातंत्र प्रणाली चल रही है वहां भी होता है। इसलिये यह विचार रखना कि जानबूझ कर डेफिसिट बजट इसलिये पेश किया जाता है जिससे इस बात की गुंजायश रह सके कि टैक्सेज लग सकें यह निराधार है। अगर बिना टैक्स के काम चल जाय या इकोनामी से काम चल जाय तो वह किया जाता है।

माननीय सदस्यों के सामने में रेवेन्यू इनकम से जो खर्चा किया गया है उन दोनों के आंकड़े आपके सामने रखे देता हूं। ५६–५७ में केन्द्र से २ करोड़ ४८ लाख रुपये प्लान में मिला और अपने टैक्सेज से २.६५ करोड़ रुपया मिला और प्लान में खर्च किया ६.७० करोड़ रुपया जब कि दोनों सोर्सेज से मिला केवल ५.४३ करोड़। इसी तरह से ५७-५८ में ११.८८ करोड़ रुपया प्लान में खर्च किया और अतिरिक्त आय हुई १०.६३ करोड़। ५८–५६ में प्लान में खर्च किया १७.१० करोड़ और आय हुई १०.२० करोड़। मैं ये आंकड़े इसलिये पेश कर रहा हूं कि माननीय सदस्यों को अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिये ताकि उनके मन से यह भ्रम निकल सके कि अतिरिक्त आय की प्रदेश को आवश्यकता नहीं है और बचत से खर्च को निकाल दिया जाय।

एक बात कही गयी टैक्सों के बकाये के संबंध में कि उनको वसूल कर लिया जाय तो काम चल जायगा। माननीय मुख्य मंत्री ने उसका ब्योरा दे दिया है, मैं उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता। लेकिन जरा सी देर के लिये स्वीकार कर भी लिया जाय कि टैक्स का जितना बकाया है वह वसूल हो जायगा तो क्या इससे प्रदेश का काम चलने वाला है? एक साल के लिये चल जायगा, जो

निर्माण के कार्य होंगे, वह सिचाई के हों, सड़क के हों, स्कूल के हों, अस्पताल के हों, जो भी कार्य होंगे क्या उन पर प्रति वर्ष खर्चा नहीं होगा ? अगर आज १० करोड़ रुपया वसूल कर भी लें तो क्या एक साल का खर्चा पूरा करके आगे का प्लान या योजना चल सकती हैं ? श्रीमन्, दो रास्ते बताये जाते हैं, एक तो बकाया वसूल करना, दूसरा यह कि बचत करके खर्चे में कमी करना। दोनों के लिये मैंने निवेदन किया है। बकाया के लिये कोशिश की जा रही है और उसके फल-स्वरूप सेल्स टैक्स में पिछले साल दो करोड़ रुपया अधिक पुराना वसूल हुआ है। सेल्स टैक्स के लिये एक कमेटी भी बिठाई थी जिसकी अभी रिपोर्ट आई है। जो इस पर विचार करने के लिये बैठी थी कि किस तरह सेल्स टैक्स द्वारा अपने प्रदेश की आय को अधिक किया जाय और किस तरह से उसकी बचत को रोका जाय।

जो प्रशासन में इकोनोमी हो सकती है उसके आंकड़े माननीया मुख्य मंत्री बता चुकी हैं कि हमारे प्रदेश के प्रशासन पर खर्चा कम है। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। अगर शासन का काम बढ़ाते चले जाते हैं तो प्रशासन का खर्चा भी जरूर बढ़ेगा। लेकिन इस बात का प्रयास किया जाता रहा है कि इस खर्चे को कम किया जाय और वह कम हुआ है।

श्रीमन्, प्रयास तो यह होता ही है कि टैक्स न लगें। बहरहाल अगर उधर के सदस्य चुनकर आते हैं तो इधर के भी आते हैं। यदि टैक्स लगाना किसी को बुरा मालूम होता है तो इनको भी मालूम होता है। यदि चुनाव लड़ते हैं तो सफलता की भी आकांक्षा और इच्छा सभी को होती है। इसलिये इसमें कोई मतभेद नहीं है। सिर्फ एक बात में मतभेद हो सकता है। अगर एक उत्तरदायित्व है तो उसको पूरा करने के लिये कोई कदम उठाना पड़े तो उसे उठाया जाय और साहस के साथ उठाया जाय। सिर्फ इतना ही फर्क हो सकता है।

एक माननीय सदस्य, नेकराम शर्मा जी, ने वास्तव में इस बजट का अध्ययन करके अपना भाषण दिया था और जैसा कि उनका दृष्टिकोण था और जो कहीं-कहीं कुछ कमियां अपने कार्य में प्रतीत होती थीं, उसकी ओर उन्होंने ध्यान दिलाया था। इस बात में संदेह उत्पन्न हो गया है और कुछ भ्रम भी हो गया है कि ऐसा इरादा है कि जो टैक्स नहीं दे सकते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाना है। ऐसा किसका इरादा हो सकता है कि जो टैक्स देने की अवस्था में नहीं हैं उनसे ही लिया जायगा। लेकिन साथ ही यह भी बात है कि जब हम विकास और उन्नति का कार्य कर रहें हैं और इससे किसी को लाभ पहुंचता है तो थोड़ा सा हिस्सा इस कार्य के लिये भी वे दें जिससे दूसरों को भी लाभ पहुंच सके तो कोई बुरी बात नहीं है। श्रीमन, मान लीजिये कि कोई क्षेत्र ऐसा है जिसमें सिचाई का इन्तजाम अच्छा है, जिसमें सड़के बन गई हैं, जिसमें अच्छी उपज और पैदावार अच्छी हो गई है, यदि कुछ यहां की आय बढ़ी है, यह मानते हुये कि उनकी आय इतनी नहीं बढ़ी कि वह बड़ी सरप्लस हो गई हो, क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि दूसरे क्षेत्र में जहां इस बात की गुंजायश नहीं है कि वह क्षेत्र अपने को विकसित कर सकें, जहां कोई पानी की व्यवस्था नहीं है सड़क का कोई प्रबन्ध नहीं है, इम्प्लीमेंट्स का इन्तजाम नहीं है तो जहां कोई इस तरह की चीजें हैं,, वहां से इन क्षेत्रों की भी उन्नति हो सके। तो क्या यह अनुचित होगा ? तो उनमें से उस बढ़ोत्तरी में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर और दूसरों की बढ़ोत्तरी की जाये, मै समझता हूं यह मुनासिब ही होगा। और यदि यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है तो कोई भी कह सकता इसे कि यह एक संकीर्णता का दृष्टिकोण है और इस दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश और देश का कोई फायदा नहीं हो सकता है। इसलिये यह बात मैंने स्पष्ट कर दी जिसमें प्रतीत होता था कि लोगों को कुछ भ्रम है।

माननीय नेकराम शर्मा ने आडिट रिपोर्ट के आधार पर सरकार की आलोचना की कि अनप्रोडक्टिव कामों पर बहुत खर्च किया गया। आडिट रिपोर्ट में ऐसा प्वाइन्ट था इसलिये माननीय सदस्य ने उसके बारे में कहा। मैं बहुत आदर के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह शब्द "अनप्रोडक्टिव" बड़ा भ्रमोत्पादक है। कुछ लेखा-जोखा रखने के लिये कुछ शब्द ऐसे

[श्री कैलाशप्रकाश]

बनाये हैं "प्रोडक्टिव और "अनप्रोडक्टिव" । उससे कुछ अन्दाजा है कि यदि इस काम को करने से इतने परसेन्ट लाभ होता है तो इसे प्रोडक्टिव कहेंगे वरना इसे अनप्रोडक्टिव कहेंगे । किन्तु उस परिभाषा में यदि कोई काम अनप्रोडक्टिव है तो उसे अनएसेंशिन्यल नहीं माना जाना चाहिये, व्यर्थ का नहीं माना जाना चाहिये । जैसे सड़क निर्माण पर किये जाने वाला खर्च उस लेखे जोखे के हिसाब से अनप्रोडक्टिव है, किन्तु वह बड़े फायदे की चीज है और माननीय सदस्य भी इसे स्वीकार करेंगे । सड़कों का निर्माण और विस्तार सही दृष्टियों से परम आवश्यक है । इसलिये उस पर किये जाने वाला खर्च भी भले ही अनप्रोडक्टिव कहा जाये किन्तु उस पर खर्च करना बहुत आवश्यक है, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती । इसी प्रकार से मान लिया जाये कि यदि कहीं बहुत बाढ़ आती है और वह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहां पर साधन जुटाने के कारण वहां से उतना लाभ न मिल सके, उस मात्रा में रिटर्न न मिल सके तो उसे भी अनप्रोडक्टिव कह दिया जाता है । जब कि यह करना बहुत ही आवश्यक है । इसी प्रकार से छोटी आय वालों के लिये यदि मकान बनाये जाते हैं तो उन पर एक बड़ी धनराशि को व्यय करना पड़ता है, किन्तु उनसे उस परसेन्टेज में रिटर्न नहीं मिलने वाला है इसलिये इनको अनप्रोडक्टिव कहते हैं । इस तरह जो जन कल्याण के और विकास के जो जरूरी खर्चे हैं जिनको लेखा जोखा में हम अनप्रोडक्टिव शीर्षक में लेते हैं । इसलिये इस शब्द से जो भ्रम पैदा होता है, और लोगों का भ्रम था, अब वह भ्रम होने की जरूरत नहीं है । तो जब विकास के और जनकल्याण के कार्यों पर आवश्यकीय खर्च होने पर भी उसको अनप्रोडक्टिव कहा जाता है तो प्रदेश को बढ़ाने के लिये उसमें भी खर्च बढ़ाना पड़ेना और वह बढ़ता ही चलेगा ।

श्रीमन्, एक बात यहां कही गई बजट से संबंधित कि डेफीसिट बजट बनाने से इनफ्लेशन हो जाता है और इसलिये कीमतें बढ़ जाती हैं । मैं कोई बहुत एकोनामिक्स का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन हां, कुछ जो एकोनामिक्स के प्रोफेसर और शिक्षक लोग हैं उनसे कभी-कभी यदा कदा बात करने का अवसर मिल जाता है । जो प्राइसेज का यह एक सिलसिला है और जो प्राइसेज बढ़ी हैं, और जैसा कि माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने भी कहा यह तो समस्त प्रदेशों में बढ़ी हैं केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं हुआ है । और डेफीसिट बजटिंग और नान डेफीसिट फाइनेन्सिंग में भी बड़ा फर्क होता है,और डेफीसिट फाइनेंसिंग से तो एक फर्क पड़ सकता है,उससे मुद्रास्फिति हो सकती है लेकिन इसका प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न है, वह प्रदेश से नहीं होता । अगर हम डेफिसिट बजट बना लें तो एक जेब से पैसा निकलकर दूसरी जेब में जाता है, इस प्रदेश का रुपया दूसरी जगह जा सकता है और दूसरी जगह का रुपया इस प्रदेश में आ सकता है लेकिन रुपये के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं होती । इसलिये इन्फ्लेशन प्रदेश की नीति या बजट से नहीं हो सकता । यदि इनफ्लेशन होता है तो राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय बजट और रिजर्व बैंक की अर्थनीति पर हो सकता है और उससे ही कीमतों पर असर पड़ सकता है क्योंकि अगर प्रदेश डेफीसिट बजट बनाकर खर्च करेगा तो उस डेफीसिट को रिजर्व बैंक से या केन्द्रीय सरकार या दूसरे लोगों से लेकर कर सकता है । अगर आप लोगों से कर्जा लेकर करता है तो रुपया उतना कम हो जायगा और फिर वहीं लौटकर चला जायगा । केन्द्र से लेता है तो वही स्थिति रहती है जो केन्द्र ने स्थापित की है । इसलिये यह विचार करना कि इन्फ्लेशन के कारण या प्रदेश के बजट के कारण कीमतों पर असर पड़ता है अर्थ नीति की दृष्टि से गलत है केवल राष्ट्रीय नीति से ही उस पर असर पड़ सकता है । इसलिये वह भी बात कुछ अपनी जगह पर बहुत तथ्यपूर्ण नहीं है ।

श्रीमन्, यह कहा गया कि करोड़ों रुपया हमने इस वास्ते खो दिया और केन्द्रीय सरकार से हमको सहायता नहीं मिली क्योंकि हम खर्च नहीं कर पाये जो हमें मिला? इस संबंध में मुख्य मंत्री जी ने कुछ कहा है, मैं दोहराना नहीं चाहता केवल इतना कहना चाहता हूं कि तीसरी पंचसाला योजना के अन्तर्गत जितना रुपया केन्द्रीय सरकार से हमको मिलने वाला था वह ३४२ करोड़ था

और वह रुपया हम इस साल के समाप्त होने पर उनसे ले लेंगे और यदि हम अपने कुछ और साधन जुटा सके और अपनी तीसरी पंचसाला योजना को और आगे बढ़ा सके तो संभव है कि वह ३४२ से आगे बढ़कर ३४९ करोड़ की असिस्टेंस हो जाय जो हम केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर सकें। इसलिये यह बात भी सही नहीं है कि हम चूंकि खर्च नहीं कर पाये हैं इसलिये हमको केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

श्रीमन्, यह कहा गया आडिट रिपोर्ट के आधार पर कि ३७ करोड़ के लगभग रुपया कर्जा में लिया जो टारगेट में नहीं लिया गया और उसका सूद देना पड़ा । इसका जो एक तरीका है कर्जे का वह यह है कि जो केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती वह कभी कभी आ जाती है तब उसको खर्च करने की बात चलती रहती है, दूसरी किसी दिशा में । अब जो कर्जा मिलता है सेविंग्स से या बैंक से इस तरह का जो कर्जा आता है उसका पूरे पूरे तरीके पर अनुमान लगा लेना कि सेविंग्स एकाउन्ट्स से कितना रुपया आवेगा यह संभव नहीं है और माननीय सदस्य इस बात को तो स्वीकार करेंगे ही कि शासन अपनी ट्रेजरी को किसी समय खाली तो करेगा नहीं, लेकिन पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार जो एक मुश्त या किस्तवार देती है उसके लिये हम पिछले २ सालों से प्रयास कर रहे हैं कि उतनी सहायता पहले न दें जिससे कि यह कर्जे की धनराशि, जो इस्तेमाल न करनी हो, अधिक न बढ़े और उसका सूद व्यर्थ न देना पड़े ।

श्रीमन्, मैंने संकेत किया था कि सौभाग्य से अब प्रदेश की अर्थ स्थिति कुछ अच्छा रुख ले रही है और यदि इन चीजों को एक संकेत से देखा जाय तो मैंने एक रिपोर्ट में देखा कि हमारे यहां बेकारी की क्या दशा है ? अभी एक रिपोर्ट मिली है कि नवम्बर, १९६४ तक जो वर्ष समाप्त हुआ उसमें बेकारों की जो संख्या थी या जिनको नौकरी चाहिये थी उसमें ७० हजार की कमी हुई है....

श्री उग्रसेन—

यह कहां के आंकड़े हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह गवर्नमेंट आफ इंडिया के इस्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं । इसमें मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सब से अधिक व्यक्तियों को काम मिला है जो कि १२ हजार की संख्या रही । अन्य प्रदेशों में मद्रास में १० हजार, मध्य प्रदेश में ७ हजार, आन्ध्र प्रदेश में ६ हजार । यह प्रदेशों की स्थिति रही है । यह इस बात का द्योतक है कि .....

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

कितने बेकार हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जो रजिस्टरों में लिखा रहता है और जिनको नौकरी चाहिये नवम्बर, १९६३ में उनकी संख्या २६०५ हजार सारे प्रदेश में थी। अक्तूबर, १९६४ में वह २,५९९ हजार हुई और नवम्बर, १९६४ में वह घटकर २५३३ है । यह घटी जो हुई है मैं उसकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें काफी हिस्सा उत्तर प्रदेश का रहा है । जो यह घटने की संख्या रही है यह इस बात की ओर संकेत करती है कि हमारी आर्थिक स्थिति अब कुछ सुधार की तरफ जा रही ह ।

श्री उग्रसेन—

सीमा क्षेत्र में सड़क बनाते हैं, जो कोल ढोते हैं उनके नाम भी उसी में हैं । मन्त्री जी समझते हैं कि सब लोग बी० डी० ओ० हो गये हैं ।

श्री कैलाशप्रकाश—

जो और बातों का चर्चा किया गया, जैसाकि मैंने निवेदन किया था, जब विभागों के बजट आयेंगे उनके ऊपर चर्चा होगी। उनको मैं इस समय लेना नहीं चाहता हूं। एक बात करप्शन के विषय में यहां उठायी गयी। करप्शन के विषय में जो कदम उठाये गये हैं वह माननीय सदस्यों के सामने निवेदन कर दिये गये हैं।

और अभी माननीय सदन के सामने विजिलेंस कमीशन का विधेयक प्रस्तुत हुआ था। चारों तरफ से इस बात की कोशिश हो रही है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। इसमें संदेह नहीं कि अगर भ्रष्टाचार रहता है तो उससे हमारी योजनायें पूरी होने में कमी रहती है और वह केवल अधिनियमों से अथवा प्रशासकीय आदेशों से दूर नहीं हो सकता। इसके लिये सामाजिक मनोवृत्ति में परिवर्तन की आवश्यकता है और वह इधर और उधर के बैठने वाले प्रतिनिधियों के सहयोग से ही संभव है।

श्रीमन्, एक आशंका व्यक्त की गयी थी कि लोकतंत्र को एक बड़ा भारी खतरा है और मुझे बहुत कुछ कहने की विशेष कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप ही कहते हैं कि हमारी सारी बातों का जवाब नहीं आया ॥ (व्यवधान) एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह अन्तरिम रिलीफ दी है। उसके बारे में माननीया मुख्य मंत्री जी काफी चर्चा कर चुकी हैं। यह जो रिपोर्ट पे रेशनालाइजेशन कमेटी ने दी है उसके अनुसार ही है। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिक्षकों को कुछ सहायता देने की बात है उसके लिये बजट में २ करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के बजट के संबंध में जो प्रश्न थे उनका उत्तर मैंने दिया है और उनके संबंध में मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं। अब मैं माननीय सदस्यों को पुनः धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने अपने सुझाव हमें दिये और भले ही मने उन पर यहां चर्चा न की हो लेकिन वह हमारे सामने रहेंगे और हम उनका जितना लाभ उठाया जा सकता है, वह उठायेंगे।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५

श्री अध्यक्ष—

अब उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के अननुमोदन का प्रस्ताव उस संबंध में एक विधेयक भी है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष, महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १३० की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक रिक्वेस्ट और है जिसे मैंने अभी सदन के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया है। यह विधेयक ३ दिन के पहले नहीं लिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—

हम अननुमोदन के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सदन इस बात के लिये तैयार है कि इस विधेयक पर विचार कर लिया जाय ? उसी के साथ अननुमोदन के संबंध में जो कहना है वह कह दिया जाय। यही मेरी मतलब था। जो आपत्ति आप कर रहे हैं वह उस सूरत में पैदा होती है जब हम विधेयक पर आ जायं। मैं समझता हूं कि यह ठीक ही है कि विधेयक पर विचार हो जाय और भाषण शुरू हो जायं ताकि पूरे तरीके से विधेयक पर बहस हो सके।

अब यह निश्चय हो गया कि हम विधेयक पर विचार कर रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है कि हमें बोलने का अधिक समय मिलना चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम १३० की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें दिया गया है:—'किन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों और सदस्यों द्वारा की गई आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें" तो श्रीमन्, आपका जो निर्णय है वह तो अपोजीशन के हक में होगा। वह सरकार के पक्ष में नहीं होना क्योंकि सरकार तो सबल है। हमारे तीन संशोधन रिजेक्ट किये गये हैं क्योंकि ३६ घंटे के अन्दर चाहिये नहीं प्रस्तुत किये गये थे। श्रीमान जी की ओर से भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम ३६ घंटे के अन्दर अपना संशोधन दे सकें।

श्री अध्यक्ष—

आ गया तो उसमें सामान्य बहस की व्यवस्था हो जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, आपका दृष्टिकोण तो सरकार की तरफ ही रहता है।

श्री अध्यक्ष—

सरकार भी तो आपकी ही है।

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, यदि आज्ञा हो तो मैं पेश कर दूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आपने जैसे कह दिया हो जावेगा। आखिर इस प्रस्ताव के बारे में प्रक्रिया है उसकी अदायगी हो जाय। प्रक्रिया यह है कि कुछ अननुमोदन ही पर तो बहस हो सकती है क्योंकि कार्यमंत्रणा समिति द्वारा यह तय हो चुका है।

*श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह एक बहुत ही छोटा सा विधेयक है। गन्ने के खरीद के लिये मिल का जो रिजर्व एरिया है, उसको भी क्शरवाले खरीदते थे, उन पर अभी तक १० मील के अन्दर २५ पैसे टैक्स देना पड़ता था और १० मील के बाहर उसे ९ पैसे कम देना पड़ता था। इस विधेयक के द्वारा हमने उन २५ पैसों को ५० पैसे में कर दिया है। वैसे मैंने सुबह आपसे दरख्वास्त की थी आप इस संबंध में मेरे कमरे में विचार कर लेते परन्तु आप नहीं आये, चूंकि समय कम है फिर भी मैं बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रह था कि हमारे प्रदेश में तमाम एरिया जिसमें हम गन्ना पैदा करते हैं ३४.७५ लाख एकड़ इस साल है इसमें से जो रिजर्व एरिया है उसमें २२.७५ लाख एकड़ है। इसमें से करीब ५ प्रतिशत टोटल एरिया का रिजर्व एरिया है। रिजर्व एरिया में जो हम टोटल गन्ना पैदा करते हैं वह करीब ५८ लाख मन है जिसमें से करीब ३४ या ३५ लाख मन हमारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

मिलें गन्ना पेरती हैं। हमने यह प्रयास किया क्योंकि हमारे प्रदेश की एकोनामी में चीनी एक मुख्य व्यवसाय और यही एक व्यवसाय हमारे यहां मुख्य रूप से चल रहा है, ७१ चीनी की मिलें हमारे यहां हैं जिनसे गन्ने का दाम भी हमको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है और मुझे तो यह तजुर्बा है कि जब कभी गन्ना ज्यादा हो गया तो यह जो कश्तर्स हैं यह मदद नहीं करते और जो गन्ना वह खरीदते भी हैं उसका दाम जो गन्ने का न्यूनतम दाम निश्चित रहता है उतना भी नहीं दिया करते।

१९६०–६१ में मुझे याद है कि जब गन्ने का दाम १ रुपया ६ आना मिल दे रहीं थीं तो कश्तर वाले अपने यहां दस और बारह आना मन गन्ने दाम दे रहे थे, यह स्थिति हमेशा से है और जब कभी गन्ना ज्यादा हो गया तो काश्तकारों की मदद में यह नहीं आये। हम लोगों ने एक कमेटी बैठायी थी गुप्ता जी जिसके अध्यक्ष थे? उसमें हमने यह चाहा था कि यह कश्तर वाले इस बात पर भी तय कर लें कि गन्ने का जो कम से कम दाम हो वह हमेशा वह देते रहें। होता यह है कि जब गन्ना ज्यादा हो गया तब तो यह काश्तकार की मदद में नहीं आते और जब कभी कम हो गया तो आकर खरीदने लगते हैं। इसीलिये यह तय हुआ कि एक ऐसा एरिया निश्चित कर दिया जाय कि जिसमें मिलें चलें। उसके बाहर एक ऐसा एरिया रहे जिसमें कश्तर चलें। इसलिये इस पर जो हमने टैक्स लगाया है, जो फ्री एरिया हैं उसमें कोई टैक्स नहीं है। जो मिल से दस मील के बाहर हैं उन पर ३२ पैसे है और जो दस मील के अन्दर हैं उन पर ५० पैसे है जब कि जो मिलें हैं उनको ५१ पैसा देना पड़ता है।

(इस समय ५ बजकर ८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसमें यह भी बात है कि यह टैक्स केवल जो मशीनें चलाते हैं और जो परचेज करते हैं उन्हीं पर है, जो कोल्हू हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता और जो अपना गन्ना केवल पेरते हैं उन पर भी कोई टैक्स नहीं है। आपकी जानकारी के लिये मैं यह भी बता दूं कि एक मन जो चीनी बनती है तो उस पर करीब १३ रु० २० पैसे परचेज टैक्स और एक्साइज ड्यूटी तथा कमीशन वगैरह मिलाकर पड़ जाता है, जो कि मिल वालों को देना पड़ता है और जो कश्तर वाले हैं उनको सब मिलाकर के करीब ४ रुपये ८० पैसे देना पड़ता है। इतना फर्क दोनों में है जब कि दाम चीनी का ४३ रुपये से ४८ रुपये मन तक रहा है और खांडसारी का दाम ४० रुपये से ४८ रुपये मन तक रहा है। तो यह भी इसलिये करना पड़ा कि जो मिल एरिया था उसमें ये ज्यादा दाम देने लगे क्योंकि कश्तर वालों को एक्साइज ड्यूटी वगैरह देनी नहीं पड़ती और जैसा मैंने आपसे बताया कि चीनी वालों को १३ रु० २० पैसे और इनको ४ रु० ८० पैसा देना होता है, तो इतना मार्जिन करीब ८–९ रुपये का था, उस मार्जिन से ज्यादा दाम गन्ने का यह देने लगे। इससे मिलों पर असर पड़ा। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बड़ा भारी यह व्यवसाय है और हमें यह शक है कि अगर यह मिल ज्यादातर नुक्सान में चलती रहीं और एकाध मिल जैसा कि घाटे में पिछले साल चली, और अगले साल भी, तो अगर यह मिल हट गई तो काश्तकार को कोई पूछने वाला नहीं है। उदाहरण के तौर पर किछा से एक मिल हट गयी। आज भी वहां काश्तकारों की हालत बहुत खराब है। यही हालत लखीमपुर में पलिया स्थान की है, वहां पर भी कोई मिल नहीं है। वहां के काश्तकारों की बड़ी दुर्दशा है। वहां कोई कश्तर वाला भी नहीं पहुंचता है। ये काश्तकार की बहुत ज्यादा मदद भी नहीं कर सकते। जब गन्ना थोड़ा होता है तब उसको झपटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिलों की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसलिये हम एक ऐसा एरिया बनाना चाहते हैं जिसमें केवल कश्तर हों, उस एरिया में हम टैक्स की सहूलियत दे देंगे। फ्री एरिया में परचेज टैक्स भी नहीं लगेगा और उससे होगा यह कि मिल एरिया में मिल को गन्ना मिलने में उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होगी।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा था कि ५ से ७ तक डिबेट न रखी जाय। कोरम भी नहीं रहता है और इधर प्रेस वाले भी नहीं है, हाउस प्रेस में अनरिपोर्टेड रह जायगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो सब ने मिल कर ही तय किया था। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, जैसा कि निश्चय हो चुका है मैं प्रस्ताव पर ही बोलूंगा और आपसे निवेदन करता हूं कि क्योंकि इस विषय में मुझे काफी कुछ कहना है इसलिये समय का जरा ध्यान रखें।

श्रीमन्, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि यह बहुत सीधा सादा विधेयक है, इसमें बहुत विचारने की आवश्यकता नहीं होगी। श्रीमन्, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो इस विधेयक के उद्देश्य और कारण हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले अमेंडमेंट तो मूव कर दीजिये। श्री रघुपाल सिंह जी का संशोधन आपको मूव करना है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

वह तो मैं मूव करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका तो मैं मंजूर कर रहा हूं। आप अपना पेश कीजिये।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को जनमत के लिये १ मास तक परिचालित किया जाय।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम कायम रखने का काम गवर्नमेंट का है, बार बार कोरम के लिये घंटी न बजानी पड़े।

(घंटी बजायी गयी और गण पूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन् आप देखें—इसमें कहा गया है "रक्षित" क्षेत्रों में "इकाइयों" पर क्रय-कर की दर में ०.२५ पैसे प्रति क्विन्टल से ०.५० पैसे प्रति क्विन्टल की वृद्धि की जाय। लेकिन इसके इतिहास को अगर देखें तो सन् १९६१ में १० मील के अन्दर सुरक्षित क्षेत्र में १६ पैसा क्रय कर था और बाहर बिलकुल नहीं। सन् १९६२ में जब माननीया सुचेता जी उद्योग मंत्री थीं तो उन्होंने इसको बिलकुल हटा दिया, रखा ही नहीं। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि गुड़, खांडसारी उद्योग पर इसका अनुचित बोझ पड़ेगा और वह उद्योग ठप हो जायगा। सन् १९६३

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

में इसी विधान सभा में एक संशोधन आया और न्यायमंत्री ने कहा कि इसे ३२ पैसा कर दिया जाय १६ पैसे के बजाय। उसका बड़ा विरोध किया गया, सबने एक स्वर से विरोध किया और तब एक मत से यह बात तय हुई कि इसे सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। सेलेक्ट कमेटी ने उसे २५ पैसे कर दिया। मैं भी उस कमेटी में था, और वहां मैंने २५ पैसे लगाने का भी विरोध किया था, तो इस तरह से यह तय हुआ कि १० मील के अन्दर २५ पैसा लगे और बाहर ६ पैसे की छूट दी जाय। लेकिन जो ६ पैसे की छूट थी उसके लिए नियम द्वारा गजट में विज्ञापित करके उसके बाद छूट देने की बात थी। तो १६६३–६४ में १० मील के बाहर ६ पैसे की छूट की विज्ञप्ति कर दी गयी और इस तरीके से बाहर १६ पैसे पड़ा और रिजर्व्ड एरिया में २५ पैसा पड़ा। इसी तरह से १६६४–६५ में एक अध्यादेश जारी करके ५० पैसा कर दिया गया।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अब तो बाहर ३२ पैसा पड़ता है और ६ पैसे के हिसाब से छूट है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अभी तीन दिन पहले तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी और इसके लिये कोई विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई थी। इस बीच में आपने ६ पैसे छूट की, विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी हो तो दूसरी बात है। पहले आप डिपार्टमेंट से मालूम करके इसका जवाब दें, तो ठीक रहेगा कि ३२ पैसे कब किया गया? इससे पहले तो हालत यह रही कि सुरक्षित क्षेत्र के लिये भी ५० पैसे और बाहर के लिए भी ५० पैसे टैक्स हो गया। इस तरह से २५ पैसे प्रति क्विन्टल गन्ना खरीद-कर बढ़ गया। आखिर यह क्यों किया गया? इसका कारण यह है कि मिलों को गन्ना कम सप्लाई होता था। जसा कि आप बतला रहे हैं। मिलों का गन्ना सप्लाई करने के साथ ही साथ हमारी यह भी ड्यूटी है कि इस बात को भी देखें कि हजारों आदमी जो गुड़ और खंडसारी उद्योग में लगे हुए हैं वे भी लगे रहें क्योंकि सारे गन्ने को मिलें नहीं ले सकती हैं। गन्ने की कुल पैदावार का केवल ४५ प्रतिशत गन्ना मिलें पेरती हैं तो बाकी ५५ प्रति शत गन्ने का क्या हो, इसके लिये हमें किसानों को सहूलियत देनी पड़ेगी, जो गन्ना पेरने वाले हैं उनको भी कुछ सहूलियत देनी पड़ेगी। नहीं तो सरकार इसका ठेका ले ले किसानों का शत प्रति शत गन्ना वह मिलों से पेरवा देगी और वह भी समय के अन्दर पेरवा देगी। अगर ऐसा नहीं हो तो सरकार को किसानों के लिये ऐसी सहूलियत देनी चाहिये जिससे कि वे समय के अन्दर अपने गन्ने को कंज्यूम कर लें। जैसा कि मैं ने इस बिल में पढ़ा तो वह लिखते हैं कि मेरठ की मिलों को गन्ना सप्लाई नहीं हो रहा था। मैं कहूंगा कि अगर एक मेरठ की ही मिल में गन्ने की सप्लाई कम हो गई थी तो आप मेरठ के जिले में ही प्रतिबन्ध लगाते या ज्यादा से ज्यादा वहां के क्षेत्र में पास के दो चार जिलों में लगा देते लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों लगा रहे हैं? मैं समझता हूं कि मंत्री जी की नीयत बद है वह पैसा ज्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं वर्ना मेरठ के अलावा और कहीं तो हड़ताल नहीं हुई थी, आप ने सब जगह लगा दिया सुरक्षित क्षेत्र में भी और उस के बाहर भी।

एक हाईपावर कमेटी बनी थी जिस का जिक्र शर्मा जी ने किया और बताया कि मान-नीय चन्द्रभानु गुप्त की अध्यक्षता में शुगर व खंडसारी कमेटी बैठी थी और जिसकी रिपोर्ट भी पत्रों में छपी, हम ने भी इसलिये उसको देख लिया उसमें उन्होंने सलाह दी है कि गुड़ और खंडसारी के लिये भी सुरक्षित सब-एरिया बनाये जांय और विभाजन इस प्रकार से किया जाय कि उनके लिये भी अलग से क्षेत्र सुरक्षित किये जायं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्षेत्र क्यों नहीं सुरक्षित किये और क्यों आप गुड़, खंडसारी, राब के उद्योग को पनपाना नहीं चाहते, मिलों को आप ने सुरक्षित कर दिया। मैं यह भी कहूंगा कि उसी कमेटी की यह भी रिपोर्ट है कि कर भी ५० पैसे के बजाय २५ पैसा कर दिया जाय लेकिन आपने उसके इस सिद्धान्त को क्यों तिलांजलि दे दी और ५० पसे लगा दिये? उस कमेटी की रिपोर्ट है कि दस मील के बाहर पूरी

छूट होनी चाहिये। तो आपने हर जगह दस पैसा प्रति क्विन्टल कैसे कर दिया ? क्या हाई पावर कमेटी के निर्धारित सिद्धान्त भाड़ में चले गये और मंत्री जी अपने अलग सिद्धान्त बनाकर आगे चले गय ।

मैं आगे कहना चाहता हूं कि जब तक कि किसानों के गन्ने की पिराई की पूरी व्यवस्था सरकार मिलों के द्वारा नहीं करा सकती तब तक किसानों के गन्ने का उचित मूल्य दिलाने के लिये उसे गुड़, खंडसारी और राब के उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिये वर्ना सब गन्ना बरबाद होगा, सूखेगा और उसमें आग लगाना पड़ेगी। अब मैं यह बताऊंगा कि आखिर इस गुड़, राब और खंडसारी का निर्माण किसान क्यों करता है जिससे कि आपको दुख होता है ? यह एक बहुत भारी प्रश्न है, मैं समझता हूं कि पहली बात तो यह है कि आधे से भी कम गन्ना यह मिलें ले पाती हैं और दूसरे यह कि मिल-मालिकों का किसानों के साथ दुर्व्यवहार होता है । बड़े-बड़े भाषण यहां से दिये जाते हैं कि गन्ना किसानों की गाड़ी, बैल खड़े होने के लिये हम ने सड़कें और शैड बनबाये हैं, उनके लिये हिदायतें हैं । लेकिन अगर आप सब मिलों में देखें तो ६० प्रतिशत मिलों में किसानों के लिये गाड़ियां, बैल खड़े करने की सुविधा नहीं दी गई है.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह रेलेवेंट नहीं है इसमें तो २५ पैसे की जगह ५० पैसे करने की बात है, उसी तक सीमित आप रहें। हमें ७ बजे तक पास करना है। जो बिल में है उसी पर कहिये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

तीसरी बात यह है कि मिलें गन्ना काश्तकार का सही तरीके से नहीं लेती हैं । आज अगर मिलें सही तरीके से गन्ना लेने लगें तो किसानों को कोई शिकायत ही न रहे। आज तो मिलों ने अपने फार्म बना लिये हैं, उनको अपने गन्ने से ही फुरसत नहीं मिलती है । इसके अतिरिक्त वे गन्ना लेती हैं तो जो मिनिस्टर्स लोग हैं, इनके गन्ने लेती हैं ।

श्रीमन् एक सबसे बड़ी चीज है बेईमानी जिसके कारण कि काश्तकार अपने गन्ने को मिल को नहीं ले जाता। मैं तो उसी एरिया का रहने वाला हूं जहां एक मिल बरेली में, एक बहेड़ी में है । तो श्रीमन् मैं बरेली का उदाहरण देता हूं । सम्पूर्णानन्द कैंप का गन्ना ट्रकों से भर के वहीं जाता है और वहां उनके जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट कैंप के आये साथ में, उस गन्ने से, श्रीमन्, १० क्विन्टल गन्ना मार लिया गया, वह अपना गन्ना तुलवा के आये थे और यहां आकर झगड़े हुए और जूते बाजी भी हुई। एक ट्रक पकड़ी गई बरेली की शुगर मिल में, अभी अभी और भी पकड़ा है हमारे एक आनरेरी व्यक्ति ने, ५ क्विन्टल का उसमें फर्क है, वहां जो ट्रकों के तौलाने की लगी हुई है वेइंग मशीन (....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गंगवार जी, यह सब रेलिवेंट नहीं हैं, आपको खत्म करना है, अब डेढ़ घंटे ही हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं शीघ्र ही खत्म कर दे रहा हूं, श्रीमन्, तो मैं यह कह रहा था कि आप उसको अन्डर ग्राउन्ड किये हुए हैं । सैकड़ों मन गन्ना वह मार रहे हैं, और उसको चुपचाप आप शुगर बनाते हैं। आपका कोई आफीसर उसमें ध्यान नहीं देता । जितनी खंडसारी वे रखे हुए हैं इन्स-पैक्टर सब उनसे रुपया लेते हैं ।

(व्यवधान)

श्री लखीसिंह—

कोरम है श्रीमन् ?

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि बरेली की मिल में किसी सेन्टर पर तराजू की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और वे अपनी मशीन को एडजेस्ट करके मन चाहे गन्ना मारते हैं। आप वैंकिंग अथौरिटी देते हैं। वह वैंकिंग अथौरिटी भी ऐसे व्यक्तियों को दे देते हैं जिनका कोई स्टैन्डर्ड नहीं है। हरी सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्हें सिवाय रुपया वसूल करने के और कोई काम नहीं है। वैंकिंग अथौरिटी आप किसी को भी दे देते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, आप बार बार घंटी बजाते हैं, लेकिन फिर भी कोरम पूरा नहीं होता है।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन् कोरम न होने का कारण चाय भी है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय कोरम पूरा है पर यदि कोई भी माननीय सदस्य चला जायगा तो फिर कोरम नहीं रहेगा। अतः माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वह कोरम बनाये रखें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, गन्ना क्यों कम सप्लाई हुआ और कम सप्लाई होने का क्या कारण है ? उन कारणों में से एक कारण यह भी है कि "बेवी शुगर मिल्स" को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गुड़, खंडसारी के खरीदने पर आप जब पाबन्दी लगाते हैं तो उन लोगों को, जो बारीक चीनी बनाते हैं, प्लान्ट दे दिया जाता है, बिजली दे दी जाती है और छूट कर दी जाती है और १३० रुपये के भाव में पड़ती है, तो वे उसे बड़े प्रेम से चला रहे हैं और गन्ना नहीं सप्लाई होता है। आप उस चीनी को कब्जे में करके राशन की दुकानों पर क्यों नहीं बंटवाते हैं जिससे कमी भी दूर हो सके ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त होने वाला है शीघ्र समाप्त कीजिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, केवल २ मिनट और बोलूंगा। श्रीमन्, राब पर ७ जनवरी, १९६५ को ५ प्रतिशत खरीद कर लगा दिया। इससे राब बाहर जा रही है। श्रीमन्, आपसे कहा गया तो आपने कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट की बगैर अनुमति के हम रोक नहीं सकते। १४–१५ जनवरी को अनुमति प्राप्त कर ली। राब का बाहर जाना बन्द हो गया तो फिर यह ५ प्रतिशत का कर राब के ऊपर कैसे लगा दिया जिससे यह हो गया कि संभल में १०० खंडसारी यूनिट थे वहां अब केवल ७ चल रहे हैं। मैं तो, श्रीमन्, यह चाहता हूं कि खरीद कर राब पर से समाप्त हो जाय और गन्ने के ऊपर भी समाप्त हो जाना चाहिये क्योंकि गन्ना सप्लाई न होने के जो कारण हैं, वह सब मैंने बयान किये हैं। आप उन पर ध्यान दीजिये। ५० क्विन्टल राब की शुगर बनाने में १८९ टन प्रति दिन का घाटा होता है। उसकी कीमत ३४३४ रुपये और उस पर खर्चा ३३७५ रुपये आता है। ये वे आंकड़े हैं जो इन्कम टैक्स में लगाये जाते हैं। तो राब ५० क्विंटल ६० रुपये के हिसाब से ३ हजार रुपये के औसतन घट, बढ़ सकती है। कर करीब १५० रुपये प्रति दिन, एक्साइज ड्यूटी, १०० रुपये मजदूरी, १० रुपये बिजली, मशीन की घिसाई

१५ रुपये, मकान किराया ९ रुपये प्रति दिन इत्यादि का हिसाब आता है। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो तो भी मैं समझता हूं कि आप गुड़, राब और खांडसारी के उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं और यह जो टैक्स लगा है इससे वास्तव में उनको नुकसान होगा और गुड़, खांडसारी तथा राब के उद्योग में जो हजारों आदमी लगे हैं वे खत्म हो जायेंगे। इसलिये मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि मेरी इस सलाह को वह मानें कि इसको वापस ले लिया जाय। इसके अतिरिक्त बरेली शुगर मिल पूरे गन्ने को पेर नहीं पाती है और अफवाह यह है कि केन कमिश्नर ने १० हजार रिश्वत ले ली होगी तभी नवाबगंज और दूसरे सेंटर ले लिये हैं जब कि गन्ना किसानों का मिल पेर नहीं पाती है, जिससे कि किसानों को नुकसान होता है। मेरा निवेदन है कि किसानों के लिये आप कुछ सहूलियत का प्रबन्ध कीजिये।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसको परिधि बढ़ाने का अधिकार होगा।

इस संबंध में कुछ कहने के पहले मैं सदन का ध्यान यू० पी० शुगर केन परचेज ऐक्ट, १९६१ की धारा ३ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके मुताबिक २५ नये पैसे पहले फैक्टरियों से लिया जाता था और क्रशर से ६ नये पैसे लिये जाते थे। १९६१ में यह कानून बना। सरकार की निगाह फैक्टरीज की तरफ नहीं है। २५ नये पैसे जो लगे आज तक वही कंटिन्यू कर रहे हैं, उनसे ज्यादा एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। सरकार की नजर काश्तकारों की तरफ जा रही है और छोटे-छोटे उद्योग धंधों की तरफ जा रही है। पहले इस सदन में ६ नये पैसे से १६ नये पैसे करने का जिक्र आया और उसके बाद २५ नये पैसे किया गया अमेंडमेंट के जरिये। तो २५ नये पैसे रखा। वह भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो ५० नये पै कर दिया। सरकार की मनोवृत्ति मिल मालिकों के प्रति घोर पक्षपात की है। एक ही कानून से एक को तो आप शैल्टर दे रहे हैं और दूसरे को दबा रहे हैं। सरकार मिल मालिकों की तरफ इसलिये जा रही है कि उसको उनसे इलेक्शन के लिये रुपया मिलता है। जैसा कि माननीय उग्रसेन और राधे-श्याम जी ने बताया कि सरकार को मिल मालिकों से लाखों रुपया मिलता है। मिल मालिकों के उसमें तो सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया लेकिन जो छोटे-छोटे उद्योग धंधे वाले हैं, जिसमें दस लाख आदमी लगे हुये हैं, उसके लिये यह चाहते हैं कि क्रशर्स बंद हो जायें।

श्रीमन्, यह टैक्स जो लगा है वह कहां तक उचित है? एक कमेटी सरकार ने बिठाई थी, यू० पी० हाई पावर शुगर एडवाइजरी कमेटी उसकी रिपोर्ट में है कि ५७–५८ में १०.१३, ५८–५९–में ११.२०, ५९–६० में १०.९८ और ६०–६१ में ११.८५ यील्ड हुई और सब से ज्यादा रिकवरी ९.५३ थी। ५७–५८ में जब यील्ड १०.१३ थी तो रिकवरी ९.५३ थी। ज्यों-ज्यों यील्ड बढ़ती गई रिकवरी घटती चली जा रही है। महाराष्ट्र में रिकवरी ११ से ऊपर है। हाई पावर कमेटी ने सुझाव दिया था कि उसके, २, ३ मुख्य कारण हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। रिजर्व एरिया में बहुत खेत खराब हैं। वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। गन्ने की कैश क्राप है। उसके लिये खेत को बहुत शक्ति चाहिये। अगर खाद न दी जाय तो खेत खराब हो जायगा। इसलिये कमेटी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा खाद दो जिससे प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन एक समस्या यह आई कि सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इसलिये खाद फेंकना बेकार है नतीजा यह हुआ कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा और ४४८ लाख रुपये इस योजना में खर्च करेंगे। इस तरह से मैं देख रहा हूं कि यह सब रुपया बेकार बहाया जा रहा है और जो काश्तकार बोता है वह भगवान के ऊपर बोता है। रिजर्व एरिया ३० मील का रखा है। इसके बाद एसाइनमेंट एरिया रखा है। जब आपने रिजर्व एरिया बना दिया तो उसके अन्दर जितना गन्ना बोया जायगा उसके लिये आपकी ड्यूटी होती है कि आप उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

प्रोडक्टिविटी बढ़ायें। उसको डेवलप करें लेकिन वह डेवलप न करके सिर्फ मार्केट का ही नक्शा दिखा रहे हैं। आप बनिये की तरह मार्केटिंग अपना रहे हैं।

श्रीमन्, मैं अब मार्केटिंग की बात बता दूं। सरकार के आंकड़े यह बता रहे हैं। यह जो चीनी होती है, जब हम गन्ना पेरते हैं तब शीरे से हम अल्कोहल बनाते हैं। आप जानते हैं कि मद्यनिषेध योजना से सरकार को घाटा हो रहा था और अब जब सरकार ने सबको शराब पिलाना शुरू किया तो उनको मुनाफा हो रहा है। करोड़ों रुपये के शीरे की वह शराब बना रहे हैं जब भुखमरी चल रही थी तो मैंने कहा था सरकार से कि गाजीपुर जिले के लिये शीरा ही दे दो, जिससे वह जिन्दा रह सकें तो इस सरकार ने वह भी नहीं दिया। अब दूसरी चीज यह है कि श्रीमन् एक तो शराब की आमदनी और शराब का जो कृत्रिम बचता है, उसका रबड़ बनता है, रबड़ कितनी कास्टली चीज है। तो मिल मालिक जो हैं, इसके द्वारा ३ इंडस्ट्री कर रहे हैं। एक तो चीनी पैदा कर रहे हैं शीरे से शराब बना रहे हैं और रबर बना रहे हैं और अब खोई से भी कागज बनाने जा रहे हैं। किन्तु यह सरकार कहती है कि उनको घाटा हो रहा है क्योंकि वह इन्हीं मिल मालिकों से तो पैसा लेगी।

श्रीमन् मैं इसके 'उद्देश्य और कारण' में देख रहा हूं, इसमें लिखा है "गुड़, राब तथा खांडसारी के भाव ऊंचे होने के कारण गन्ने का उपयोग इन वस्तुओं को बचाने के लिये किया जाने लगा था। अतएव मेरठ डिवीजन में गन्ने के सम्भरण की अत्यधिक कमी से शक्कर की मिलों के बन्द होने अथवा रुक-रुक कर काम करने के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी" तो मैं पूछ रहा हूं कि मेरठ एक जिला है जहां यह चीज हुई, तो यदि यह चीज करते और कुछ भी करते, और करना था तो आप सिर्फ मेरठ के लिये करते, लेकिन क्या कारण है कि आप पूरे प्रदेश के लिये यह कर रहे हैं? कोई भी इसका एक्सप्लेनेशन माननीय मंत्री जी के पास हो तो दें। यह कह रहे हैं ३०–३५ रुपये का भाव उस वक्त था इस वजह से जो क्रशर के मार्केट हैं वह किसानों को ज्यादा पैसा देने लगे। इसमें यह है कि क्रशर से चीनी बनाई लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपके १२ मिनट हो गये हैं अब इसको २ मिनट में खत्म कर दें।

श्री कमलासिंह यादव—

मुझे कम से कम ५ मिनट तो अवश्य दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं अभी बहुत लोग बोलने को हैं आप जल्दी खत्म कर दें। सब लोग बोलने को हैं और अभी जवाब देने को भी है।

श्री कमलासिंह यादव—

तो जब ३५ रुपये का भाव था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि यह भाव तो ज्यादा बढ़ रहा है इसलिये किसानों को गन्ने के दाम ६ रुपये ३६ नये पैसे मिल रहे हैं। तो आप सोचें कि मिलों के जरिये यह इसे ५ रुपये ३६ नये पैसे के हिसाब से बिकवाना चाहते हैं। तो आप सोच लें कि किसान के ऊपर रिजर्व एरिया के बाहर भी यह टैक्स लगा रहे हैं और जो भीतर है उस पर भी ५० पैसा होगा। बाहर ३६ पैसा लगा रहे हैं। तो मैं पूछता हूं कि अगर यह चीज है तो क्या कारण है कि आप इस पर टैक्स लगायें?

दूसरी चीज यह कि ४४८ लाख रुपया तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपको गुड़ डेवलपमेंट के लिये दिया गया है। हर मिल मालिक को केन्द्रीय सरकार ने, स्टेट सरकार ने सहायता दी सिर्फ बन थर्ड और उसमें भी आधा उत्पादक को और आधा मिल मालिक को देना है तब

भी आप १० मील के एरिया को डेवलप नहीं कर सके। क्या आप किसानों की कमाई लेकर मजाक उड़ाना चाहते हैं ?

गुड़ पर कितना खर्च होता है, यह भी देखिये। एक एकड़ पर ८९१ रुपया खर्च होता है और ९५० रुपया आय होती है तो सिर्फ ५९ रुपया फी एकड़ बचता है। अब जो आदमी उसी पर डिपेंड करता है उसकी क्या हालत होगी वह तो घाटे में ही रहेगा। संविधान में सरकार को अधिकार नहीं दिया गया है कि अगर किसी आदमी को अपनी प्रापर्टी का उचित मूल्य मिलता है तो उसको कम कर सके। फिर साथ ही यह कुटीर उद्योग भी है और संविधान की धारा ४३ में प्राविधान है कि उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। लेकिन इस तरह से टैक्स लगाने से कि पहले ६ पैसा, फिर २५ और अब ५० पैसा करने की सरकार की हरकत से तो यह कुटीर उद्योग ही खत्म हो जायगा। आज जहां किसान की रीढ़ थोड़ी मजबूत हुई तो आपकी नजर उस पर चल गयी है। आप का संविधान के सेक्शन १४ में यह अधिकार दिया गया है कि आप रेमिट भी कर सकते हैं अगर टैक्स लगाने में कोई गड़बड़ हो। मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या कोई रेमिटेंस इन्होंने कभी किया है और किया है तो उसका नोटीफिकेशन कब हुआ ?

दूसरे यह कि रिजर्व्ड एरिया १० मील का है उसका गन्ना फैक्टरी पेर नहीं पाती तो फिर जो असाइन्ड एरिया है उसपर भी कंट्रोल लगाकर किसानों को परेशान करना ज्यादती है। एक इंडस्ट्री को बरबाद करके दूसरी को पनपाने का काम निहायत गलत है और आप इस काले कानून के द्वारा यह करना चाहते हैं जो बिलकुल अनुचित है। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को रखता हूं और आशा करता हूं कि अगर मंत्री जी किसानों के हमदर्द हैं तो इसे अवश्य स्वीकार करेंगे

*श्री शिब्बन लाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष जी, मुझे दुख है कि मैं मंत्री जी के बिल का समर्थन नहीं कर सकता हूं। यह बिल इतनी जल्दी पास नहीं होना चाहिये। यह बहुत महत्व का बिल है और इसकी मौलिक बातों पर विचार करना चाहिये। जब मैं पार्लियामेंट में था तो वहां भी इसका विरोध किया गया था और यह कहा था कि यह इंडस्ट्री काटेज इंडस्ट्री है और गांधी जी ने विशेष रूप से इस पर जोर दिया था कि इसको पैट्रनाइज किया जाय। मुझे ताज्जुब यह है कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार जहां का यह मुख्य उद्योग है वह इस पर जल्दी करती है। मैं चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस पर विचार करे। यह गुड़ और खांडसारी यू० पी० की बहुत बड़ी काटेज इंडस्ट्री है और हम सारे हिन्दुस्तान के गुड़ और खांडसारी के कंजम्पशन को पूरा करते हैं। मिलें जो पश्चिम में बंद हुई हैं वह क्यों हुई हैं इसलिये कि गन्ने वाले को गुड़ और खांडसारी से लाभ होता है। तो क्या आप किसानों के दुश्मन हैं कि यदि उसको लाभ होता है तो उसको आप रोकें ? आपका फर्ज यह है कि जिसमें किसानों को लाभ होता है उस नीति को अपनायें।

सारे हिन्दुस्तान के अन्दर केवल यू० पी० ही ऐसा है जहां पर खांडसारी इंडस्ट्री है। हम सारे हिन्दुस्तान में खांडसारी का ९० फीसदी पैदा करते हैं। बाकी और जितनी इंडस्ट्री हैं चीनी की वह यह चाहती हैं कि यह खांडसारी इंडस्ट्री खत्म हो जाय। अगर यह इंडस्ट्री खत्म हो गई तो कितना नुकसान हमारी स्टेट का होगा यह सोचने की बात है। हमारे सूबे की इकानामी खत्म हो जायगी। हम ३ लाख टन खांडसारी पैदा करते हैं और एक मन खांडसारी के लिये १६ मन गन्ना चाहिये। इसलिये ३ लाख टन खांडसारी बनाने के लिये हम १६ लाख टन गन्ना पेरते हैं। अगर यह इंडस्ट्री खत्म हो जाय तो यह गन्ना जो खांडसारी में जाता है, कौन पेरेगा। एक शुगर मिल साल में १ लाख टन गन्ना औसतन पेरती है। ४८ लाख टन गन्ना पेरने के लिये ४८ शुगर मिल हमको चाहिये जो कि पश्चिम की कमिश्नरी में लगाना सम्भव है। दूसरे बात यह भी है कि बाहर से मिलों का सामान आने में कई साल लग सकते हैं। तो यह इंडस्ट्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री शिब्बनलाल सक्सेना]

हमारे पश्चिमी जिलों के काश्तकारों के लिये बून है। अगर यह इंडस्ट्री मर जाय तो गन्ने वाले काश्तकार भी मर जायेंगे। इसलिये गवर्नमेंट को चाहिये कि वह इसको अपनायें।

महात्मा गांधी ने कहा था कि ह्वाइट शुगर पायजन है और यह भी कहा था कि खांडसारी और गुड़ को खाना चाहिये। एक ओर तो हम खादी एन्ड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के मारफत करोड़ों रुपया खर्च करते हैं इस काटेज इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिये कि यह खांडसारी का उद्योग डेवलेप हो दूसरी ओर हम यह टैक्स लगाकर उसको खत्म करना चाहते हैं। जब मुरार जी देसाई ने पिछली बार पार्लियामेंट में एक्साइज ड्यूटी लगायी तो मैंने उसका सख्त विरोध किया था और कहा था कि यह काटेज इंडस्ट्री इस लेवी को बरदाश्त नहीं कर सकती है परन्तु आज हमारी यह सरकार ही उस पर लेवी लगा रही है। अगर आपने ५० पैसा मन सेस लगाया तो मिल वाले ५१ पैसे मन देते ह उनको उतना नुकसान नहीं होगा। मिल वाले १० मन गन्ने में १ मन चीनी बनाते हैं और साल में ५ रुपया मन सेस देते हैं, लेकिन १६ मन गन्ने में १ मन खांडसारी बनती है। इसलिये १ मन चीनी बनाने के लिये खांडसारी वाले को ८ रुपया सेस देना पड़ेगा यानी यह इंडस्ट्री मिल इंडस्ट्री से भी ज्यादा टैक्स पे करेगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि गवर्नमेंट इस बात पर पुनः विचार करे और इस बिल को वापस लेकर और इस खांडसारी उद्योग के सम्बन्ध में अपनी पालिसी पुनः निश्चित करे। खांडसारी और गुड़ हमारे प्रदेश की विलेज इंडस्ट्रीज हैं और वे शुगर मिलें इंडस्ट्री से कम से कम १० गुना ज्यादा बड़ी हैं। आज जो हम इस बिल पर बहस कर रहे हैं कि यह जल्दी पास हो जाय तो यह बिल इतनी जल्दी पास नहीं होना चाहिये। इस बात पर खूब विचार होना चाहिये। इस साल आपका सेस गुड़ और खांडसारी की पैदावार बहुत कम होने से कम हो गया है। पार साल से आधा रह गया है। इसलिये यदि आपने इसको बढ़ा दिया तो यह उद्योग समाप्त हो जायगा। इसलिये मैं कहता हूं कि कृपाकर यह उद्योग डेवलप कीजिये और थोड़े से मिल मालिकों के लिए इसको बरबाद न कीजिये। यह इंडस्ट्री चलाने में मिडिल क्लास के लोग लगे हुये हैं और मिडिल क्लास के लोग ही इस इंडस्ट्री को चलाते हैं और औसतन खांडसारी के मालिक को ५०० रुपये से ज्यादा महीने में आमदनी नहीं होती है जब कि चीनी मिल वालों को करोड़ों और लाखों रुपये की आमदनी होती है। इसलिये मिल मालिकों की वेदी पर इन मिडिल क्लास वालों को बलिदान न कीजिये। मुझे आशा है मंत्री जी मेरी बात पर विचार करेंगे और इस उद्योग को बढ़ाने की ओर विचार करेंगे।

खाद्य मंत्री के सभासचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस समय प्रस्ताव उपस्थित किया जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उग्रसेन—

इस पर विचार बहुत कम हुआ है और हम इस प्रस्ताव का सख्त विरोध करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं दो आदमियों को और समय देना चाहता हूं। माननीय राधेश्याम जी और माननीय जगदीशशरण जी ५,५, मिनट इस पर बोल लें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको हर चीज की गहराई में जाना चाहिये। जैसा कमलासिंह जी ने कहा था, माननीय मंत्री जी ने ६ पैसे से बढ़ा कर २५ और ५० पैसा कर दिया और रक्षित और अरक्षित दोनों ही क्षेत्रों की सीमा को उन्होंने तोड़ दिया। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं। कोई भी टैक्स सरकार लगाये, वह जाने, अनजाने

किसान पर पड़ता है। हमारे प्रदेश में सब से अच्छी जमीन मेरठ और सहारनपुर की है। वहां का अच्छे से अच्छा खेत अगर ले लिया जाय तो उसमें ४५० मन से ज्यादा गन्ना एक एकड़ में नहीं हो सकता। मैं इसका ख्वाहमख्वाह विरोध नहीं कर रहा हूं। उसके कारण मैं दे रहा हूं। आम तौर पर ३००, ३५० या ४०० मन गन्ना होता है। लेकिन अगर ४५० मन पैदावार भी एक एकड़ की मान ली जाय तो काश्तकार को उसका ९०० रुपया दाम मिलेगा औसत में। शायद ही कभी ९१० या ९२० रुपया उसको मिल जाय। अब आप खर्च लगा लीजिये और उसके बाद जो बचे उस पर टैक्स लगा दीजिये। इसमें जुताई में १४४ रुपया खर्च लगेगा इसलिये कि कम से कम २०–२५ बार उसकी जुताई होती है। गेहूं, चने की बात दूसरी है, लेकिन गन्ना साल, डेढ़ साल में एक बार होता है और उसका हिसाब कम से कम मैंने लगाया है और दाम ज्यादा से ज्यादा लगाया है। ४२ रुपया सिंचाई का लगेगा, ६० रुपया खुदाई में, ३० बंधाई में, १५० रुपये का बीज, २१ रुपया बुवाई में और ६० रुपया छिलाई में लगेगा। १३० रुपया ढुलाई में लगेगा और २०० रुपया खाद में लगेगा। इसके अलावा मेहनत है, रखवाली है। वह मैंने छोड़ दी है। उसके बाद उसे कितना फायदा होगा आप लगा लें। कमला सिंह जी ५० रुपया कहते थे, मेरे हिसाब से ४४ या ४५ रुपया उसे बचेगा एक एकड़ में। यह हिसाब आपके सामने है। हम और आप इकट्ठा हो कर बात कर लें। अगर ५८ या ५९ रुपया भी मान लिया तो भी काश्तकार को कोई फायदा नहीं होगा। जो टैक्स है वह पड़ेगा कहां मैं कोई लम्बा भाषण नहीं करता, लेकिन इसका प्रैक्टिकल तरीके से सख्त विरोध करता हूं और इसलिये मंत्री जी को प्रैक्टिकल तरीके को अपनाना चाहिये।

इसके बाद खांडसारी की बात कही गयी। कल मेरे पास मुरादाबाद के लोग आये थे और उन्होंने बतलाया कि खांडसारी को सरकार कैसे तबाह कर रही है। उनका कहना था कि वह लोग राब लेते हैं और सल्फर प्लान्ट्स लगा रखे हैं। उन पर भी ५ परसेंट उनको परचेज टैक्स लगता है, यह नहीं लगना चाहिये। आप अगर छोटे उद्योग धंधे चलाना चाहते हैं तो गन्ने की खेती में काश्तकार को कोई फायदा नहीं है। वह बड़ी मुश्किल से अपने दिन काटता है। हम तो २५ पैसों को भी नहीं चाहते हैं। अगर मेरे हिसाब में आपको गलती मिल जाय और आप गन्ने के एक्सपर्ट केन कमिश्नर से भी मिल लें और बैठकर इस बात का विश्लेषण कर लें अगर मेरी बात गलत सिद्ध होगी तो मैं आपकी ही बात मान लूंगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, बरेली में कितना गन्ना बताया गया है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मेरे भी दो अमेंडमेंट्स हैं। इन्हें पेश करने की आप मुझे इजाजत दे दें। दुर्भाग्य से मैं केन उत्तर प्रदेशीय असोसियेशन का प्रेसीडेन्ट भी हूं। जिन पर इस विधेयक का प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिये मुझे दस मिनट देने की कृपा करें। इसमें मेरे साथियों को भी कोई शिकायत नहीं होगी। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सबसे पहले कि बिल जितनी जल्दी पास कराया जा रहा है यह उचित नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक से सरकार की नीति का संकेत होता है मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस उद्योग के विकास पर किसी की जिम्मेदारी नहीं, किसी अधिकारी का दायित्व नहीं है जिस पर १५ लाख लोगों की जीविका निर्भर करती है। खांडसारी से तो कोई खास असर नहीं पड़ता है और अगर उसमें कम है तो भी। मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ आंकड़े माननीय मंत्री जी के सामने रखूं, लेकिन ऐसा कोई स्कोप नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर भी मैं दो तीन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। इस विधेयक के एम्स एन्ड आब्जेक्ट्स तक अपने वक्तव्य को सीमित रक्खूंगा और उसी कसौटी पर यह सिद्ध करूंगा कि कोई औचित्य इस मेजर का है या नहीं। इसमें

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

मान्यवर, जो मेन आब्जेक्ट्स हैं, उनमें दो बातें लिखी गई हैं। एक तो यह कि मेरठ डिवीजन में कुछ गन्ने की सप्लाई में कठिनाई बताई गई है उसके कारण इस बिल को लाया गया। मैं श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सात डिवीजन्स हैं। अगर मेरठ डिवीजन में स्थानीय समस्या थी तो उसकी स्थानीय लेविल पर हल हो सकती थी। मिलों से कहा जाता कि वे अपने नफे का कुछ स्लाईस देते। जिस वक्त सेंटर ने मना कर दिया कि किसी प्रकार की रियायत नहीं देंगे तो मेरठ की वे शुगर फैक्ट्रीज अपने मूल्य में से पैसे दे रही हैं। जहां पैसे देना शुरू किया कि वे अपने समस्या का समाधान हो गया। यही वह पहले कुरतों, यही कड़ाई का रुख हमारी उत्तर प्रदेशीय सरकार का भी होता, जरा दिल को कड़ा करके मंत्री जी कह देते बड़े-बड़े मिल वालों से भी कि अपने नफे को कम करो, लेकिन वह कहने का साहस नहीं होता, कारण उसके जो भी हों.....(व्यवधान) स्पष्ट को मैं और क्या स्पष्ट करूं, तो एक बात तो यह रही।

दूसरी बात मेरठ में जो स्थिति है उसका वर्णन आगे किया। उस वर्णन में यह कहा कि इस अवधि में गुड़ की कीमत ३० रुपये ३५ रुपये प्रति ४० किलोग्राम की थी जिसके कारण निर्माता ५.६७ प्रति क्विंटल से लेकर ६·३६ प्रति क्विंटल तक गन्ने की कीमत दे सकते थे, तो मान्यवर, पहली शिकायत तो यह है कि इस बिल का एक ही अभिप्राय है कि किसान को ज्यादा पैसा देने की क्षमता गुड़ और खांडसारी यूनिट की न रहे, इसलिये इस बिल को लाया गया। तो पहली बात तो यह कि सिद्धांततया यह गलत है। किसान को ज्यादा पैसा मिले, किसान को जिस इंडस्ट्री से ज्यादा लाभ हो उससे लाभ उठाने का उसे मौलिक अधिकार है, कांस्टीट्यूशनल अधिकार उससे उसे वंचित करना अन्याय है। लेकिन छोड़ दीजिये, इस सैद्धांतिक बात को क्योंकि आज सैद्धांतिक बात का जमाना नहीं रह गया है। सिर्फ व्यवहारिक बात को देख लीजिये। यह जो कहा जायगा कि ३० रुपया ४० रुपया या ३५ रुपये का भाव था तब यह बिल लाने की बात सोची गई। मान्यवर, यह बिल चाहे जब भी ड्राफ्ट हुआ हो लेकिन बहुत पहले ड्राफ्ट हुआ था आज क्या स्थिति है, वह हम देखें क्योंकि इसे पास तो हम आज कर रहे हैं, हमारी सैंक्शन तो आज मांगी जा रही है। यह मान्यवर, पिछले एक हफ्ते की खबर मेरे पास है विभिन्न मंडियों की, विभिन्न अखबारों में छपी हुई इसको आप देखें तो मालूम होगा कि गुड़ का भाव विभिन्न मंडियों में २२ रुपये से २६ रुपये तक है, एक जगह २७ रुपये है। तो २६–२७ रुपये मैक्सिमम और २२ रुपये न्यूनतम यह आज का प्राइस लेवेल है उत्तर प्रदेश की सारी मंडियों का। अगर इस आंकड़े से इस फारमूले को देखें तो फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता इस बिल का। इस भाव के आधार पर तो उनको क्षमता उतना मूल्य देने की भी नहीं रह जाती है जितना कि किसान को दिया जाना चाहिये। इस कारण से कोई आवश्यकता इस मेजर की नहीं रह जाती।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जितने भी विचारक हैं उन्होने इस बात को माना है कि उत्तर प्रदेश की अगर हमें उन्नति करनी है तो हम यहां पर एक ऐसी नीति का अनुसरण करें कि मिलें भी हमारी जिन्दा रहें और गुड़ और खांडसारी भी जो कि इतना बड़ा गृह उद्योग है उत्तर प्रदेश में, उसका भी विकास हो, इसका एकमात्र उपाय है कि हम अपने प्रदेश में ऐसे जोन्स, ऐसे पाकेट्स बनायें कि जहां मिलें हैं वहां पर जितना हमारा गुड़ और खांडसारी पर नियंत्रण है उसको जारी रखें, उनको कानून से हटायें नहीं बल्कि बाहर के पाकेट्स में, दस मील के रेडियस के बाहर जहां के गन्ने को मिलें नहीं खपा पाती हैं, वहां पर ऐसी स्थिति पैदा कर दें, ऐसे इन्सेन्टिव दें जिससे कि यह गुड़ और खांडसारी यूनिट्स वहां पर आप से आप स्वतः लग जायं, अगर इस पालिसी को मान लिया जाय तभी इस समस्या का हल हो सकता है अभी जो हाई पावर शुगर केन कमेटी सरकार के द्वारा बनी थी माननीय चन्द्रभानु गुप्त की अध्यक्षता में उसमें भी हमने इसको विचारा और उसमें भी सबका यही विचार था। लेकिन आज कोई निश्चित नीति उत्तर प्रदेश सरकार की इस तरफ बन नहीं रही है। आज एक स्थिति आती है उसमें एक मुस्तकिल कानून बन जाता है, कल को फिर कुछ और हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि रिजर्व एरिया के बाहर आज कोई औचित्य किसी टैक्स के लगाने का नहीं है। मैं इतना और निवेदन

कर दूं कि १९६२ में इसी दिन सदन में यह प्रस्ताव आया और हर पक्ष के जितने भी व्यक्ति थे सबने एक स्वर से इसका विरोध किया। माननीय सुचेता कृपालानी जी जो आज हमारी मुख्य मंत्राणी हैं वह उस समय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थीं। उन्होंने सारी समस्या का थ्रैश करके परचेज टैक्स को बिलकुल हटा दिया। कानून से तो नहीं, लेकिन सैक्शन १४ के आधार पर १ साल के लिये वह हट गया। लेकिन १९६४ में वह १६ पैसे उस पर लगा दिया गया। वह नोटीफिकेशन अभी तक रिपीट नहीं हुआ है और जैसा अभी माननीय मंत्री जी से मुझे मालूम हुआ, कदाचित उसे ३२ पैसे कर रहे हैं १० मील के रेडियस पर भी। १० मील के बाहर १६ पैसे को हटाना सरकार का नैतिक कर्त्तव्य था, परन्तु उसे उल्टा ३२ कर रहे हैं। इसके मानी यह हैं कि सरकार का कोई लक्ष्य या नीति नहीं है। एक अन्धी चाल से चल रहे हैं, जहां भी टकरा जावें, १५ लाख आदमियों की जीविका इस पर निर्भर करती है। आपकी नीतियों से जनता में व्यापक असन्तोष होगा और उसका दायित्व आपके ऊपर होगा।

श्री उग्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय जगदीशशरण जी ने कहा है वही हमारी भावनायें हैं। उन्होंने उसके उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि गुड़, राब और खांडसारी के भाव ऊंचे होने के कारण गन्ने का उपयोग इन वस्तुओं को बनाने के लिये किया जाने लगा। आपका क्या बिगड़ गया था, मंत्री जी? अगर मैं यह कहूं कि आपके बाप का क्या बिगड़ गया था, तो आप बुरा मान जावेंगे।

श्री कल्पनार्थासिंह—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि माननीय उग्रसेन जी ने कहा है कि मंत्री जी के बाप का क्या बिगड़ जाता और मंत्री जी का क्या बिगड़ जाता।

श्री उग्रसेन—

यह तो गांधी जी की भावना थी कि गन्ना गुड़, राब और खांडसारी के उद्योग जो घर घर लगें, उनमें काम आते। मंत्री जी को या कल्पनार्थासिंह जी को बिगड़ना नहीं चाहिये। केन यूनियन जो माननीय जुब्बूरेनजी बनाये हुये हैं वह कितना गन्ना सुरक्षित करता है और कितना लेता है? १९५५–५६ में ५३.३ प्रतिशत पूर्वी उत्तर प्रदेश का और ४३.५९ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लेते थे। १९६१–६२ में घटकर ३१.७१ और ४५.५१ रह गया। गन्ना बुवाते हैं, लेकिन खरीदते नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि हमको कैसे कहियेगा कि हम पूंजीपतियों के हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यह सरकार बागला, सिंघानिया और पूंजीपतियों की चेरी है। माननीय कमलापति त्रिपाठी के साथी और माननीय गोविंदसहाय कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत होती तो चीनी मिलों को कानपुर के कबाड़ी बाजार में बिकवा देते। एक, एक चीनी मिल वाला साल में ८०,८० लाख रुपया बचाता है। गेंदासिंह थे, लेकिन वह राशन की दूकान देकर इंस्पेक्टर बना दिये गये। हो चुकी नमाज, मुसल्ला उठाइये। अगर आप समाजवादी हैं तो चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते हैं? केवल इसलिये कि जब चुनाव होगा तो ७०,८० लाख रुपया कौन देगा? मैं जानता हूं कि डालमिया, शान्तीप्रसाद जैन, थापर इत्यादि ने कितना पैसा कांग्रेस को चुनाव के लिये दिया है। यह सरकार गांधी जी की आत्मा का हनन कर रही है। गांधीजी को मारा किसने? मैंने अखबार में पढ़ा था। गोडसे ने गांधीवाद को नहीं मारा, गांधी जी के सिद्धांत को अगर मारा है तो इन गांधी वादियों ने। खांडसारी और राब के उद्योग को यह सरकार मार रही है और मिलों की दलाली कर रही है। सब तरफ से घेरा-धारी कर रही है। बेतालपुर में मेरा भाई गन्ने की परची लेकर भुनाने गया तो कहते हैं कि एक बार सारी परचियों का पैसा नहीं मिलेगा। मेरी सरकार होती तो ऐसे लोगों को सरासर कोड़े लगवाता। मगर यह तो मिलवालों की लाड़ली सरकार है जो उनको बढ़ावा दे रही हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से कहता हूं कि टैक्स मत लगाइये। १० मील के बाद भाई कल्पनार्थासिंह के इलाके में, सारे बाढ़ के इलाके में, आप खांडसार लगाइये मैं दावे के साथ, कहता हूं कि १ साल में चीनी मिलों को

[श्री उग्रसेन]

देवरिया और गोरखपुर की, उजड़वा दूंगा । लाखों की बेईमानी इन मिल मालिकों ने हमारे साथ की है । क्या आप बता सकते हैं कि एक मिल मालिक भी पकड़ा गया पैसा न देने के लिये ? नहीं । लेकिन अगर हम मालगुजारी नहीं देते हैं तो हमारा सामान कुर्क हो जाता है ।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुग्रहीत हूं माननीय सदस्यों का कि उन्होंने अपने विचार प्रकट किये यद्यपि असली बात किसी ने भी नहीं कही । आपकी जानकारी के लिये मैं केवल २ प्रश्न करना चाहता हूं । क्या आप इस बात के लिये उत्तर प्रदेश में तैयार हैं कि आगे कोई चीनी मिल यहां न लगे ? और या आप इस बात के लिये तैयार हैं कि जो मिलें लगी हैं वे यहां से कम हो जावें । अभी तक हमारे यहां जो मिलें हैं उनकी क्षमता १४ १/२ लाख टन प्रति वर्ष की है । हमारी इच्छा थी कि इस प्लान में हम उसे बढ़ाकर २२ लाख टन तक ले जावें । सीधी सी बात है कि अगर आप यह चाहते हैं कि यहां मिलें लगें या उनकी क्षमता बढ़े तो आपको एक ही काम करना होगा, यह दिखाना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिये कि हमारे यहां ऐसा गन्ना है कि इन मिलों को मिल सकता है । हम दो बातें कभी नहीं कर सकते हैं । एक तो यह कि मिलों को गन्ना न दें और भारत सरकार को कहें कि हमारी क्षमता बढ़ाओ ।

माननीय सक्सेना जी ने एक बात यह कही कि गांधी जी गुड़ चाहते थे तो फिर आप खांडसारी को क्यों रोकते हैं । मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि हमारा कोई रोक लगाने का इरादा नहीं है । रोज-रोज इसी सदन में और बाहर भी लोग माननीय नेगी जी से कहते हैं कि आप देहातों के लिये चीनी क्यों नहीं बढ़ाते हैं । लेकिन चीनी तभी बढ़ेगी जबकि चीनी का अधिक उत्पादन होगा । यह नहीं हो सकता कि चीनी भी बढ़ जाय और उत्पादन भी बढ़े नहीं ।

एक बात और बता दूं कि यह जो दाम बढ़ाने की बात है यह वहीं पर है जहां कि हमारी चीनी मिलें हैं । वहीं कंपीटीशन की वजह से दाम बढ़ते हैं । क्योंकि वहां का अधिकतर गन्ना मिलें ले लेती हैं । यह मैंने बार-बार कहा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें गन्ना बहुत होता है और वहां पर क्रशरों के लाइसेंस देने के लिये भी हम तैयार हैं, लेकिन वहां कोई क्रशर वाला जाता नहीं है ।

एक सदस्य—

वहां पर मिल लगा दीजिये ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मिल तो वहां तभी लगाई जा सकती है जबकि मिल की जो क्षमता मान लीजिये ७० लाख मन की है, उतना गन्ना वहां हो । ऐसा नहीं हो सकता है कि ७० लाख मन की क्षमता वाली मिल वहां लगा दी जाय और उसका तीन-चौथाई गन्ना ही वहां पैदा होता हो ।

मेरठ जिस परिस्थिति में आज है अगर वहां से एक या दो मिलें हटा दी जायं या दूसरी जगह वे चली जायं तो किसानों को कभी भी क्रशर वाले मदद नहीं दे सकते हैं । मुझे इसी साल की मालूम है कि मिल वालों ने दो एक स्थान पर अपने सेंटर्स बंद कर दिये, वहां पर जो मिल २ रुपया ६ आ० मन गन्ना खरीदती थी, क्रशर वालों ने उसका दाम १ रु० ८ आना कर दिया । मेरी यह भी जानकारी है कि सन् सन् १९६१ में जबकि मिलें १ रु० ६ आना मन गन्ना खरीदती थीं, मेरा ही कुछ गन्ना जब मिलों में नहीं गया तो ८ आना मन देकर क्रशर के पास भेजा और वहां पर १४ आना और १२ आने दाम उन्होंने मुझे दिये, जबकि बगल ही में मिल १ रु० ६ आना दे रही थी । इसलिये आपको कहीं न कहीं सामंजस्य तो लाना ही होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

माननीय मंत्री जी इस बात को भी साफ कर दें कि अगर क्रशर फेल हो गये और गन्ना ज्यादा हो गया तो क्या उनके सरप्लस गन्ने को पेरने की सरकार गारन्टी देगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह टैक्स हमने जो गुड़ बनता है या कोल्हू हैं उन पर नहीं लगाया है । किसान जो गन्ना अपने पास आप पेरता है उस पर नहीं है, फ्री एरिया पर परचेज टैक्स नहीं है । टैक्स केवल उन जगहों पर है जो मिल के नजदीक हैं जो रिजर्व एरिया हैं । आप तो यह बात कहते हैं हमारे पास बहुत से लोग आते रहते हैं कि हमारे एरिया को मिल एरिया में शामिल कर लीजिये, रिजर्व एरिया में रख लीजिये । आपके जो श्री सुरथ बहादुरशाह हैं, वे भी लखीमपुर से आये और उन्होंने कहा कि हमारे एरिया को रिजर्व्ड से मत निकालिये । तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं । ज्यादातर पब्लिक की डिमांड है कि हमें मिल एरिया में रखें क्योंकि एक तो उसे गारन्टी मिलती है कि उसके गन्ने का दाम मिलेगा । और मैं आपकी जानकारी के लिये बतला दूं कि यह टैक्स एक एरिया में क्यों लगा क्योंकि मेरठ की बात एक साहब ने कही थी ।

मुझे श्री गंगवार की एक बात सुन कर बड़ी तकलीफ हुई कि उन्होंने हमारे एक इतने बड़े आफिसर के लिये जो अपनी ईमानदारी के लिये बड़े प्रसिद्ध हैं, ऐसी बात कह दी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैंने यह नहीं कहा, मैंने तो कहा कि उनको मैं बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, लेकिन वहां की आम जनता में इस तरह की अफवाह है । वह अफवाह गलत हो सकती है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं कहता हूं कि वह अफवाह बिलकुल गलत है । यह कहा गया कि मिल वाले गन्ना कम तौलते हैं इसलिये उन्हें गन्ना नहीं मिलता । मेरे पास इस तरह की शिकायतें आयी हैं और उसके लिये मैं इंतजाम कर रहा हूं, लेकिन यह भी मैं आपको बतला दूं कि क्रशर द्वारा भी गन्ना कम तौलने की शिकायतें हमारे पास बराबर आ रही हैं । तो इस तरह से गन्ना तौलने में दोनों गलती करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल मिल वाले ही इस गलती को करते हों ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे पास भी चेकिंग स्टाफ है और मैंने इस तरह के केस को स्वयं पकड़ा है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे कहने का मतलब यह है कि क्रशर वाले भी गन्ना कम तौलते हैं और दोनों की चोरी रोकने के लिये हम उपाय कर रहे हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं माननीय मंत्री जी को चैलेंज करता हूं । वे अपने आफिसर को अभी बरेली मिल में भेजें कि वे जाकर तुरन्त ही चेकिंग करें कि तौल में कितनी चोरी होती है । पहले तो एक एक ट्रक में १०-१० क्विंटल की चोरी होती थी, लेकिन आज भी एक एक ट्रक में ५-५ क्विंटल की चोरी होती है जबसे कि सितारगंज का केस हुआ है । इस तरह से सारे स्थानों पर भ्रष्टाचार है, किसी भी दिन किसी जगह जाकर आप इसका पता लगा लें कि किस तरह से आज काश्तकारों का गला काटा जा रहा है । उस चोरी किये गन्ने से रात में ही शक्कर बना कर उसे बाहर निकाल दिया जाता है और उसका नकद रुपया उनको मिल जाया करता है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं किसी बेईमान आदमी को डिफेंड करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। आज भी मैं अपने आफिसरों को हुक्म दे सकता हूं और अग्रवाल जी से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वे जाकर देख लें। मैं किसी को बचाना नहीं चाहता हूं और न मेरी ऐसी कोई इच्छा है, इसको माननीय उग्रसेन जी भी जानते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जहां तक गुड़ बनाने की बात है .....

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

जो रेट लिखा हुआ है इसमें, क्या वही गुड़ का रेट है या उससे नीचे है, इसमें क्या जस्टिफिकेशन है, इसको भी जरा बतला दें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह अध्यादेश में था, अब विधेयक में उसको हटा दिया गया है ...

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २—३

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ की धारा ३ की उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (क) में शब्द "नए पैसे" के स्थान पर शब्द "पैसे" रख दिया जाय; और

(२) खण्ड (ख) में शब्द "प्रति क्विंटल गन्ने पर पच्चास नए पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति क्विंटल गन्ने पर पचास पैसे" रख दिये जायं। संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा ३ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९६५ का निरसन

३—(१) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ निरस्त किया जाता है।

(२) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई काय अथवा की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो कि यह अधिनियम ७ जनवरी, १९६५ को प्रारम्भ हुआ हो।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) की द्वितीय पंक्ति में अंक "पचास पैसे" के स्थान पर "१० पैसे" रख दिया जाय। मैं यह इसलिये रख रहा हूं कि सन् १९६३–६४ में इन कम्पनियों द्वारा कितना-कितना चन्दा किस दल को दिया गया वह श्री टी० टी० कृष्णमाचारी कहते हैं कि कांग्रेस को ९८,०७,८८४ रुपया, स्वतंत्र दल को १५,५६,९८८ रुपया, सोशलिस्ट दल को ५४,८८९ रुपया, जनसंघ दल को ३६७८ रुपया, कम्युनिस्ट दल को २८८४ रुपया और रिपब्लिकन दल को ३७८ रुपया दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की इन मिल मालिकों से सांठगांठ है, यह ९८ लाख रुपया ही उनसे मिल वालों के फेवर में सब कुछ करा रहा है। मैं चाहता हूं कि अब मंत्री जी इस सांठगांठ को छोड़ दें नहीं तो एलेक्शन कमीशन उनको बर बैठेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मुझे यह स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) की द्वितीय पंक्ति में अंक "पचास पैसे" के स्थान पर "१० पैसे" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह श्री जगदीशशरण अग्रवाल का पहला संशोधन आउट आफ आर्डर है, यह निगेटिव हो जायगा ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

उपाध्यक्ष महोदय, वह निगेटिव नहीं होगा, मैंने इस को सोच समझ कर ही रखा है, वैसे मैं प्रेस न करूं, वह बात अलग है । यह नियमानुकूल इसलिये है कि इसका मतलब यह होगा कि उनका जो २५ पैसा है वह रहे और उससे अधिक बढ़ाने की जो बात है उसके विषय में हमें अधिकार है कि हम....

श्री उपाध्यक्ष—

यह आउट आफ आर्डर है, इसलिये कि अगर २५ पैसा ही रह जाता है तो फिर बिल का क्या होगा, वह तो खत्म हो जायगा । आप दूसरा पेश करें ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

इतने कम समय में जब आप पास कराना चाहते हैं और सरकार को समझाना भी मुश्किल है और सरकार का क्लोज्ड माइन्ड है तो पेश करना ही बेकार है और इसलिये मैं पेश नहीं करता ।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उप खंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित उप खंड (३) निम्न रूप में जोड़ दिया जाय:

"(३) मिल से १० मील से बाहर की परिधि में गन्ने पर कोई प्रतिबन्ध न रहेगा ।"

१५ अप्रैल, १९६४ को माननीय मुख्य मंत्री को अपने आदेश से एसाइन्मेंट एरिया से इस टैक्स को वापस लिया था । आज कारण क्या है कि फिर यह लगाया जाय, इस एरिया में । क्यों वह टैक्स जो सुरक्षित क्षेत्र है, उसके बाहर लगाया जाय, कोई रीजन आपने नहीं दिया है, सुरक्षित क्षेत्र में तो आपके मिल मालिक हामी हैं, लेकिन बाहर जो हैं, उस पर आप क्यों टैक्स लगा रहे हैं । क्योंकि मैंने देखा है कि जहां तक हाई पावर कमेटी का सवाल है, हाई पावर कमेटी ने यह कहा है श्रीमान्, कि जो गुप्ता जीके निरीक्षण में बनी थी, उसमें यह कहा है कि—

"*Gur* and Khandsari Industry should also be developed on a large scale in such area."

यह रिजर्व एरिया के लिए उत्तर प्रदेश हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट, १९६३ में दिया हैं, तो एक तरफ तो टैक्स ५० पैसे लगा कर आप उसको बरबाद कर रहे हैं, रिजर्व एरिया को रखिये तो बाहर वालों को तो जिन्दा रहने दीजिये । अगर आप इन्डस्ट्रीज के दुश्मन हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं । संविधान की धारा ४३ में है, उसमें दिया हुआ है कि उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह-मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशायें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सरकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।"

आज यह सरकार गांधी जी के सिद्धान्तों से बिलकुल उलटी हो गई है और अब सरकार शराब मिला कर नशा करा रही है। आज नशा के लिए जगह जगह-शराब की दूकान खुलवा रहे हैं।

एक बात मैं और कहूंगा कि धारा ४७ में दिया हुआ है कि "राज्य अपने लोगों के आहार पुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में से मानेगा विशेषतया स्वास्थ्य के लिए हानिकर मादक पेयों और औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।"

तो आज जो काश्तकार अपने गन्ने की कीमत ६ रु० २६ नये पैसे पा रहा है, क्या उनको ५ रुपया पर अपने गन्ने की फसल को बेंचना पड़ेगा ? श्रीमन्, मैं तो ज्यादा क्या कह सकता हूं, यह तो मैं जानता हूं कि यह सरकार ९८ लाख की तरफ देख रही है, किसान की तरफ नहीं देख रही है जिससे कि करोड़ों रुपये की रेवेन्यू आ रही है। तो इस प्रकार से मिल मालिकों का पक्ष करना है। बापू जी भी मरने के पहले कह चुके थे कि छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना-होगा, यदि ग्रामीणों को ऊंचा करना चाहते हैं, तो उसको कायम करो, लेकिन आज सरकार उन बातों को भूल गई है। अगर यह सरकार यह कहती है कि गांधी के उसूलों को मानेगी, तो उसे मानना चाहिये।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि यह बता दें कि बेबी मिल के बारे में क्या धारणा रखे हैं और दूसरी बात कि बेबी मिल की चीनी कंट्रोल पर बेचवायेंगे कि नहीं, ५ प्रतिशत राब पर जो टैक्स लगा दिया। तीसरी बात जो मैं यह यह कहना चाहता हूं कि मोटा सा सिद्धान्त है कि २०० रु० के १०० रु० गन्ने का दाम काश्तकार को देते हैं। २ रु० मन के हिसाब से २०० दिया और १० मन चीनी तैयार हुई मिल वालों की। १० मन चीनी का दाम हुआ ५०० रु०। तो अगर सबड्यूटी लगा लें तो २०० और ५०० में कितना अंतर है, तो मिल मालिक कहां से गरीब होता जा रहा है ? हम तो यह समझते हैं कि एलेक्शन का आगे खतरा है, इसलिए मिल मालिकों को मजबूत किया जा रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि काश्तकार जो गन्ना मिल वालों को नहीं दे रहे हैं तो उसके कारण वे खुद मिल वाले ही हैं। किसान रात भर नहीं जगना चाहता है, अपने बैलों को परेशान नहीं करना चाहता। मिलों पर जा कर अगर उसे २ रुपये के हिसाब से मिलें और आप अड़चनों पर अड़चनें लादे जायें कि मई तक और जून तक गन्ना लेंगे, जब तक वह गन्ना सूख भी जाता है, तो क्या सरकार इसका भी कोई प्रबन्ध करेगी कि मिल मालिक परेशान न करके ठीक ढंग से गन्ना ले लें ?

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री जी ने ३०-३० मील तक सुरक्षित क्षेत्र बना लिया है। हमारे कछार के गावों में घाघरा नदी लम्बी चौड़ी है। इससे इन गांव वालों को कोई लाभ नहीं होगा जबकि इतना बड़ी सुरक्षित क्षेत्र बना दिया गया है। अगर आप टैक्स लगावें तो सुरक्षित क्षेत्र को कम कर दिया जाय ताकि हम कशर लगा सकें और किसानों की मदद हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमलासिंह जी की जानकारी के लिये बता दूं कि आपने जो कहा कि जो रिजर्व्ड एरिया नहीं है वहां यह टैक्स न लगे। यह टैक्स फैक्टरी के १० मील के एरिया के अन्दर ५० पैसे प्रति क्विंटल है और बाहर ३२ पैसे है। अगर मुझे बता दें और आप चाहें कि हमारे क्षेत्र को निकाल दें तो हम उसको निकाल देंगे उग्रसेन जी को भ्रम है कि मैं मिलों की बात नहीं जानता हूं। जिस मिल को आप समझते हैं कि हम पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको आप देख लेंगे तो आपका जो भ्रम है वह दूर हो जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय गेंदासिंह जी को तो उन्होंने १५ रुपये रोज में खरीद लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उप खंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित उप खंड (३) निम्न रूप से जोड़ दिया जाय :—

"(३) मिल से १० मील से बाहर की परिधि में गन्ने पर कोई प्रतिबन्ध न रहेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ और खंड ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५

उ० प्र० अधि-नियम संख्या ९, १९६१ — उत्तर प्रदेश गन्ना-(क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने के लिए विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम — १—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं इसका विरोध करता हूं। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि ५ परसेंट राब पर जो टैक्स लगा रखा है उससे हटाया जाय। हमारे यहां बरेली में राम नारायण एंड कं० है उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

हर तीसरे साल मैनेजिंग डायरेक्टर बदलते रहते हैं और वह अपने हिसाब से सेडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जिससे काश्तकार का गन्ना मारा जाता है। जितने कर्मचारी सेंटर पर काम कर रहे हैं वे पेड दिखाये जाते है हालांकि सबका कांट्रेक्ट होता है कि वे इतना गन्ना देंगे तब उस सेंटर पर जा सकते हैं। इसकी जांच कराई जाय। मैं गन्ना सोसाइटी का डायरेक्टर रहा हूं मुझे खुद इसका तजुर्बा है कि किसानों का पैसा मारा जाता है। मिल मालिकों की साजिश जो पकड़ लेता है उसे मारा जाता है। एक दफा मुझे भी मारा गया था। इसलिये आप अपने अधिकारियों को सर्तक कर दें।

श्री उग्रसेन—

मैं इसका विरोध करता हूं और एक शेर कह कर खत्म किये देता हूं। माननीय मंत्री जी का आचरण इस प्रकार है:—

बागवां ने एक नया सितम ईजाद किया,
आंशियां फूंक के पानी को बहुत याद किया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

एक शेर मेरा भी है:—

नहीं जिनको पहचान भी खारो गुल की,
चमन हो गया आज उनके हवाले।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना—

मैं इसका विरोध करता हूं और मेरा निवेदन यह है कि आप मिलें लगायें, लेकिन साथ ही खांडसारी, गुड़ तथा राब की जो इंडस्ट्री है उसे भी बचायें। उसके लिये भी कुछ एरिया छोड़ें ताकि वह पनपे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

मेरा निवेदन है कि मूल अधिनियम की धारा १४ इस बात का आपको अधिकार देती है कि जब आप संतुष्ट हो जायं तो आप परचेज टैक्स को कुल या आंशिक रूप से हटा सकते हैं। सब सदस्यों ने यह बात एक मुंह से कही है। आज चाहे आप पर असर न हो, लेकिन कृपया आप इस पर गौर करें, विचार करें और स्थिति का अध्ययन करें और उस धारा का प्रयोग करके छूट देने की कोशिश करें।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन यही है कि १५ अप्रैल, ६५ को वापस ले लिया था रिजर्व एरिया के बाहर एसाईंनिग एरिया से, तो जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा उन्हें विश्वास हो जाय कि यह गलत तरीके पर लगाया जा रहा है तो कुटीर उद्योगों की रक्षा के लिये माननीय मंत्री जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह विश्वास है कि अगर इस प्रदेश में गन्ने की उपज बढ़ाना है और उचित दाम गन्ना उत्पादकों को दिलाना ह तो यह कर लगाना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद ७ बजकर १ मिनट पर सोमवार, २२ फरवरी, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१९ फरवरी, १९६५।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११२५ पर)

(Copy)

A. J. FARIDI
M.D.
Registered A. D.

HAZRATGANJ,
LUCKNOW.
October 28, 1964.

DEAR SIR,

Since October 5, 1960, I have repeatedly brought to the notice of the Mayor, Lucknow Nagar Mahapalika, the Deputy Mayor Lucknow Nagar Mahapalika, the Mukhya Nagar Adhikari, and the Minister of Local Self-Government, Uttar Pradesh that there had been an encroachment of about two thousand square feet of Municipal land by the owners of Plot No. 10 at 23, Outram Road, Lucknow.

The letters I have so far written to the authorities concerned are tabulated below, copies of which are available with Nagar Mahapalika and the Government :

(1) To the Mukhya Nagar Adhikari, Nagar Mahapalika on October 5, 1960, October 24, 1960 ; November 11, 1960 ; and December 3, 1961.

(2) To the Deputy Mayor on December 20, 1960, a joint letter by all the residents of the locality ; January 11, 1961 ; January 28, 1961 ; February 24, 1961 ; June 6, 1961 ; July 19, 1961.

(3) To the Mayor, Dr. Kapoor on March 3, 1963 ; April 3, 1963 ; June 21, 1963 ; August 19, 1963.

(4) To the Nazul Officer on June 6, 1961.

(5) To the Minister for Local Self-Government on September 27, 1962 ; December 21, 1962 ; February 15, 1963 ; August 19, 1963 (enclosing legal opinion) ; and September 4, 1963.

This encroachment narrows the public road leading to the houses belonging to the plots beyond it, thus inconveniencing all the residents of the locality, who are served by this road.

In reply to my letters the Deputy Mayor, *vide* his letters no. D. O. UNP/593, dated February 9, 1961 and NO. UNP,635/dated February 27, 1961, promised to have the encorachment removed and the road widened.

The Nazul Officer, *vide* his letter no. 305 N. S. dated May 9, 1961, wrote to Shri Sayed Ali Zaheer, Minister of Justice, Government of Uttar Pradesh that "the site checking reveals that this road is actually 15 feet wide. Thus there is an encroachment of 5 feet towards this road included in the compound of the *kothi* of plot no. 10. I would, therefore, request you kindly to have this encorachment removed at an early date, and shift the compound wall accordingly."

When Shri Ali Zaheer did not take any notice of the above letter, the Nazul Officer wrote to him on June 22, 1961 *vide* his letter no. 706 N.N./D.W. that "request you kindly to have it removed within a fortnight of receipt of this letter".

As no action was taken by the Lucknow Nagar Mahapalika Officers, I wrote to the Minister for Local Self-Government regarding the matter. On September 10, 1963, the then Minister of Local Self-Government wrote to me that the matter was being examined and that I would hear about it in due course. I have not heard anything from the Government since.

Shri Syed Ali Zaheer, Minister of Justice, Government of Uttar Pradesh was once the owner of Plot no. 10, mentioned above. Though he has sold the property, in the records of the Nagar Mahapalika he is still noted as the owner. The Mahapalika and the Government are not, therefore, taking any action for fear of annoying the Honable Minister of Justice.

I, therefore, respectfully submit that Municipal Bye-Laws regarding encroachments ought to be enforced irrespective of the fact whether the defaulter is an ordinary poor citizen or the Minister of Justice. The Lucknow Nagar Mahapalika authorities be asked to demolish immediately the compound wall built on a public road thereby narrowing the thoroughfare and encroaching about two thousand square feet of land.

Thanking you.

Yours sincerely,
(Sd.) A. J. FARIDI

SRI GULZARI LAL NANDA,
Home Minister, Government of India,
Sadarchar Samiti Department,
New Delhi.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३६ पर)

लाभत्रयी योजना

शासन ने १ अक्टूबर, १९६४ से एक लाभत्रयी योजना चालू की है जिसके अन्तर्गत प्रदेश की सहायता प्राप्त बगैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को (१) कंट्रीब्यूटरी प्रावीडेंट फंड, (२) जीवन बीमा तथा (३) पेंशन की सुविधायें प्रदान की जायेंगी। इस योजना से (१) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों तथा (२) स्थानीय निकायों द्वारा संचालित संस्थाओं के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को छोड़कर (व्यक्तिगत प्रबन्धकों तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित एवं राजकीय सहायता प्राप्त) प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिग्री कालेज तथा ट्रेनिंग कालेजों के अन्य सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस योजना के अधीन मिलने वाले लाभों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:

१—कंट्रीब्यूटरी प्रावीडेंट फंड—व्यक्तिगत प्रबन्धकों तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उपरिलिखित सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के लाभार्थ कन्ट्रीब्यूटरी प्रावीडेंट फंड की जो योजनायें इस समय वर्तमान हैं वे यथावत् जारी रखी जायेंगी और उनके अन्तर्गत प्राप्त होने वाली वर्तमान सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जा रही है।

२—जीवन बीमा—लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी के लिये यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह एक निर्धारित धनराशि के लिये पोस्टल जीवन बीमा अथवा लाइफ इंश्योरेंश कारपोरेशन आफ इंडिया से जीवन बीमा करावें जो उसकी सेवा मुक्ति की उम्र पर परिपक्व (Mature) हो सके। बीमा की किस्तें कर्मचारियों को स्वयं जमा करनी होंगी परन्तु उनको यह सुविधा रहेगी कि वे प्रावीडेंट फंड में वर्तमान अपने अंश से आवश्यक धनराशि निकाल कर बीमा की किस्तें जमा कर सकें। ४० वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिये जीवन बीमा अनिवार्य नहीं है। जो कर्मचारी आवश्यक धनराशि का जीवन बीमा पहले से ही करायें है उन्हें पुनः बीमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

(३) पेंशन—इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी को जिसने न्यूनतम १० वर्ष को अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है उसे प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष पर उसके गत तीन वर्षों के औसत वेतन का १/१२० पेंशन के रूप में इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जायेगा कि अधिकतम धनराशि अंतिम तीन वर्ष के औसत वेतन का ३०/१२० या विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के लिये अधिकतम सीमा, इसमें से जो भी कम हो, उससे अधिक न हो। विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के लिये अधिकतम सीमा निम्न प्रकार है:

		रु०	
१—प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के कर्मचारियों के लिये		६०	प्रतिमास
२—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधान के लिये	..	७५	,,
३—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिये		६०	,,
४—डिग्री कालेजों के प्रिंसिपल के लिये	..	१५०	,,
५—डिग्री कालेजों के हेड्स आफ डिपार्टमेन्ट के लिये	..	१००	,,
६—डिग्री कालेजे के लेक्चरर्स के लिये	..	७५	,,

		ह०	
७—डिग्री कालेज के अन्य कर्मचारियों के लिये	..	६०	,,
८—ट्रेनिंग कालेज के प्रिंसिपल के लिये	..	७५	,,
९—ट्रेनिंग कालेज के अन्य कर्मचारियों के लिये	..	६०	,,

पेंशन के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेन्शन देने की भी व्यवस्था है। पारिवारिक पेंशन कर्मचारियों के २० वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के पश्चात् निधन होने पर उनके आश्रितों को अधिक से अधिक १० वर्ष तक दी जायगी और उसकी धनराशि सेवा निवृत्ति के समय स्वीकृत पेंशन के आधे से, या यदि निधन सेवा निवृत्ति से पहले होता है तो जितनी पेंशन निधन के समय उसे जीवित रहने पर मिली होती उसके आधे से, अधिक न होगी।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११४४ पर)

दिनांक ६-६-६४ को गाजीपुर अस्थायी खंड के खुलने के पश्चात् निम्नलिखित कार्य चालू किये गये हैं।

भवन कार्य

१—अभिलेख कक्ष, जिलाधीश कार्यालय, गाजीपुर।

२—संग्रह ब्लाक, सैदपुर।

३—राजकीय भवन निर्माण योजना, गाजीपुर।

४—उच्च प्राथमिक विद्यालय जमानिया।

५—जूनियर प्राविधिक विद्यालय, गाजीपुर।

सड़क का कार्य

१—वर्षा की हानियों से सुरक्षित करने के लिये पुनः निर्माण तथा विकास गाजीपुर—आजमगढ़ सड़क पर पुलिया सं० १/१०

चार पूर्वी जिलों की विकास की योजना में (पाइलेट प्रोजेक्ट)

१—सैदपुर—गाजीपुर मार्ग का आधुनीकरण।

२—बनारस—बलिया मार्ग का आधुनीकरण।

३—सैदपुर में गंगा नदी के ऊपर पीपों का पुल।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य के आगणन को स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

१—नन्दगंज—चौकपुर रोड।

२—तारीघाट—बाड़ा रोड।

३—युसुफपर—जैरामपुर मार्ग।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे ११४५ पृष्ठ पर)

कक्षा	सन् १९६३ की वार्षिक परीक्षा में राजकीय इन्टर कालेज फतेहपुर की प्रत्येक कक्षा में असफल बैकवर्ड हरिजन छात्रों की संख्या		जुलाई १९६३ में उनमें से कितने छात्र रखे गये		सन् १९६३ की वार्षिक परीक्षा के असफल छात्रों में से निकाल बाहर किये गये हरिजन/बैकवर्ड छात्रों की संख्या		बाहर के दाखिल किये गये हरिजन छात्रों की संख्या
	हरिजन	बैकवर्ड			हरिजन	बैकवर्ड	
६	..	३	..		३	किसी हरिजन अथवा बैकवर्ड असफल छात्रों को निकाल बाहर नहीं किया गया।	२
७	१	..	१		..		२
८	..	१	..		१		४
९	१	१	१		१		२
१०	४	३	१		१		६
११	३	१	३		१		४
१२	४	५	२		२		५

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२१७ एल० ए०—१९६५—८७० ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ व २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७३–९७४ पर)

उत्तर प्रदेश में विनियमित क्षेत्रों की सूची

उन स्थानों के नाम जो उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम १९५८ के अन्तर्गत विनियमित क्षेत्र घोषित किये गये हैं		कालम (१) में वर्णित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के प्राविधान लागू हैं या नहीं ।
१		२
१—लखनऊ	(नगर महापालिका का शहरी तथा उसके बाहर पड़ने वाला कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	केवल ग्रामीण क्षेत्र में लागू हैं ।
२—कानपुर	,,	,,
३—इलाहाबाद	,,	,,
४—वाराणसी	,,	,,
५—आगरा	,,	,,
६—गाजियाबाद	(नगरपालिका का शहरी तथा उसके बाहर पड़ने वाला कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	,,
७—फिरोजाबाद	,,	,,
८—गोरखपुर	,,	,,
९—सहारनपुर	,,	,,
१०—मुगलसराय	(नगरपालिका मुगलसराय तथा राम नगर का शहरी और उसके बाहर पड़ने वाला कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	,,
११—हरिद्वार	(नगर पालिका हरिद्वार तथा ऋषिकेश का शहरी और उसके बाहर पड़ने वाला कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	,,
१२—रुद्रपुर (जिला नैनीताल)	(नोटीफाइड एरिया कमेटी में पड़ने वाला शहरी क्षेत्र)	लागू नहीं है ।
१३—पिठौरागढ़	(नगर पालिका का शहरी तथा उसके बाहर पड़ने वाला कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	लागू नहीं है ।
१४—गढ़मुक्तेश्वर	(गंगा नदी के पुल के पास का कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	लागू है ।
१५—बाजपुर (जिला नैनीताल)	(गांव सभा, बाजपुर में पड़ने वाला ग्रामीण क्षेत्र)	,,
१६—किछा (जिला नैनीताल)	(किछा गांव सभा में पड़ने वाला ग्रामीण क्षेत्र)	,,
१७—पिपरी (जिला मिर्जापुर)	(रिहान्ड डैम के चारों ओर पड़ने वाला कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	
१८—चोपन (जिला मिर्जापुर)	(चोपन के चारों ओर कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	,,

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७५ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	गेहूं (कुइंटलों में)
१	सलोन	३०१.३४
२	महाराज गंज	३४१.२३
३	डीह	१९६.७२
४	हरचन्द्र पुर	५८२.७३
५	डलमऊ	४२६.३५
६	नसीराबाद	४२०.९१
७	जगतपुर	२६४.४७
८	ऊंचाहार	२७५.९६
९	सतावं	६४०.४०
१०	तिलोई	३२६.५६
११	बछरावां	४१९.७६
१२	लालगंज	३६०.५४
१३	खीरी	४३२.००
१४	सरेनी	४०२.७५
१५	सिंहपुर	३३५.५६
१६	राही	६७९.०५
	योग ..	६४०६.३३